खण्ड-345, अंक-10
सोमवार, 24 भाद्रपद, शक संवत् 1902
(15 सितम्बर, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 345 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	997–1000
प्रश्नोत्तर	..	1001–1039
जनपद सीतापुर के अधिकारियों की लापरवाही से पशु सेवा केन्द्र में लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1039–1040
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विद्यालय वाराणसी में हुई वार्षिक परीक्षाओं का परीक्षाफल घोषित न किये जाने से छात्रों के कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1040
राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा डायमेन्ड डेरी स्थित कालोनी के कक्षों के आवटंन में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1040–1041
लेखन सामग्री के मूल्य तथा परीक्षा शुल्क में वृद्धि से बुन्देलखण्ड के छात्रों में असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1041
आगरा में एक नाबालिग लड़की मीरा श्रीवास्तव के भगाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	1041–1042
मुख्य मंत्री के त्याग–पत्र के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	1042–1055
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	1055
पुलिस अधीक्षक, बदायूं के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	..	1055–1066
अलीगढ़ नगर में श्री पवन कुमार जैन नामक पत्रकार की गिरफ्तारी तथा आगरा के मण्डलायुक्त द्वारा पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	1066–1067
अलीगढ़ नगर में घटित घटनाओं के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	1067–1069
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	1069
विधान सभा सदस्य, श्री राम स्वारूप निम को गुंडों द्वारा घायल किये जाने के सम्बन्ध में सूचना	..	1069–1070
1980-81 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 1––राज्य विधान मण्डल तथा अनुदान संख्या 5––निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	..	1070–1071
अनुदान संख्या 4––न्याय विभाग तथा अनुदान संख्या 128––न्याय विभाग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	..	1071–1089
अनुदान संख्या 11––परिवहन विभाग तथा अनुदान संख्या 105––परिवहन विभाग–पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	..	1089–1117
कार्य–मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)		1117–1118
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	1118
एटा जिले में बस पर पुलिस गाड़ी की रायफलें छीने जाने की घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	1119–1122
नत्थियां	..	1123–1137

नमूना प्रति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 15 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 4 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (302)

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैया) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए०सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछरिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल. डाक्टर (आगरा)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशो राम, श्री (बदायूं)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)

जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल बिकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू श्री, उर्फ दीप नारायण (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह (उर्फ लाल बाबू), श्री (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जतलो, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर, श्री (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भोला लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद जमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)

माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजेम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रमा कान्त मिश्र श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम जी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विनोद कुमार श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)

शिवदर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमनलता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश वस्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूर्य नाथ उपाध्याय, (जौनपुर)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पण्डेय, श्री (बांदा)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)

नोट :—मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 15 सितम्बर, 1980

तारांकित प्रश्न

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

[5वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*2—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

*4—श्रीमती गौरी देवी—

[4थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उदयभानु सिंह बनाम राज्य सरकार की याचिका पर लोक सेवा न्यायाधिकरण का फैसला

*5—श्री रियासत हुसैन—

क्या कृषि मंत्री जी को विदित है कि उनके विभाग से सम्बन्धित उदयभानु सिंह बनाम राज्य सरकार और अन्य के बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण में दाखिल याचिका संख्या 419 (एफ)/पी0—1978 में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए हुए फैसले को एक वर्ष के लगभग हो रहा है तथा उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

प्रश्नगत याचिका में माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कार्यवाही शासन स्तर पर की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि न्याय प्राधिकरण का फैसला कब शासन को प्राप्त हुआ था ? और उसके फैसले के ऊपर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

न्यायाधिकरण का फैसला 7-4-79 को हुआ था ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं आया है । मैंने यह प्रश्न किया था कि न्यायाधिकरण का यह फैसला शासन को कब प्राप्त हुआ और उस समय से लेकर अर्थात् 7-4-79 से अब तक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, मामले पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह तो मूल उत्तर में ही दिया हुआ है कि निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कार्यवाही शासन स्तर पर की जा रही है । मेरा प्रश्न है कि इसको प्राप्त हुए लगभग 1 1/2 वर्ष हो गये हैं, तो इस अवधि में कार्यवाही न किए जाने के क्या-क्या मुख्य कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस पर विचार हो रहा है । मामला कार्मिक विभाग को रेफर किया गया है । उसके पश्चात् चयन समिति बना दी जायेगी और फिर विधिवत् पात्रता सूची में लेन का जो निर्णय होगा, उनको ले लिया जायगा ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी आगे के लिए कोई आश्वासन देंगे कि किस समय यह कार्मिक विभाग आदि से परामर्श करके इस सम्बन्ध में पूरी कार्यवाही कर दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

शीघ्र ही करा दिया जायेगा ।

*6--श्री प्रियदर्शी जेतली, श्री जैराज गौतम तथा श्री कल्याण सिंह--

[7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोन्डा जिले की कृषि मन्डी समिति के नचौरा जहदरिया मार्ग पर पुल निर्माण की मांग

*7--श्री अकबाल हुसैन--

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोंडा के विकास खंड गैसड़ी में तुलसीपुर कृषि मंडी समिति के अन्तर्गत बन रही नचौरा जहदरिया सम्पर्क मार्ग पर अभी तक कोई पुल नहीं बना जिससे बाढ़ का पानी रुकने से जून, 1980 के प्रथम पखवाड़े में एक हरिजन औरत डूब कर मर गयी ? यदि हां, तो उस पर कार्य पूरा कराने का सरकार क्या उपाय कर रही है और कब तक कार्य पूरा होने की आशा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

कृषि उत्पादन मंडी समिति, तुलसीपुर द्वारा नचौरा जहदरिया सम्पर्क मार्ग पर अब तक कोई पुल नहीं बनाया गया है । इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी भरने से एक हरिजन महिला की मृत्यु हुई है किन्तु दुर्घटना के दिनांक की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है ।

नचौरा जहदरिया सम्पर्क मार्ग पर एक पुल तथा 10 छोटी पुलियों का निर्माण मंडी समिति द्वारा कराया जाना है । इसके प्रथम किलोमीटर में बनने वाली एक छोटी पुलिया का निर्माण जनवरी, 1981 तक पूर्ण होने की सम्भावना है । एक बड़े पुल तथा शेष पुलियों के लिये निर्माण सामग्री उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

श्री अकबाल हुसेन--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि मेरी निश्चित जानकारी है कि इस सड़क के निर्माण के लिए मार्च, 1978 में 60 हजार रुपये उपलब्ध करा दिये गये थे, इस पुल और पुलियों के निर्माण के लिए तो क्या कारण है कि उस धनराशि में से पुलियों के निर्माण के लिये कोई पैसा नहीं लिया गया और क्या मंत्री जी उन छोटे कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे जिनकी लापरवाही के कारण ये पुलियां नहीं बन सकीं और उससे उस महिला की मृत्यु हो गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि इस पुलिया के न होने से और पानी के भरने से महिला की मृत्यु हुयी, मृत्यु तो हुयी है । माननीय सदस्य के कथन को मैं उचित मानता हूं कि इन पुलियों का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करा दिया जायेगा । रूरल इन्जीनियरिंग सर्विस विभाग को इनके निर्माण का कार्य दिया जा चुका है और हमारा पूरा प्रयास होगा कि इसी वित्तीय वर्ष में इन पुलियों का निर्माण करा दिया जाय ।

श्री अकबाल हुसैन--

जब इस काम के लिए 3 वर्ष पूर्व पहले से पैसा मौजूद था, तो इनके न बनने के क्या कारण है क्या सामग्री उपलब्ध नहीं थी या और कोई कारण रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

चूंकि ह्यूम पाइप्स और सीमेन्ट की कमी थी । उनकी व्यवस्था नहीं हो पायी, कार्य न होने का यही कारण रहा होगा ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

अगर पुलिया उसके मरने का कारण नहीं है, तो और क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो उन्होंने बताया कि कारण नहीं पता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इन पुलियों के बनाने के आदेश शासन की ओर से ग्रामीण इन्जीनियरिंग सेवा विभाग को कब भेजे गये ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जून, 1978 में पुलिया बनाने के आदेश भेजे गये ।

श्री अकबाल हुसेन--

जो महिला मरी है, उसको शासन की ओर से कोई सहायता दी गयी या दिलायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसकी जानकारी नहीं है इस समय ।

श्री कन्हैया लाल—

जब जून, 1978 में सरकार की तरफ से आदेश भेजे गये, तो सीमेन्ट और पाइप आदि का इन्तीजाम क्यों नहीं किया गया जिसके कारण यह काम नहीं हो सका ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मैंने यह स्पष्ट आश्वासन दिया है, सदन में इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक सम्पूर्ण कार्य करा दिया जायेगा, इसके बाद अब अधिक प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाती ।

पंचायती राज विभाग की राजाज्ञा से प्रभावित वाराणसी जिला परिषद् के कर्मचारी

*8—श्री ऊदल—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा संख्या 2560 काई0 ई0-1-50/1980—पंचायती राज अनुभाग-1, लखनऊ, दिनांक 8 मई, 1980 के अन्तर्गत जिला परिषद्, वाराणसी में कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं ? क्या यह सही है कि कुछ कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है ?

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

पंचायती राज अनुभाग-1 की राजाज्ञा सं0 2560-क/33-1-50-80, दिनांक 8 मई, 1980 के क्रम में जारी किये गये पंचायती राज अनुभाग-2 के रेडियोग्राम सं0 582-बी/33-2-190-71, दिनांक 12 मई, 1980 के फलस्वरूप अधिसूचना संख्या 582-बी/33-2-190-71, दिनांक 13-3-80 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला परिषद्, वाराणसी में 12 कर्मचारी प्रभावित हुये हैं । इन प्रभावित 12 कर्मचारियों में से 4 कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है ।

श्री ऊदल—

जिन 4 लोगों ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, वह तो जिला परिषद्, वाराणसी म काम कर रहे हैं, जो 8 बाकी बचे, जो कोर्ट नहीं गये, उनका क्या कसूर है, क्या उसकी सूचना है मंत्री जी को ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह तो सूचना दी गयी है अभी कि जिन 4 ने स्थगन प्राप्त कर लिया वे कार्य कर रहे हैं ।

श्री ऊदल—

सरकार की तरफ से भी कि यह रिट स्वीकार न हो कोई कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी---

चूंकि यह प्रश्न सब जूडिस है, इसलिये विस्तार से कुछ नहीं कहा जा सकता । लेकिन 30 जुलाई, 1980 को सरकार की तरफ से काउन्टर एफीडेविट दाखिल किया गया है । मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस विषय में जितनी चिन्ता माननीय सदस्य को है, मुझे भी है । कुछ दिनों में यह तय हो जाने दीजिये, उनको निराशा नहीं होगी ।

*9--श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

[माननीय सदस्य ने वापस लिया ।]

खाद पर सब्सिडी दिये जाने सम्बन्धी आदेश

*10---श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

दिनांक 9 जुलाई, 1980 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि खाद पर सब्सिडी देने हेतु जो आदेश दिनांक 9 जून, 1980 को समस्त जिलाधिकारी को भेजा गया है उसमें सब्सिडी के पाने के पात्र होने हेंतु क्या-क्या प्रतिबन्ध (शर्तें) लगाये गये हैं ? क्या कृषि मन्त्री जी उक्त आदेश सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

शासनादेश संख्या ए-5034/बारह-5-63/80, दिनांक 9 जून, 1980, जिसमें अनुदान की अनुमन्यता की शर्तों का उल्लेख है, की प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी '5' आगे पृष्ठ 1123 पर)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय मंत्री जी ने जो शासनादेश नत्थी करके दिया है, इसके पैरा 2 पर लिखा है, उक्त अनुदान की सुविधा निम्नलिखित शर्तों पर उपलब्ध कराई जायगी।

(1) उपरोक्त सुविधा केवल उन क्षेत्रों के कृषकों को उपलब्ध होगी जहां सूखे से खरी 1979 में 50 प्रतिशत से अधिक हानि हुई हो और रबी उगाई ही न जा सकी हो।

मान्यवर, मेरी ऐसी सुनिश्चित जानकारी है कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में शायद ही एकाध जिले ऐसे हों जहां की फसल बिलकुल उगाई ही न जा रही हो और इस कारण यद्यपि शासन ने यह सुविधा देने की घोषणा की है, लेकिन सीमान्त लघु और जनजाति के कृषक कतई इससे लाभान्वित नहीं हो रहा है । अतः क्या उनको लाभान्वित करने की दृष्टि से यह प्रथम में जो लिखा गया है कि रबी उगाई ही न जा सकी हो, इसको विदड्रा करने का कष्ट करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जो माननीय सदस्य की राय है, उससे शासन भी पूर्णतया सहमत है और इस मामले में पहले ही कार्यवाही कर ली गई है । एक पत्र केन्द्रीय सरकार को, यह जो कंडीशन लगा दी है कि रबी की फसल उगाई ही न गई हो, इसके

बारे में लिखा गया था, तो वहां से उसका जवाब यह आया कि जहां खरीफ की फसल में 50 परसेंट नुकसान हुआ हो और रबी की फसल में 50 परसेंट नुकसान हुआ हो, ऐसे पात्र किसानों को सब्सिडी दे दी जायगी। लेकिन इसमें भी देखा गया कि बहुत से ज्यादा अच्छे किसानों को फायदा नहीं हो पायेगा, तो दुबारा लिखा-पढ़ी केन्द्रीय सरकार को की गई और यह कंडीशन समाप्त कर दी गयी कि जहां खरीफ की फसल का नुकसान 50 परसेंट और रबी की फसल का नुकसान 50 परसेंट हुआ है, यह सुविधा मिलेगी। जहां 50 परसेंट नुकसान हुआ है, उन तमाम पात्र किसानों को सब्सिडी दी जायगी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

यह आदेश कब भेजा गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसको मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं पढ़ देता हूं।

District Magistrate

No. A-7537/XII—5-80, dated August 28, 1980 in partial modification of G. O. no. A-5034/XII—5, dated June, nine, read with G. O. no. A-6203/XII—5, date July, seventeen and G. O. no. A-6588/XII—5, dated twenty-fifth July, 1980 regarding disbursment of subsidy on fertlisers seeds, etc, Government have decided that farmers of draught affected areas where losses in Kharif 1979 have been 50 per cent or more regardless whether they could grow a Rabi crop during 1979-80 or not be given subsidy up to the end of the financial year 1980-81.

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, कल इन्होंने हिन्दी दिवस मनाया है और आज अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी यह जो आदेश गया है, इसको स्पष्ट रूप से कि यह क्या है, इसको आप थोड़े में हिन्दी में बता दीजिए।

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इस जी0 ओ0 के द्वारा स्पष्ट जिलाधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं, खरीफ 1979 में जहां 50 प्रतिशत नुकसान हुआ है, उन तमाम पात्र किसानों को सब्सिडी दी जाय।

श्री भीखा लाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 1980 की बाढ़ और अतिवृष्टि को देखते हुए अपने आदेश में कुछ परिवर्तन करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसको देखवा लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस शासन का सम्पूर्ण काम हिन्दी में और देवनागरी लिपि में होगा, इस नियम के होते हुए यह शासनादेश अंग्रेजी में क्यों गया और क्या इस मामले में जांच करके दोषी अधिकारी को दंडित करने का कृपा करेंगे? जी० ओ० में लिखा है कि जो अधिकारी ऐसा नहीं करेगा, उसकी चरित्र पंजिका में ऐसा लिख दिया जायगा कि वह सरकारी अधिकारी राज्य भाषा में कितनी रुचि ले रहा है। इस सम्बन्ध में क्या माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, आगे से प्रयास किया जायेगा कि पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

नहीं मान्यवर, यदि आप अनुमति दें, तो प्रश्नोत्तर काल के बाद में वह शासनादेश दिखा सकता हूं जो मेरे कार्यालय में संचित है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि शासन का सम्पूर्ण कार्य राज्य भाषा देवनागरीलिपि में ही किया जायेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो हो गया है, उसके लिए क्या वे क्षमा याचना करेंगे और यह आश्वासन देंगे कि जो इसके प्रति दोषी अधिकारी हों, उन्हें दन्डित करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, जो अभी पढ़ा गया वह जी० ओ० नहीं है, यह एक टेलेक्स है।

श्री रियासत हुसेन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अभी टेलेक्स पढ़ा, तो क्या उसमें कोई अंतिम तिथि भी दी है कि फलानी तारीख तक सब्सिडी दी जायेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

मार्च, 1981 तक दी जायेगी।

श्री विजय सिंह राना—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन 50 प्रतिशत लोगों को देंगे तो क्या उनकी सूची उपलब्ध करा ली गयी है? यदि हां, तो क्या है, वह सूची?

श्री बलराम सिंह यादव—

हां, यह जिलाधिकारियों को आदेश दे दिये गये हैं कि वह सूचियां बनाकर तैयार करें।

तहसील रानी खेत में कुरमुला रोग निवारण अभियान

*11—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत तहसील के विकास खण्ड स्परिन्द, विकास खण्ड मिक्पासैन, विकास खण्ड चौखोटिया तथा विकास खण्ड ताड़ीखेत में अधिकांश खरीफ की फसल कुरमुला के प्रकोप से नष्ट हो गई है? क्या इन क्षेत्रों में शासन की ओर से कुरमुला नाशक दवा गत तीन वर्ष से अभियान के तौर पर कृषकों को मुफ्त दी गई है? (कुरमुला नष्ट नहीं हो रहा है।) क्या यह सत्य है कि दवा पुरानी थी? यदि हां, तो क्या सरकार इसके स्थान पर अन्य प्रभावकारी दवा का प्रयोग करने की कृपा करेगी?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं, आंशिक रूप से क्षति हुई है।

केवल विकास खण्ड स्परिन्द चौखुटिया तथा सल्ट में वर्ष 1976–77 से 1978–79 तक निःशुल्क कुरमुला निवरण अभियान चलाया गया था।

योजना के प्रारम्भिक वर्ष 1976–77 में प्रयोग हुई दवा की कुछ मात्रा पुरानी थी परन्तु मानक स्तर की थी।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, शासन की ओर से 3 वर्ष तक उन विकास खण्डों में मुफ्त दवा वितरण की गई और इन कृषकों के खेतों में इस वर्ष बिल्कुल अनाज ही नहीं हुआ और जिन खेतों में दवा नहीं डाली गई थी, तो उन खेतों में फिर भी कुछ फसल हुई है, तो मान्यवर, शासन की ओर से जो पुरानी दवा डाली गई और जिसके कारण फसल बिल्कुल नहीं हुई, तो सरकार क्या उन कृषकों को मुआवजा देगी?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बता रहे हैं कि आपकी दवा से फसलों को नुकसान हो गया है, तो उसके लिए कोई मुआवजा देंगे?

श्री बलराम सिंह यादव—

हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें 30 से 35 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सेंट परसेंट नुकसान हुआ है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो इन दवाओं के कारण तमाम नुकसान हुआ है और पर्वतीय क्षेत्र में वैसे भी उत्पादन कम होता है और इसके साथ ही कुरमुला कीट का प्रकोप नष्ट नहीं हो रहा है, तो इन सारी बातों को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी उन कृषकों को मुआवजा देने की घोषणा करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसको दुबारा दिखवा लिया जायगा और यदि आवश्यकता हुई, तो कोई अन्य दवा अथवा कोई और व्यवस्था करा दी जायेगी?

*12—श्री विद्यासागर नौटियाल—

[5वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

छटनी शुदा कृषि अमीनों की आयु सीमा में वृद्धि पर विचार

*13—श्री अंगबहादुर—(अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मितव्ययता अथवा प्रशासनिक कारणों द्वारा छटनी किए गये कृषि अमीनों को, जिनकी खपत नहीं हो पाई है, उन्हें आयु सीमा की छूट देकर नौकरियों में पुनः स्थान देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूरा किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

छटनी शुदा कृषि अमीनों को सेवा में खपाये जाने हेतु आयु सीमा से छूट दिये जाने की सुविधा शासनादेश संख्या 41/2/1967 कार्मिक-2, दिनांक 6 जुलाई, 1977 में तीन वर्ष के लिये दी गई थी। इस सुविधा की अवधि 5 जुलाई, 1980 को समाप्त हो गई है । उक्त अवधि को बढ़ाये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

जालौन जिले में कालपी-गुलौली मार्ग के निर्माण की कथित स्वीकृति

*14—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन में कालपी से गुलौली मार्ग इस वर्ष सूखा राहत कार्यों में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो इस मार्ग पर कार्य शुरू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शंकर सिंह—

श्रीमन्, बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने पहले प्रश्न में ही कह दिया कि जी नहीं । मान्यवर, सूखा राहत समिति जिलों में बनी थी और विधायक उस समिति के सदस्य थे । मैं विधायक होने के नाते उस समिति का सदस्य था । यह मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि यह सड़क मंजूर की गई थी, तो श्रीमन्, पहले तो आप यह बता दें कि यह सड़क आप सूखा राहत योजना में न रखकर किसी दूसरी योजना में तो नहीं रखे हैं या आपके पास कोई सूची हो जो सड़कें स्वीकृत हुई हैं, अगर उसमें यह नहीं है तो आगे की बात बनती है ।

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, बताने के लिये उपस्थित हुआ हूं । सम्बन्धित सड़क 1979-80 में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 10 किलोमीटर की स्वीकृत हुई थी, इस वर्ष नहीं ।

श्री शंकर सिंह--

यह सड़क स्वीकृत तो 1979-80 में हुई किन्तु कार्य तो इस वर्ष होना था । आप इस बात से इंकार नहीं करेंगे सूखा राहत कार्य सितम्बर, 1980 तक होना था । जो सड़क पिछले वर्ष स्वीकृत हो चुकी है उस पर काम हुआ या नहीं ? यदि नहीं हुआ, तो क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मैं फिर धृष्टता करूंगा अगर आप कार्यान्वयन पूछते, आपने प्रश्न पूछा था स्वीकृत कब हुई । खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 10 किलोमीटर की एक सड़क कालपी से गुलौली तक सम्बन्धित समिति द्वारा स्वीकृत की गई थी 1979-80 में । उसके बाद सर्वेक्षण कराया गया । सर्वेक्षण में देखा गया कि बीच में काफी कटाव है, मीटिंग में यह पास हुआ कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत इस सड़क का बनाना सम्भव नहीं है इसे पी० डब्लू० डी० बनाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा । इसे खाद्यान्न योजना स्कीम में रिजेक्ट कर दिया गया, पी० डब्लू० डी० को लिखा जायेगा ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि प्रश्न नहीं उठता । प्रश्न भी उठ गया और उत्तर भी सामने आ गया । दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगा यह सड़क स्वीकृत हुई है, सड़कों का पहले सर्वे कराया जाता है कि सड़क बनने लायक है या नहीं उसके बाद स्वीकृति मिलती है । मैं कहना चाहता हूं कि इनके अफसरान, इनके कर्मचारी इस सड़क का काम नहीं करना चाहते हैं, इसलिये यह हुआ है । यह गुलौली गांव ऐसा है, जहां अल्पसंख्यक मुसलमान रहते हैं 5 हजार की आबादी है, इस गांव की । कुछ अधिकारी ऐसे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इस गांव तक सड़क पहुंचे । यह अल्पसंख्यकों का गांव है, यहां कोई सवारी का साधन नहीं है । इस सड़क को बनाने के लिये क्या मन्त्री जी आवश्यक ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, सर्वे कराया गया । जिस वक्त योजना स्वीकृत हुई, उसके बाद सर्वेक्षण कराया गया, जो व्यावहारिक कठिनाई थी, वह सामने आ गई । मैं यह नहीं कहता या शासन का यह कहना नहीं है कि यह सड़क नहीं बनेगी । इस विभाग से सम्बन्धित खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत यह सम्भव नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा चीजों की आवश्यकता है । इसको दूसरे विभाग के द्वारा बनाना होगा । माननीय सदस्य अगर कुछ लिखकर देंगे तो मैं देखूंगा ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बननी होती है पहले उनका प्रापोजल होता है फिर सर्वे होता है उसके बाद इस्टीमेट सैक्सन होता है, तो कौन सी स्टेज पर इस सड़क को रिजेक्ट किया गया और सड़क को रिजेक्ट करने की सूचना क्षेत्रीय विधायक को दी गई या नहीं और रिजेक्ट किन कारणों पर की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जब किसी चीज का जब सर्वेक्षण किया जाता है, तब तय की जाती है । जैसे जब कोई पुल बनाया जाता है, तो जब उसकी बोरिंग आदि की जाती है, तब मालूम होता है कि वहां पुल बन सकता है या नहीं और जहां तक क्षेत्रीय विधायक को यह खबर नहीं दी गई, तो इसके बारे में देख लूंगा ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

जो अधूरी सड़कें पड़ी हैं, उनको बनाने का कोई योजना है या उन्हें भी समाप्त करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप तो पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं । यह इसमें नहीं आता ।

सीतापुर जिले में मूंगफली की खेती में गिरावट

*15--श्री हरगोबिन्द वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि सीतापुर जिले में मूंगफली की खेती समाप्त हो रही है ? यदि हां, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है कि जिससे मूंगफली का उत्पादन बढ़ सके ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सीतापुर में मूंगफली की खेती समाप्त नहीं हो रही है परन्तु उसमें गिरावट अवश्य आयी है । मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए सघन कृषि विधियों को अपनाने पर बल दिया जा रहा है और संस्तुत मात्रा में उर्वरक अच्छे बीज एवं कीटनाशक दवाओं के प्रयोग कराने का विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रमाणित एवं ट्रूथफुल (truthful) बीजों तथा कीटनाशक दवाओं पर अनुदान भी दिया जाता है ।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है कि समाप्त नहीं हो रही है, परन्तु उसमें गिरावट आवश्य आयी है, तो मैं माननीय मन्त्री जी को बतलाना चाहता हूं कि सीतापुर जिले में मूंगफली से लगे हुए कारोबार में कितने कृषक, मजदूर और कुटीर उद्योग धन्धे थे । मान्यवर, लगभग 200 वहां पर कुटीर उद्योग धन्धे थे, करीब-करीब 10 हजार लेबर था और लगभग 50 हजार कृषक उसमें लगा हुआ था । मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग इससे बेकार हो गये हैं, और जो गिरावट आयी है, उसका क्या कारण है, दर्शाया जाय ? यदि नहीं है, तो क्या बतायेंगे कि गिरावट का क्या कारण था और जो बेकार हो गये हैं, उनके लिए आगामी कार्यक्रम बनायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मूंगफली की खेती में, जैसा कि अनुभव किया गया है, वह यह है कि छोटे और सीमान्त कृषक ज्यादातर इस को करते हैं और इसके लिए मौसम की अनुकूलता की आवश्यकता होती है । जो छोटे और सीमान्त कृषक हैं, वे सघन कृषक के कार्यक्रम में रुचि कम लेते हैं और इधर 2-3 वर्षों का मौसम भी उपयुक्त नहीं रहा है, इस लिए इसमें गिरावट आयी है ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि सीतापुर जिले में एक डलडा मिल लगी हुई हैं, उसमें मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया जाता था । अब वह पाम

आयल खरीद कर इस्तेमाल करते हैं, मूंगफली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसा कोई व्यवस्था करेंगे कि डालडे में मूंगफली का तेल डालडे में काम आने लगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मेरा पूरा प्रयास है कि क्या सीतापुर जिला बल्कि अन्य जिलों में भी जहां इस तरह का काम चल रहा है उसको और अधिक तेजी से चलाने के लिए जो हमारी स्कीम है उसको अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जा सके ।

श्री मुख्तार अनीस--

सीतापुर जिले में मान्यवर, खेती चौपट हो जाने से 200 तेल मिलें बन्द हो गयी हैं और हजारों लोग बेकार हो गये हैं, तमाम कृषक बेकार हो गये हैं तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी को इस बात की कोई सूचना मिली है कि मूंगफली की खेती की जो जमीन है, वह अनुत्पादक हो रही है, मिट्टी खराब हो रही है, तो क्या मिट्टी की जांच कराने और खाद उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे । दूसरी चीज यह है कि मूंगफली के अच्छे बीज को सीतापुर के कृषकों को उपलब्ध कराने की मन्त्री जी व्यवस्था करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, हमारे यहां मृदा परीक्षण की प्रयोगशालायें हर जिले में हैं । अगर किसी किसान की कोई शिकायत आती है, तो उसका जरूर मृदा परीक्षण कराया जायगा और उर्वरक का समुचित प्रबन्ध कराया जायगा ।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, सीतापुर जिले में जो मूंगफली की खेती होती है, उसका सम्बन्ध डालडा मिल से है । डालडा मिल के ऊपर जो रहम सरकार का है, उसको खत्म करने की सरकार योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो किसानों की जो मूंगफली है, उसको खरीदने की सरकार योजना बनायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, मेरा अपना ख्याल है कि माननीय सदस्य अगर मूंगफली के उत्पादन तक ही अपने प्रश्न को सीमित रखें तो ज्यादा उपयुक्त होगा ।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, हमारे प्रश्न को खत्म करने की योजना है । मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यह सीतापुर का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि कुटीर उद्योग धंधों और खेती का सम्बन्ध पूरे प्रदेश से है । सरकार ऐसी योजना चलाती है, जिससे उद्योगपति माल माल हो रहे हैं और किसान मर रहा है, इसलिये मैं इस प्रश्न को डालडा मिल से जोड़ने की कोशिश करता हूं । डालडा मिल पूंजीपतियों की है और किसान गरीब है, मजबूर है । उसको खत्म करने के लिए पाम आयल विदेश से मंगा कर दिया जा रहा है और हमारे जिले का जो उत्पादन है, उसको नहीं लिया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

वर्मा जी, आप भाषण दे रहे हैं । बैठिये ।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

इसका सम्बन्ध किसान से है ।

(श्री भीखा लाल का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री मुख्तार अनीस--

माननीय, एक प्रश्न कर लेने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, मैंने भीखा लाल जी को बुला लिया है ।

श्री भीखा लाल--

माननीय, लघु, सीमान्त कृषक ही मूंगफली की खेती करते हैं और सधन खेती की विधियां अपना नहीं पाते हैं । मेरा कहना है कि सरकार से जो सुविधायें दी जाती हैं वह लघु और सीमन्त कृषकों तक नही पहुंच पाती है और बड़े किसान उसका फायदा उठाते हैं, क्या मन्त्री जी इसकी जानकारी करायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

बड़े किसानों को यह सुविधा दी ही नहीं जाती है । यह सुविधा सीमन्त, लघु और अनुसूचित जाति के कृषकों को दी जाती है और उन्हीं को दी जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष, जो सरकार के पास आंकड़े हैं, कितने एकड़ भूमि में मूंगफली की खेती हो रही है और सरकार ने कितना बीज उपलब्ध कराया है । मेरी सुनिश्चित जानकारी है और मैं व्यक्तिगत रुचि इसमें ले रहा हूं । मैंने कई पत्र भेजे हैं और जिलाधिकारी ने भी पत्र लिखा है कि इस बार बीज की कोई व्यवस्था नहीं है । पिछले दो वर्षों में जब जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय काफी मात्रा में बीज उपलब्ध कराया गया था ।

श्री बलराम सिंह यादव--

पिछले साल जनता पार्टी की सरकार में 40 क्विंटल बीज का प्रबन्ध था। इस वर्ष 48 क्विंटल बीज का प्रबन्ध किया गया है ।

श्री मुख्तार अनीस--

मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि सीतापुर में जो मूंगफली की खेती होती है, उसके लिए कितना बीज पर्याप्त है । दूसरी चीज यह कि सीतापुर जिले की पूरी की पूरी मूंगफली की खेती चौपट हो रही है । विदेश से रेपसीड आयल मांगाया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितना रेपसीड आयल यहां की डालडा मिलों को उपलब्ध कराया गया और कितना मूगफली का बीज सीतापुर जिले में उपलब्ध कराया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

माननीय, 48 क्विंटल मूंगफली का बीज सीतापुर जनपद के लिये हमारे पास उपलब्ध है ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 48 क्विंटल बीज, जो पूरे जिले के लिये सप्लाई किया है, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के अनुपूरक प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने बताया है, तो टोटल एवरेंज मूंगफली का कितना है और उसके कितने परसेन्ट को कवर करता है । यह बीज कितने का है, इसको सपोर्ट प्राइज क्या रखी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह सर्टीफाइड बीज है । मूंगफली की सपोर्ट प्राइज 1979 के लिये 190 रुपये रखी गई थी ।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

मान्यवर, सरकार की तरफ से स्पष्ट उत्तर नहीं आया है, इसलिये नियम 49 के अन्तर्गत इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति मान्यवर, आप दे दें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया) ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, सीतापुर जिले में मूंगफली की खेती की दुर्दशा है, जिससे किसानों को परेशानी है । मूंगफली का अच्छा बीज जिस तरह गुजरात में दिया जाता है, उसी तरह यहां नहीं मिलता है इसलिये क्या मंत्री जी इसकी जांच के लिये कोई उच्च स्तरीय कमेटी सीतापुर जिले में भेजेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जांच करा लेंगे यदि शिकायत है, तो ?

श्री मुख्तार अनीस--

शिकायत की बात नहीं है । एक कमेटी बनाकर क्या जांच करायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

प्रदेश की विचाराधीन फसल बीमा योजना

*16--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि तथा फल उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने केन्द्रीय सरकार से फसलों का बीमा करने के लिए कोई सिफारिश भेजी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो केन्द्र ने उस पर क्या उत्तर दिया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

इस मामले पर राज्य सरकार अभी विचार कर रही है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि राज्य सरकार ने विचार करना इस पर कब से शुरू किया है और योजना के पहलू क्या-क्या हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, राज्य सरकार ने एक समिति बनाई है और यह समिति 21-6-79 को बनाई गयी थी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

किन-किन पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, योजना के तीन पहलू हैं :

1--सम्पूर्ण प्रदेश या प्रदेश के किसी भाग में फसल बीमा योजना चलाये जाने की व्यवहारिकता पर विचार ।

2--यदि फसल बीमा योजना चलाई जा सकती है, तो उसका क्या स्वरूप होगा ।

3--फसल बीमा योजना के सुचारु रूप से चलाने के लिये किस प्रकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता होगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, क्या मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे कि इस वर्ष के अंत तक इस योजना पर सम्पूर्ण रूप से विचार करके केन्द्र को सिफारिश कर देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, शासन का इस तरफ पूरा पूरा ध्यान है कि इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र प्रदेश में लागू किया जाय ताकि किसानों की फसल की रक्षा की गारन्टी की जा सके ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कृषि बीमा योजना के बारे में केन्द्र सरकार से इस सरकार को कोई निर्देश पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

केन्द्र सरकार ने एक जनरल इंसोरेन्स कंपनी द्वारा जो योजना बनायी गयी थी उसको अपने पत्र के साथ भेजा था ।

*17--श्री बलदेव सिंह आर्य--

[चौथे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 द्वारा उत्तरित ।]

रामपुर जिले में खाद का आवंटन

*18--श्री बलबीर सिंह (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर में किसानों को जो खाद दी जा रही है वह खाद के बोरे अनस्टैन्डर्ड और हाथ की सिलाई बिना प्लास्टिक झिल्ली, कटे-फटे और भीगे हुए दिये जा रहे हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

अभ्यास पुस्तिका एवं नोट बुक की उपलब्धता

**1--श्री सुनील शास्त्री--

क्या शिक्षा मन्त्री को यह ज्ञात है कि शासन अथवा सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को अभ्यास पुस्तिकाएं व नोट बुक या तो उपलब्ध नहीं है अथवा असाधारण मंहगें दामों पर बिक रही है ? यदि हां, तो क्या शासन इन अभ्यास पुस्तिकाओं व कापियों के दाम निश्चित करके उन्हें फेयर प्राइस शाप द्वारा बेचे जाने की व्यवस्था करेगी ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में कापियों की उपलब्धता में कठिनाई थी, क्योंकि भारत सरकार द्वारा प्रदेश के आवंटित रियायती मूल्य के कागज की आपूर्ति मिलों द्वारा संतोषजनक नहीं हो सकी थी । (रियायती कागज से निर्मित अभ्यास पुस्तिकाओं के मूल्य अभ्यास पुस्तिका आदेश 1977 के अन्तर्गत निर्धारित किये जाते है और किये जा चुके हैं) । इस समय जिलों में इन अभ्यास पुस्तिकाओं का वितरण उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ के माध्यम से किया जा रहा है । जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जिले के सभी विद्यालयों को संघ की शाखा से सम्बद्ध कर दिया गया है जहां से विद्यार्थियों को अभ्यास पुस्तिकायें प्राप्त हो रही हैं ।

श्री सुनील शास्त्री--

क्या शिक्षा मन्त्री जी को यह जानकारी हैं कि नोट बुक निर्माता निर्धारित पन्नों से कम पन्नों की कापियां बना रहे हैं । इसे रोकने की दिशा में शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, हमारे जो पुस्तिकायें निर्माता हैं, उनको कागज आवंटित किया जाता है और उस कागज से वे पुस्तिकायें बनाते हैं । उन पुस्तिकाओं को सहकारी उपभोक्ता संघ खरीदती है और अपनी शाखाओं से स्कूलों को देती हैं । जहां तक 64 पेज की कापी का प्रश्न हैं, उसके दाम 35 पैसे हैं और उतनी ही पेजेज की कापी मिल रहा हैं । कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है । यदि हमारे जो विधायक हैं, उनके पास कोई शिकायत किसी निर्माता के बारे में आई हो, तो अवश्य हमको दें । उस पर कड़ी कार्यवाही की जायगी ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

क्वेशचन खुद ही शिकायत है ।

श्री सुनील शास्त्री--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या शासन इस पर विचार कर रहा है कि अभ्यास पुस्तिकायें स्कूल के माध्यम से उपलब्ध कराई जायं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । हमारा गवर्नमेंट, नोटिफिकेशन भी निकल चुका है कि जो अभ्यास पुस्तिकायें हैं । उन्हें निर्माता उपभोक्ता संघ को देंगे और वे अपनी शाखाओं को उनसे सम्बद्ध करेंगे और स्कूलों के प्रिन्सिपल उन्हें खरीद कर बच्चों में बंटवा देंगे । इस प्रकार के निर्देश दिये जा चुके हैं ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में अपने जो आदेश दिये हैं, यह कब प्रसारित किये गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

यह 27 जून, 1980 की सरकार के राजाज्ञा के द्वारा, मैं पढ़ देती हूं, पैरा -2, इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के समस्त विद्यालयों को कापियों के अधिकृत व्यापारी एवं सहकारी उपभोक्ता संघ की शाखा जो विद्यालय के निकट हो, सम्बद्ध कर दिया जायगा और इसकी सूचना सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य को दे दी जायगी । यह संख्या के-1759 / 15-6-80-29 (50)/79 ।

श्री विजय सिंह राना--

अब तक क्या किसी विद्यालय को इस प्रकार की कापियां सप्लाई की गई हैं ? यदि हां, तो किस प्रकार से ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सप्लाई की गई हैं वहां पर डी० आई० ओ० एस० के द्वारा । यह बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे दिये गये हैं कि कापियों की सप्लाई अपने स्टुडेन्ट्स की संख्या के अनुसार...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न का उत्तर तो आने दीजिए...

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो वहां पर भंडार है वहां से लेकर करें ।

श्री जयराम गौतम--

जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गयी है, उसमें कितने सदस्यों और क्या जिले के विधायकों को भी उस समिति में शामिल किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस समिति में जिलाधिकारी, डी० आई० ओ० एस०, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उपभोक्ता संघ के अधिकारी हैं । विधायक इसमें नहीं हैं लेकिन माननीय सदस्य का प्रोपोजल है कि विधायक भी इसमें रखे जायं, तो इस पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री दलगंजन सिंह--

मेरे जिले में ऐसी कोई समिति नहीं बनी है और न किसी विद्यालय में कापी ही सप्लाई की गयी है । मेरी सूचना को सही मान कर क्या माननीय मंत्री कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो क्या ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री ने इस सम्बन्ध में पहले ही सूचना दे दी है ।

श्री मित्र सेन--

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर में कहा है कि अभ्यास पुस्तिकाएं तथा पाठ्य-पुस्तकें उपभोक्ता सहकारी समितियों के जरिये उपलब्ध कराई जा रही हैं, तो किसी जनपद में कितने क्रय-विक्रय तथा उपभोक्ता भंडार हैं, जिनके जरिये कापियां उपलब्ध कराई जा रही हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री पंचानन--

केन्द्रीय सरकार द्वारा कागज कम मिला लेकिन जो कम कागज मिला और प्रकाशकों को दिया गया पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन के लिये तो क्या उनसे हिसाब लिया गया कि कितनी किताबें उन्होंने प्रकाशित की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह जो प्रश्न है, यह अभ्यास पुस्तिकाओं के बारे में है न कि पाठ्य पुस्तकों के बारे में ।

श्री पंचानन--

नियम 52 में 9 जुलाई को इस प्रश्न को चर्चा हेतु स्वीकर किया गया था लेकिन कोई तारीख उसके लिये निर्धारित नहीं की गयी तो इसकी तारीख निश्चित करा दें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के बाद आप इसे उठायें ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मैं भी माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री दामोदर शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

(व्यवधान)

नोट :--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया बैठें । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया बैठें । मैंने आपको नहीं बुलाया है ।

श्री दामोदर शर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि जो उपभोक्ता भंडार हैं, उनके पास जो कापियां हैं और जिनकी कीमत तीस पैसे थी, वह आज बाजार में 2.30 पैसे में बिक रही हैं । अगर ऐसा है तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष--

आपका मतलब है कि कापियों के दाम ज्यादा क्यों लिया जा रहा है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जिस मूल्य की कापी पहले मिलती थी यानी जो 64 पेज की कापी थी, वह 30 पैसे की थी । उसे अब रिवाइज कर दिया गया है और उसका दाम 35 पैसे कर दिया गया है । इस मूल्य पर बाजार में बिक रही है ।...

(व्यवधान)

श्री दामोदर शर्मा--

जो कापी 30 पैसे में बिकती थी, जिसको बताया गया है कि वह 35 पैसे कर दिया गया है किन्तु मान्यवर, वही कापी आज 2.30 पैसे में बाजार में बिक रही है ।...

(व्यवधान)

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट पुनः खड़े होकर बोलने लगे ।)

(प्रश्न संख्या 2 पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लीजिये...

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं आपके माध्यम से सदन में यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि मेरी बात भी सुन ली जाय । मैं यह पुस्तिका अल्मोड़े से लाया हूं और वहां के बुक सेलर इसको मनमाने दाम पर बेंच रहे हैं...

श्री अध्यक्ष--

माननीय जसवन्त सिंह जी, आप कृपया बैठ जायं ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

आप ही इसको देख लीजिये, कितनी लूट हो रही है ।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट अपनी सीट से उठकर श्री अध्यक्ष के पास डायस पर अभ्यास पुस्तिका को लेकर गये और उन्हें देने लगे ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दूंगा । आप इसको ले जाइये । जितने विरोधी दल के और शासकदल के लोग हैं मैं सबसे निवेदन करता हूं और विशेषकर नेता विरोधी दल से निवेदन करता हूं कि वे कृपया सदस्य को अनुशासित करने की कृपा करें । मुझे मजबूर न करें । अन्यथा मुझे जो अधिकार (विशेषाधिकार) प्राप्त हैं, मैं उनका उपयोग करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, ऐसा है, माननीय सदस्य ने आपकी आज्ञा का पालन कर लिया है । लेकिन एक प्रश्न उन्होंने उठाया है कि एक कापी इतने दाम में ब्लैक में मिल रही है । मैं चाहूंगा आपके माध्यम से उसे मंत्री जी तक पहुंचा दें, उनकी भावना का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा जो भी शिकायत है उसकी चिट्ठी मेरे पास भेज दें मैं मन्त्री जी को भेज दूंगा । माननीय जयसवन्त सिंह विष्ट जी मैं आपको निर्देश देता हूं कि कृपया आप उन किताबों को पढ़िये जो आपको बांटी जा चुकी हैं और इनके अनुकूल कार्यवाही करे ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के परीक्षा शुल्क में वृद्धि

**2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अब विभिन्न परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी गयी है जिससे कि परीक्षाओं में भीषण असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो बढ़ी दरें क्या है ? शुल्क बढ़ाने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा शुल्क को वर्ष 1981 की परीक्षा से क्रमशः रु0 35 व रु0 50 से बढ़ कर रु0 50 व रु0 65 किया गया है । परिषद् के बढ़ते हुए व्यय व उसके आय-व्ययक में आ रहे घाटे को देखते हुए यह वृद्धि की गयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जो उन्होंने जानकारी दी है । बढ़ते हुए व्यय और उसके घाटे को पूरा करने के लिए मैं जानना चाहूंगा कि बजट को संतुलित करने के लिए बोर्ड में जो घोर अव्यवस्था व्याप्त है, और जो

फिजूल खर्ची हो रही है उसको ठीक करने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किया गया । यह जो परीक्षा शुल्क बढ़ाया गया है उससे पहले इन बातों को सोचा गया, क्या प्रयास किये गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

मान्यवर, प्रश्न जो है वह बोर्ड में अनियमितता हुई है उसके विषय में नहीं है । प्रश्न यह है कि बोर्ड ने कितना पैसा बढ़ाया परीक्षा में तो उसमें 35 से 50 और 50 से 65 किया है । पिछले तीन वर्षों में जो घाटा हुआ, जो लाईबिलिटी हमारी खोपड़ी में मढ़ी गयी है उसको भी ठीक करना है और जो आगे दहेज बटोरना है वह अलग है । यह भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि यू० पी० में अन्य प्रान्तों के मुकाबले ज्यादा नहीं है । मैं आपकी आज्ञा से सूचना देना चाहूंगी कि हरियाणा में भी 65 है, जब कि हमारे हाई स्कूल में 50 है और इण्टर सेकेन्डरी में 75 है । कहीं 75 है, कहीं 125 परीक्षा शुल्क । दूसरी बात यह है कि हम अगले साल एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहे हैं कि प्राईवेट और रेगुलर की परीक्षा अलग अलग कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में मुझे बताना है कि रेगुलर का परीक्षा शुल्क नहीं बढ़ा है, केवल प्राईवेट का बढ़ा है क्योंकि प्राईवेट के लिए हमको अलग से प्रबन्ध करना है, इसके लिए दोहरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसी वजह से आप देखेंगे कि एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, उससे हमारा परीक्षा का स्तर कितना ऊंचा उठेगा, हाथ कंगन को आरसी क्या ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह मेरा दुर्भाग्य है जिस सवाल को आपने ग्राह्य कर लिया, मैं मंत्री जी को समझ नहीं पाया, मैं फिर दोहरा देता हूं । मैं उनका आभारी हूं वह बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा रही है । लेकिन जो बोर्ड में घाटा है, उसको संतुलित करने के लिए, उसमें जो फिजूल खर्ची है, उसको दूर करने का प्रयास किया गया ? यदि हां, तो वह क्या है उसकी जानकारी दे दें । दूसरा प्रश्न मैं करना चाहता हूं कि इस वर्ष प्रदेश में बाढ़ के कारण एक विशेष परिस्थिति है, विद्यार्थी और अभिभावक परेशान हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों में बाढ़ से प्रभावित जो विद्यार्थी हैं, उनसे बढ़ा हुआ परीक्षा शुल्क न लेने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों से बढ़ा हुआ शुल्क नहीं लिया जाय यह उनका प्रश्न है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

मान्यवर, जरा यह प्रश्न वह देखें मुझे फिर कहना पड़ रहा है, पिछली बात पंचानन राय जी को कहना पड़ा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी बैठें माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने यह प्रश्न किया है कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए क्या यह जो आपने फीस बढ़ायी है, उसे नहीं लेंगे या उसको कम करेंगे ? यह प्रश्न उन्होंने किया है । मैंने इस प्रश्न का

उत्तर देने के लिए आपको बुलाया है । जब मैंने बुला लिया है, तो बता दें । प्रश्न की विवेचना न करें । फीस में छूट देंगे या नहीं, यह बता दीजिये ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

बाढ़ के विषय में एक तो यह है कि मैंने इसका आधा उत्तर दे दिया कि जितने रेगुलर स्टूडेन्ट्स हैं, उनकी फीस नहीं बढ़ायी है, इस समय 75 लाख 1979-80 में हैं, 1980-81 में बढ़ेगी । लेकिन जहां तक प्राइवेट विद्यार्थियों का सम्बन्ध है, उनकी फीस घटाने के बारे में बाढ़ की वजह से कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है । अभी हमने इसके सम्बन्ध में विचार नहीं किया है । लेकिन हमने जो क्रान्तिकारी कदम उठाया है, प्राइवेट विद्यार्थियों की अलग से परीक्षा कर रहे हैं, उसमें जो खर्चा होगा वह कहां से मीट करेंगे, यह हमको सोचना है । डेट भी बढ़ा दी गयी है बाढ़ की पोजीशन को देखते हुए । इसकी भी सूचना देना चाहती हूं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह कहा है कि चूंकि बोर्ड को घाटा पड़ गया है, इसलिए परीक्षा शुल्क बढ़ा रहे हैं । मैं जानना चाहता हू कि वह ब्रेक अप है बोर्ड के पहले के खर्चे का, किस खर्च में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से परीक्षा शुल्क बढ़ाने के लिए वह बाध्य हुए ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, खर्चे में वृद्धि ही वृद्धि है । तीन साल का हमको ट्रेडीशन मिला है । उसमें खर्च ही खर्च हुआ, आमदनी तो मिल है । मजदूरों के दाम बढ़ गये । कागज के दाम बढ़ गये । बिजली नहीं मिलती थी फैक्टरियों को, जिसकी वजह से कागज कम निकला और उसकी वजह से कागज के दाम बढ़े । फिर जो खर्चे होते हैं केन्द्र में हमने वह भी बढ़ाये । उनको ज्यादा रेमुनरेशन हम दे रहे हैं । 1975 में यह रेट्स 35 रु0 थे उसको 50 किया । 1975 और 1980 तक हर साल जितने दाम बढ़ गये । यह तो नहीं है कहीं मुक्त में परीक्षा हो जाय । कागज कलम की भी जरूरत है, कापी जांचने का भी प्रबन्ध करना है । वह सब खर्च बढ़ा दिया गया है । केन्द्र व्यवस्थापक को 150 से बढ़ा कर 200 और 200 से बढ़ा 225, शिक्षक लिपिक को 100 से 125 बढ़ गये, उनकी भी परेशानी, सोचनी है 150 से बढ़ा कर 190 और 200 से बढ़ कर 250, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 100 से बढ़ा कर 125 और 200 से बढ़ा कर 250 कर दिया गया गया है, 250 से बढ़ा कर 330 कर दिया गया है । यह सब खर्च हमारा बढ़ा है । इसलिए उनको मीट करने के लिए विशेष कर जो अलग परीक्षा हम करेंगे प्राइवेट की, तो उसमें दुगना खर्च तो होगा ही ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

कहना होगा तो खड़े होंगे । आप बैठे ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में एक गम्भीर, विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है । उसे नियम 301 के बाद इसको लेंगे या पहले ले लेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

301 के बाद ले लेंगे ।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम तुरन्तापुर, जिला गोण्डा की हरिजन बस्ती में कूप निर्माण

1—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या पंचायतीराज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम तुरन्तापुर मौजा नरायनपुर कला, विकास क्षेत्र कटरा बाजार, तहसील व जिला गोंण्डा में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को पानी पीने हेतु कुएं का निर्माण 1978 में शुरू किया गया था ? यदि हां, तो निर्माण कार्य पूरा न होने का क्या कारण है ? कुयें के निर्माण में अभी तक कितना धन व्यय किया जा चुका है और अभी कितनी धनराशि की और आवश्यकता होगी ? निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

श्री अम्मार रिजवी—

ग्राम तुरन्तापुर मौजा नारायनपुर–कला, विकास क्षेत्र कटरा बाजार, तहसील व जिला गोंण्डा में हरिजन व पिछड़े वर्ग के लोगों के पानी पीने हेतु किसी भी कूप का निर्माण वर्ष 1978 में शुरू नहीं किया गया था और नहीं उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार हरिजन कूप के निर्माण हेतु प्राथमिकता के आधार पर किये गये सर्वे (चयन) से प्रश्नगत कूप–निर्माण का प्रस्ताव था क्योंकि इस बस्ती में पूर्व से ही एक पेयजल कूप उपलब्ध है जिससे बस्ती के निवासी लाभान्वित हो रहे हैं ।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची एवं प्रोन्नति

2—श्री शम्भू नाथ—

क्या पंचायतीराज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता शासन में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में अधिशासी अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति हेतु क्या कोई ज्येष्ठता सूची बनाई गयी थी ? यदि नहीं, तो प्रोन्नति का आधार क्या रक्खा गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में सहायक अभियन्ता से अधिशासी अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति करने के बारे में कोई ज्येष्ठता सूची नहीं बनाई गई थी ।

अधिशासी अभियन्ता के पदों पर तदर्थ रूप से पदोन्नति करने के लिये निम्नलिखित स्रोतों से अधिकारी लिये गये थे :—

(1) लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित सीधी भर्ती से चुने गये सहायक अभियन्ता, जिन्होंने ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में 6 वर्षों की सेवा कर ली थी ।

(2) अन्य अभियन्त्रण विभागों से ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में सहायक अभियन्ता के पद पर आये हुए अधिकारी जिन्हें ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का भी पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो गया था ।

भूतपूर्व गृहमंत्री, चौधरी चरण सिंह के पत्र पर की गयी कार्यवाही

3--श्री मोहन सिंह, श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 9 विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षर से युक्त प्रेषित पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 77 संलग्नक सहित भूतपूर्व गृह मन्त्री (चौधरी चरण सिंह), भारत सरकार, नई दिल्ली से वापस उचित कार्यवाही के लिए पत्रांक एच-9/मु0 न0--उत्तर प्रदेश-77, गृह निवास, दिनांक 29 नवम्बर, 1977 उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार मुख्य पत्र एवं संलग्नक को कृत कार्यवाही सहित सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, इन्हें सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा । जहां तक कृत कार्यवाही का प्रश्न है, सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्ट्या सिद्ध आरोपों के सम्बन्ध में सी0 सी0 ए0 नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

प्राइवेट डीलरों से खाद की खरीद पर छूट सम्बन्धी कथित नियम

4--श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

दिनांक 9 जुलाई, 1980 के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या कृषि मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्राइवेट डीलरों से खरीदे गए खाद में दिए जाने वाले छूट हेतु शासन द्वारा क्या नियम बनाए गये हैं तथा यह छूट किस तिथि से प्रभावी होगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्राइवेट डीलरों से खरीदे गये खाद पर शासन द्वारा कोई छूट नहीं दी जा रही और न देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है । अतः उसके सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई नियम नहीं बनाये गये हैं ।

5--श्रीमती गोरा देवी--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त किया गया]

ग्राम सभाओं के गठन के सम्बन्ध में जिला टिहरी गढ़वाल एव उत्तरकाशी से प्राप्त प्रार्थना-पत्र

6--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के कितने ग्रामों अथवा ग्राम समूहों की ओर से जिला प्रशासन अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी के पास अपने गांवों के लिए पृथक ग्राम सभाओं के गठन हेतु विगत-तीन वर्षों में प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? सरकार उनके सम्बन्ध में क्या निर्णय ले रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

पिछले तीन वर्षों में टिहरी गढ़वाल में 93 और उत्तरकाशी में 55 प्रस्ताव प्राप्त हुए । इनमें से टिहरी गढ़वाल के 78 और उत्तरकाशी के 53 प्रस्तावों पर

निर्णय लेकर समुचित कार्यवाही की गयी । अब टिहरी गढ़वाल में 15 प्रस्ताव और उत्तरकाशी में 2 प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिन पर जांच हो रही है ।

7—श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

अल्मोड़ा जिले में विकास खंड के सृजन का प्रस्ताव

8—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पंचायत राज मंत्री बतायेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में 1980-81 में कितने नये विकास खंड बनाने का प्रस्ताव है और कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

अल्मोड़ा जनपद में विकास खंडों के सृजन/पुनर्गठन के सम्बन्ध में विवरण जिला स्तर पर एकत्र किये जा रहे हैं । विवरण एकत्र होने के पश्चात् ही इस पर विचार किया जा सकेगा । उक्त जनपद में तुरन्त ही किसी नये विकास खंड की स्थापना का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बाराबंकी जिले की ग्राम सभा अगोनपुर के श्री गोली पासी को दिया गया भैंस के अनुदान सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

9—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मास फरवरी, 1980 को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा, अगनपुर, विकास खंड दरियाबाद, जनपद बाराबंकी के निवासी गोली पासी को रु0 5,000 रु0 बाबत भैंस खरीदने के लिए स्वीकृत हुआ ? यदि हां, तो क्या उसके लिए भैंसों की खरीद न कर उसी ग्राम के सर्वश्री अयोध्या प्रसाद गड़रिया एवं छेदू पुत्र कन्धई धोबी की निजी भैंसों पर डी 195, डी 196 डाला गया जिसकी रसीद बसन्त पांडे, टिकैतनगर द्वारा फर्जी रसीद विकास खंड में दाखिल कर दी गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

10—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस घपले की जानकारी पर श्री राम सुमिरन पान्डे, बिक्री सी अगनपुर, विकास खंड दरियाबाद, जिला बाराबंकी ने कोई प्रार्थना-पत्र जिला अधिकारी, बाराबंकी को तथा ए0 डी0 एम0, नियोजन को क्रमशः दिनांक 19-2-80 को तथा 27-2-80 को दिये थे। यदि हां, तो सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई, यदि हां? तो क्या, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों को पक्का किये जाने की मांग

11—श्री हरिकिशन श्रीवास्तव—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो मार्ग कार्य के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत बनाये गये हैं क्या उनकी मरम्मत होगी और उन पर खड़ंजा बिछाये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । पंचायत राज विभाग द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत बनाये गये मार्गों पर कंकड़ व पत्थर बिछाने तथा इन्हें पक्का कराने हेतु धनराशि की व्यवस्था होने पर ही मार्गों को पक्का कराना संभव हो सकेगा । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्गों की मरम्मत उक्त विभाग द्वारा की जाती है तथा खड़ंजा लगाने का कार्य किया जा रहा है ।

देवरिया जिले के विकास खंड, सलेमपुर की हरिजन बस्ती में कूप निर्माण

12—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले के सलेमपुर ब्लाक के अन्तर्गत 1979-80 व 80-81 में अब तक किन-किन गांवों के हरिजन बस्तियों में पेय जल हेतु कूप बनवाये गये हैं ? उनमें से किन-किन गांवों के कूपों की जोड़ाई सीमेंट के बजाय मिट्टी के गारे से कराई गई है ? और सीमेंट को काले बाजार में बेंच दिया गया, यदि हां, तो पर्यवेक्षक अधिकारियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी—

देवरिया जनपद के सलेमपुर ब्लाक के अन्तर्गत वर्ष 79-80 व 80-81 में अब तक निम्न हरिजन बस्तियों में पेय जल कूप बनवाये गये हैं :—

1—जिरासो	2—मल्हनी	3—छत्रपुरा
4—दुबोली	5—मनिहारी	6—चोरडिहा
7—बरसात	8—रजवल	9—चांदपार
10—श्रीरामकोड़रा	11—सोनवरसा	12—बढ़पुरजा
13—लोहराबभनौली	14—पुरैनी पतलापुर	15—मुसैला (भलुअनी)
16—महुअवा	17—सलेमपुर	18—खखड़ी
19—दोघड़ा	20—विराजभार	21—तिलौली
22—अहिरौली	23—कोल्हुआ	24—खुरधरखोर
25—बनकटामिश्र	26—बिन्दवलिया	27—जोगापुर बैनी
28—मजुरी बु0	29—कोला	30—मधवापुर
31—बडिहादलपत	32—परसिया भन्डारी	33—हिछौरा

इनमें से निम्न 19 गांवों के कुओं की जोड़ाई गोले तक सीमेन्ट से तथा शेष ऊपर के भाग की जोड़ाई सीमेन्ट के बजाय मिट्टी के गारे से की

गयी है किन्तु ये कूप एक ईंट के बजाय डेढ़ ईंट से बनाये गये हैं। इन कुओं में गत वर्षो के पूर्व गोला बांधने तथा गोला गलाने का कार्य हो चुका था। सीमेन्ट के न मिलने के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में वर्षा ऋतु में वर्षा के कारण उनके क्षतिग्रस्त हो जाने की सम्भवना थी। अतः गांव वालों से परमर्श करके शासनादेश संख्या 6638/38--200 (1)/74 सामुदायिक विकास अनुभाग--3, दिनांक अक्तूबर 8, 1974 के प्रस्तर-7 में प्राविधित एक ईट सीमेन्ट की जोड़ाई के बजाय डेढ़ ईट की जोड़ाई मिट्टी के गारे से कराकर कुंओं को पूरा करा दिया गया और क्षतिग्रस्त होने से बचा लिया गया।

1--सलेमपुर।

2--खखड़ी।

3--दोघड़ा।

4--मुसंला भलुअनी।

5--विराजभार।

6--तिलौली।

7--अहिरौली।

8--कोलहुआ।

9--खुरधरखोर।

10--बनकटा मिश्र।

11--विन्दवलिया।

12--मजुरी बु0।

13--जोगापुर बैनी।

14--कोसा।

15--मधवापुर।

16--बडिहादलपत।

17--हिछोरा।

18--परसिया भ0।

19--लोहरा बभनौली।

उपरोक्त कुओं के निर्माण हेतु व्यास तथा गहराई को दृष्टिगत रखते हुए केवल 7 बोरी से 18 बोरी सीमेन्ट प्रति कूप दी गयी है। सम्पन्न कार्य को दृष्टिगत रखते हुये काले बाजार में सीमेंट बेचने की गुंजाइश हो नहीं रही और न इस सम्बन्ध में कोई शिकायत ही प्राप्त हुई थी। चूंकि इन निर्माण कार्यों में किसी कर्मचारी द्वारा सीमेंट के दुरुपयोग की बात प्रकाश में नहीं आयी अस्तु किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

13--श्री सूर्यनाथ उपाध्याय--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जौनपुर जिले के कतिपय विकास खंडों में अन्त्योदय परिवारों का चयन

14--श्री सूर्यनाथ उपाध्याय--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत विकास क्षेत्र मड़ियाहूं, सिकरारा व रामनगर में कौन-कौन से गाँव किस आधार पर अन्त्योदय योजना में लिए गये और कितने लोगों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता अब तक दी गयी ? क्या यह सही है कि बाजार भाव से बहुत ऊंचे दर पर खराब से खराब उपकरण और पशु इस योजना में आने वाले लोगों से खरीदवाये गये जिससे उनकी बड़ी आर्थिक क्षति हुई है ?

श्री अम्मार रिजवी--

अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व गांव से 5 निर्धनतम परिवारों का चयन सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा कराकर उन्हें आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है । तदनुसार जनपद जौनपुर के तीनों विकास खन्डों मड़ियाहूं, सिकरारा व रामनगर के कुल 573 राजस्व गांवों में से 31 जुलाई, 1980 तक कुल 499 गांव, जिनमें ग्राम सभा की बैठक का "कोरम" आदि पूर्ण रहा तथा अन्त्योदय परिवार की परिभाषा के अनुरूप निर्धारित आय सीमा वाले परिवार उपलब्ध रहे, में 2430 परिवारों का चयन किया गया तथा जनपद में उपलब्ध धनराशि में से 31 जुलाई, 1980 तक कुल 289 गांवों के 859 परिवारों को 20,31,722 रु० की आर्थिक सहायता दी गई । गांवों,/लाभार्थियों के नाम एवं पृथक-पृथक दी गई धनराशि के विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में देखा जा सकत है ।

उक्त विकास खन्डों में अन्त्योदय परिवारों को ऊंचे दर पर खराब उपकरण तथा पशु क्रय कराये जाने का कोई विशिष्ट मामला शिकायत इंगित नहीं किया गया है । अन्त्योदय परिवारों को उचित मूल्य पर अच्छे उपकरण प्राप्त हो, इस हेतु प्रत्येक जनपद में एक-एक जिला क्रय समिति गठित की गई है, जिसके द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही अन्त्योदय परिवार की पूर्ण सन्तुष्टि तथा उनकी इच्छानुसार उपकरण क्रय कराये जाते हैं । जहां तक पशुओं के क्रय का प्रश्न ह, सम्बन्धित पशुधन विकास अधिकारी द्वारा भली-भांति परीक्षणोपरान्त दी गई प्राविधिक संस्तुति पर ही पशु क्रय कराये जाते हैं । इस प्रकार उचित मूल्य पर अच्छे उपकरण व पशु अन्त्योदय परिवारों को क्रय कराये जाने का ही सदैव प्रयास किया गया है ।

15--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित ।]

श्री लीलाधर नौटियाल एवं श्री जगतसिंह मनराय, ए० डी० ओ०, कृषि द्वारा लिया गया च य उत्पादन का प्रशिक्षण

16--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा श्री लीलाधर नौटियाल एवं श्री जगत सिंह मनराय, ए० डी० ओज, कृषि को सन् 1972 में चाय क

प्रशिक्षण लेने जोरहाट, आसाम भेजा गया था ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण का यात्रा भत्ता नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण का लाभ पहाड़ों में चाय उत्पादन में लिया जा रहा है ? यदि, नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

चाय उत्पादन की कोई योजना नहीं है ।

गोरखपुर जिले में कर अधिकारी के रिक्त पद पर कार्यरत श्री राधा रमण तिवारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

17--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर के कर अधिकारी का पद कब से रिक्त है एवं रिक्तता के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिला परिषद् गोरखपुर में कर अधिकारी का पद 30 जून, 1979 से रिक्त है । लोक सेवा आयोग से कर अधिकारी पद हेतु 22 अभ्यर्थियों की मांग शासनादेश संख्या 1661(1)-क/33-1--11-79, दिनांक 14 मई, 1979 द्वारा की गई थी लेकिन आयोग से अभ्यर्थी न मिलने के कारण स्थान रिक्त है ।

18--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या यह सच है कि वर्तमान कर अधिकारी के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें शासन को दी गई हैं, जिनसे एक पत्रकार श्री राम आश्रय जायसवाल (घुघली) की भी हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

कर अधिकारी का पद रिक्त है । अतः शिकायतें प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता । श्री राधा रमण तिवारी जो इस समय कार्य अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं, के विरुद्ध श्री रामाश्रय प्रसाद जायसवाल का एक शिकायती-पत्र दिनांक 18 फरवरी, 1980 मंडलायुक्त को प्राप्त हुआ है, जिसकी जिलाधिकारी द्वारा जांच की जा रही है ।

वाराणसी जिले के कृषि फार्मों पर व्यय की गई धनराशि

19--श्री ऊदल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मंडल में कितने राजकीय कृषि फार्म एवं प्रदर्शन फार्म कहां-कहां हैं ? उनमें पिछले पांच वर्षों में कितना खर्चा मयतनख्वाह, मजदूरी आदि मदों पर आया और कितना उत्पादन हुआ तथा फायदा क्या रहा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सीतापुर जिले के कतिपय विकास खंडों की हरिजन बस्तियों में कूप निर्माण एवं कूप निर्माण हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

20—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खंड, खैराबाद, परसेंडी तथा ऐलिया के किन-किन ग्रामों में हरिजन बस्तियों में पेय जल सुविधा हेतु वर्ष 1979-80 में कूप बनना प्रस्तावित था ? जिन ग्रामों में अभी तक नहीं बन सके उनके नाम क्या हैं तथा वह कब तक पूर्ण हो जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

सीतापुर जनपद के निम्नलिखित विकास खंडों से सम्बन्धित ग्रामों की सूचना निम्न प्रकार है :—

विकास खंड खैराबाद

1—चिलवारा

2—इलसिया ग्रनट

3—विजवार खुर्द

4—बेनीपुर

5—गंगापुर उलफत राय

6—धरमपुर (मजरा-सराय भाट)

7—अंगदपुर (मजरा-हमीरपुर ग्रनट)

8—रहीमपुर मढ़िया (मजरा-इलसिया ग्रनट)

क्रमांक 1 से 3 तक के ग्रामों में कूपों का निर्माण हो चुका है केवल जगत का कार्य शेष है। क्रमांक 4 से 7 तक के ग्रामों का कार्य प्रगति पर है। क्रमांक 8 के निर्माण के लिये दो पार्टियों के बीच स्थानीय तनाव है जिसका मामला परगनाधिकारी के पास विचाराधीन है। मार्च, 81 के अन्त तक समस्त कूपों के पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

विकास खण्ड परसेण्डी

1-बढ़ई पुरवा

2-मुराईपुर

3-चंदनापुर

4-गौरा अर्जनपुर

5—कंजा (पगरोई)।

6—हाथा (नौवा महमूदपुर)।

7—अरौं।

ग्राम मुराईपुर तथा अर्रो में अभी कूप बनने का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। शेष में कार्य प्रारम्भ हो गया है। मार्च, 81 के अन्त तक समस्त कूप बन जायेंगे।

विकास खण्ड एरिया

1—नौरंगपुर।

2—कुसमी।

3—दहेलिया।

4—अम्बोवा ढ़खिया।

5—हासपुर (मजरा-मिर्जापुर)।

6—त्रिलोकपुर।

7—अब्दीपुर।

कूपों के निर्माण हेतु कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। मार्च, 81 तक समस्त कूप पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

21—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न में उल्लिखित विकास खण्डों के हरिजन बस्तियों में पेय जल व्यवस्था हेतु किन-किन ग्रामों में कूप बनाने हेतु जनता के प्रार्थना-पत्र विकास खण्डों के पास विचाराधीन हैं? उनमें से वर्ष 1980-81 में किन-किन ग्रामों में कूप बन जायेंगे?

श्री अम्मार रिजवी—

जनता के प्रार्थना-पत्र एवं सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 1980-81 में निम्नलिखित कूपों के निर्माण का प्रस्ताव है। कूप निर्माण हेतु धन का आवंटन किया जा रहा है। तत्पश्चात् कूपों के निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ करा दी जायेगी और उन्हें शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

विकास खण्ड खैर बाद

1—अहाता कप्तान।

2—मखुवापुर।

3—पंडित पुरवा (जैंती खेड़ा)।

4—रामकोट।

5—भवानीपुर।

6—बिनौरा।

7—कासिमपुर।

8—रहिमाबाद।

विकास खण्ड के ग्राम सहसापुर, अहाता कप्तान, मथुरानगर, लक्ष्मनपुर, सिकिटिहा, राजेन्द्रनगर, लोनियन पुरवा में कूप बनाने के लिए जनता के प्रार्थना-पत्र विकास खण्ड में विचाराधीन हैं ।

विकास खण्ड परसेण्डी

1—जयतपुर (देना) ।

2—बौठन (देना) ।

3—रखौना ।

4—पक्करिया (परवा) ।

5—बेलहरी ।

6—तेदुआ ।

7—दसलिया ।

8—पाण्डेयपुरवा (सरांवा) ।

9—अयोध्या सिंह पुरवा ।

10—उदरहा (रामनगर) ।

11—मदारपुर (उदनापुर) ।

12—चमारनपुरवा (जमुनापुर) ।

13—जमुनापुर ।

14—गोंडरिया (जमुनापुर) ।

15—रही ।

16—फतेहमल्लपुर (दनियालपुर) ।

17—नौवा ताल (सरैया ऊंचाखेरा) ।

18—धीरपुर (अमौरा बनईरामा) ।

19—सरैयां ककरामऊ ।

20—अमौरा (बनईरामा) ।

21—दारानगर (ढूलईखुर्द) ।

22—राम विलासपुरवा ।

23—सिकटिहा (मिर्जापुर) ।

24—परसेण्डी ।

25—चांदपुर ।

26—मोहरयाकला ।

27—अमौरा (अमौरा मोती सिंह) ।

28--समैसा ।

29--उदयभानपुर ।

30--मजलिसपुर ।

31--हुसेनवापुर (बहादुरपुर) ।

32--मुसेपुर ।

33--लालपुर (पाठकपुर) ।

34--ईटारा (मुसेपुर) ।

35--धरनाग

36--गुजरा

37--रमुआपुर ।

38--शंकरपुर (पाठकपुर) ।

39--भवाना (पाठकपुर) ।

40--विरैया ।

41--बिलहरी (मझिगवां) ।

42--पंचपरवारी ।

43--कसरैला ।

विकास खण्ड ऐलिया

जनता के कोई प्रार्थना-पत्र, विकास खण्ड में नहीं प्राप्त हुये हैं। हरिजन बस्तियों में कूप निर्माण कराने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

विकास खण्ड राजपुर, जिला कानपुर में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण

22--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या पंचायत राज्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, राजपुर, जिला कानपुर के अन्तर्गत कौन-कौन सी लिंक रोड 30 जून, 1980 तक बनाई गई कितनी अधूरी हैं और कितनी बनाने के लिए प्रस्तावित थीं ?

श्री अम्बर रिजवी--

पंचायत राज विभाग द्वारा खाद्यान्न योजना प्रारम्भ करने से 30 जून, 1980 तक विधान सभा क्षेत्र राजपुर, जिला कानपुर में कुल प्रस्तावित 68 सम्पर्क मार्गों से संलग्न तालिका में अंकित 35 सम्पर्क मार्ग बनाये जा चुके हैं तथा 18 सम्पर्क मार्गों पर कार्य चल रहा है । शेष 15 सम्पर्क मार्गों के लिए 24 फुट चौड़ाई की भूमि उपलब्ध न होने तथा वर्षा अधिक होने के कारण, इन पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1127 पर)

23--राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[4थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

24--श्री जटाशंकर सिंह--

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित ।]

हरदोई जिले के कतिपय विकास खण्डों में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण एवं पुलिया के निर्माण की मांग

25--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या पंचायती राज मन्त्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के मधोगंज, मल्लावां एवं बिलग्राम विकास खण्डों के अन्तर्गत खाद्यान्न योजना से सम्बन्धित बने सम्पर्क मार्गों पर पुलियों के निर्माण न कराये जाने से इस वर्ष पानी भराव के कारण अनेकों गांवों के घर धाराशयी हो गये हैं और फसलें बुरी तरह बरबाद हो गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में पुलियों के निर्माण न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद हरदोई के सभी क्षेत्रों में जल प्लावन तथा हानियों का मुख्य कारण लगातार अतिवृष्टि था । अतः प्रश्नगत विकास खण्डों में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत निर्मित कच्चे सम्पर्क मार्गों पर पुलिया निर्माण न कराने के कारण ही पानी का भराव होने एवं अनेकों गांवों के घर धराशायी होने का एक मात्र कारण नहीं कहा जा सकता । जनता ने जहां भी पानी का भराव पाया, निर्मित सम्पर्क मार्गों को आसानी से काट दिया है । उक्त जनपद को पुलियों के निर्माण हेतु पूर्व में उपलब्ध करायी गई 9 लाख रुपये की धनराशि के अतिरिक्त, 2 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

उन्नाव जिले में कृषि विभाग के कर्मचारियों का निलम्बन

26--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग के लखनऊ मण्डल के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में ग्रुप-3 के अब तक कितने कर्मचारी निलम्बित हैं और कितने समय से ? क्या कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें बहाल किया जा चुका है ? वर्तमान लम्बित मामलों को निपटाने में देरी के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

जी हां ।

दो मामलों में आरोपित कर्मचारी द्वारा आरोप पत्र का उत्तर तत्परता से न दिये जाने और दो मामलों में जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्यों तथा अभिलेखों को छानबीन करने में देर होने के कारण विलम्ब हो रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1129 पर)

हार्टिकल्चरल, प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों का नियमितीकरण

27--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के पहले सोमवार के प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 2 के सन्दर्भ में यू0 पी0 स्टेट हार्टिकल्चर में क्लर्क व लेबर के पद पर कुछ ऐसे भी कर्मचारी कार्यरत हैं जो सब्सिडियरी के पूर्व एग्रो में सेवरत थे ? यदि हां, तो उन कर्मचारियों को स्थाय किये जाने के सम्बन्ध में शासन विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । ऐसे समस्त दैनिक मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की सेवाएं जो लेबर व अन्य कार्यों पर कार्यरत थे, जिन्होंने यू0 पी0 स्टेट हार्टिकल्चरल, प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के कार्य प्रारम्भ करने की तिथि अर्थात् दिनांक 1-8-1978 को 240 दिन पूर्ण कर लिए थे, को उक्त तिथि से नियमित कर दी गयी है । निगम एक स्वायत्तशासी संस्था है इन कर्मचारियों को शासन द्वारा स्थायी किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

28--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 एग्रो में इस समय दैनिक भोगी कर्मचारी के रूप में कितने लोग कार्यरत हैं और कितने समय से है ? क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों को छोड़कर गत चार माह पूर्व अनेक कर्मचारियों की नियुक्ति नियमित रूप से की गयी ? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं और इस नियुक्ति का औचित्य क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खण्ड विकास अधिकारी, बांसी, जिला बस्ती के विरुद्ध शिकायती-पत्र

29--श्री श्याम नारायन तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खण्ड विकास अधिकारी, बांसी, जिला बस्ती के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में 22-10-79 से अब तक अनेकों प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

उक्त खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध तीन शिकायती-पत्र प्राप्त हुये जिनमें से दो जांचोपरान्त निराधार पाये गये । तीसरे शिकायती-पत्र में एक सम्पर्क मार्ग

तथा एक पोखरे की खुदाई में की गयी अनियमितता का आरोप था। इससे सम्बन्धित अभिलेख सही पाये गये। सम्पर्क मार्ग पर किये गये मिट्टी के कार्य पर कोई अनियमितता जांच में नहीं पायी गयी। पोखरे की जांच अत्यधिक वर्षा एवं जल प्लावन के कारण अभी सम्भव नहीं है।

30--श्री भीखालाल--

[4थे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कृषि निदेशालय में मुख्य सहायक के पद पर प्रोन्नति एवं आरक्षण कोटे का अनुपालन

31--श्री नन्दकिशोर सिंह तथा श्री कुबेर भन्डारी--

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, ने अपने पत्रांक मु0 प्र0 15285/अ-1-2 (78-79), दिनांक 28-10-78, पत्रांक मु0 प्र0 6660/अ-1-2 (79-80), दिनांक 28-7-79, पत्रांक मु0 प्र0 4484/अ-1-1 (79-80), दिनांक 26-2-80 एवं पत्रांक मु0 प्र0 5900-5916 (अ)-1-2 (80-81), दिनांक 11-8-80 द्वारा 9 कर्मचारियों की प्रोन्नति शासनादेश संख्या 377-9-अ/चालीस-रा0 एकी0 6 (13)-77, दिनांक 13-1-78 जो राजकीय सेवाओं के पदोन्नति के 15 प्रतिशत आरक्षण से सम्बन्धित है, को नजरेअन्दाज करके मुख्य सहायक के रिक्त 8 पदोन्नतियों के अन्तर्गत आरक्षित कोटे का अतिक्रमण किया है ? यदि हां, तो ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ आरक्षित कर्मचारियों की पदोन्नति पर माननीय मन्त्री जी पुनर्विचार करके उक्त शासनादेश के अनुसार क्रियान्वित करायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रश्नगत आदेशों के द्वारा मुख्य सहायक के पदों पर प्रोन्नति करते समय आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेश को भी दृष्टि में रखा गया था, परन्तु उक्त पद पर प्रोन्नति हेतु अर्ह न होने के कारण आरक्षण कोटे के किसी प्रधान लिपिक की प्रोन्नति नहीं की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जिले में हुयी कैबिनेट की बैठक में राइस मिल खोलने का लिया गया निर्णय

32--श्री लटूरी सिंह--

क्या क्षेत्रीय विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री नारायण दत्त तिवारी, भू0 पू0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद मथुरा में आगरा डिवीजन के सुधार एवं प्रगति हेतु कैबिनेट रैंक की मीटिंग 1976 में बुलायी थी जिसमें जनपद एटा की 343 विधान सभा क्षेत्र अलीगंज के लिए राइस मिल, अलीगंज, खासकर मूंगफली के तेल की मिल, जैथरा पर स्वीकृत की गयी थी जो अब तक नहीं बनायी गयी है ? क्या उक्त कार्यों को सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां। केवल अलीगंज में राइस मिल स्थापित करने का विचार किया गया था, परन्तु अलीगंज कस्बे में धान की आमद न के बराबर होने के कारण

आगरा मन्डलीय विकास निगम लि0 के निदेशक मन्डल ने यह निर्णय लिया था कि अलीगंज में आधुनिक धान मिल की स्थापना करना उपयुक्त नहीं होगा ।

कैबिनेट मीटिंग में जैथरा में मूंगफली के तेल की मिल की स्थापना का निर्णय नहीं लिया गया था ।

पशुधन विकास अधिकारियों की नियुक्ति हेतु लिया गया साक्षात्कार

33--श्री ऊदल--

क्या पशुपालन मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि पशु निदेशालय, उ0 प्र0 ने पशुधन विकास अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु 20-12-79 को एक विज्ञापन निकला था और 17-2-80 को वेटेनरी कालेज, मथुरा एवं 18-2-80 को पन्तनगर के पशु चिकित्सा विदों को साक्षात्कार हेतु पशु निदेशक, लखनऊ ने बुलाकर साक्षात्कार लिया था ? क्या यह सत्य है कि इसकी जो लिस्ट बनायी गयी उसमें बिना इन्टर्नशिप किये लड़कों को शामिल किया गया और डाक्टर नन्दलाल जो पशु चिसित्साविद और इन्टर्नशिप किये हैं, को न लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, पशुधन विकास अधिकारी के पदों के लिये इन्टर्नशिप अनिवार्य योग्यता नहीं थी । चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर चयन किया गया और डाक्टर नन्दलाल के आवेदन-पत्र पर भी चयन समिति द्वारा विचार किया गया और उनका साक्षात्कार भी किया गया किन्तु योग्यता के आधार पर उनको नहीं लिया गया ।

टिहरी-गढ़वाल एवं उत्तर काशी जिलों में भैंस, गाय, बकरी एवं भेड़ की पशुगणना

34--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या पशुधन मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल तथा उत्तर-काशी जिलों में भैंस, गाय, बकरी तथा भेड़ों में सन् 1976 तथा 1980 में किस पशु की संख्या कितनी रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रश्नगत वर्षों में पशुगणना नहीं हुयी थी, किन्तु 1972 तथा 1978 की पशुगणना के आधार पर टिहरी-गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों में पशुओं की संख्या संलग्नक में दी हुई हैं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1130 पर) ।

सीतापुर जिले के सिधौली में सांड़ रहित पशु चिकित्सालय एवं सांड़ सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

35-श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या पशुपालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत स्थित सिधौली पशु चिकित्सालय के सांड़ घर को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? और क्या सरकार को जानकारी है कि उसके समाप्त किये जाने से ग्रामीण अंचलों में अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव होने की संभावना हो गई है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, मितव्ययता की दृष्टि से सांड़ों को हटाकर कृत्रिम गर्भाधान कार्य अन्य केन्द्रों से वीर्य उपलब्ध कराके विधिवत् किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

36-श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या पशुपालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कुछ दिन पूर्व जनपद सीतापुर के अन्तर्गत सिबौली स्थित सांड़ घर न खत्म करने से सम्बन्धित कोई प्रार्थना-पत्र माननीय मन्त्री जी को तथा विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

सांड़ों के हटा लेने के पश्चात् अन्य केन्द्रों से तरल वीर्य प्राप्त करके कृत्रिम गर्भाधान द्वारा संकर प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। सीमित साधनों के कारण अतिहिमांकृत वीर्य का प्रयोग अभी इस केन्द्र पर सम्भव नहीं हो सका है।

राज्य दुग्ध परिषद् के दुग्ध का मूल्य

37-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या पशुधन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद् द्वारा प्रदेश में दूध का न्यूनतम मूल्य क्या निर्धारित किया गया है तथा यह मूल्य निर्धारित करने का आधार क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद् की बैठक दिनांक 14 जुलाई, 1980 में 6.5 प्रतिशत वसा एवं 9 प्रतिशत वसा रहित ठोस पदार्थ पर दिनांक 16 जुलाई, 1980 से 15 अगस्त, 1980 तक 1.85 रु0 प्रति किलोग्राम एवं दिनांक 16 अगस्त, 1980 से 30 सितम्बर, 1980 तक 1.80 रु0 प्रति किलोग्राम तथा मुरादाबाद जनपद में गाय के दूध का मूल्य 4 प्रतिशत वसा एवं 8.5 प्रतिशत का वसा रहित ठोस पदार्थ पर दिनांक 16 जुलाई, 1980 से 30 सितम्बर, 1980 तक 1.50 रु0 प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है।

निर्धारित प्रतिशत से अधिक वसा वाले दूध के मूल्य में 15 रु0 प्रति क्विंटल प्रति किलोग्राम वसा पर अतिरिक्त दुग्ध-मूल्य देय होगा एवं ठीक इसके विपरीत वसा प्रतिशत निर्धारित स्तर से कम होने पर दुग्ध मूल्य में कटौती तदनुसार होगी :--

दुग्ध मूल्य निर्धारण में निम्नलिखित माप दण्ड हैं :--

1--दूध की उपलब्धि।

2--पूर्व वर्ष में दुग्ध क्रय मूल्य ।

3--दूध में वसा तथा वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा का प्रतिशत ।

लाइव स्टाक प्रोडक्शन रिजर्व फार्म, मथुरा के जमादार श्री सन्नू की मृत्यु एवं बीमा योजना की धनराशि का भुगतान

38--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लाइव स्टाक प्रोडक्शन रिजर्व फार्म फार शीप एंड गोट, आई० बी० आर० आई० यूनिट, मखदूम, जिला मथुरा में सेवारत जमादार श्री सन्नू की मृत्यु दिनांक 22-11-70 को हुई थी किन्तु उसकी आश्रित विधवा को राज्य सरकार द्वारा (दिनांक 1-3-76 से) सामूहिक राज्य कर्मचारी बीमा योजना का लाभ अभी तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक की आश्रित विधवा, निवासिनी ग्राम बाईपुर, तहसील सदर, जिला आगरा से इस सम्बन्ध में कितने प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुये ? उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान उसे कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

40--श्री चेतराम गंगवार--

[5वें सोमवार के लिये स्थगित ।]

जनपद सीतापुर के अधिकारियों की लापरवाही से कृषि सेवा केन्द्र में लाखों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12.10 अपराह्न से]

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जनपद सीतापुर के अधिकारियों की लापरवाही से कृषि सेवा केन्द्र में लाखों रुपये के घोटाले के विषय में सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिले के किसानों को कृषि सेवा केन्द्र के अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण लगभग 2 लाख की चपेट में है जब कि लाभ पर चल रहा था । कृषि यंत्रों की मरम्मत के नाम पर ऊंची दरों पर नकली और पुराने कल-पुरजों की खरीद में हजारों रुपए की क्षति विभाग को पहुंचा कर व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया जा रहा है । पिस्टन, बालबियरिंग और क्रेन तथा अन्य कीमती पुरजे सरकारी ट्रैक्टरों को स्टोर से निकाल कर स्थानीय क्रेताओं के हाथ काला बाजारी में बेचा जा चुका है । इस केन्द्र पर दो इंटर नेशनल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रदीप कुमार यादव--]

चार बीटर, दो वेलरस ट्रैक्टर तथा दो अन्य ट्रैक्टर पुराने लोहे के भाव नीलामी की हालत में हैं और उसके कीमती पुरजों को काले बाजार में बेच दिया गया है। जो डीजल रखने के लिए टंकी खरीदी थी, वह जंग लगने के कारण बेकार पड़ी है और डीजल रखने की नौबत आज तक नहीं आयी है।

अधिकारियों की सांठगांठ से अधिक घंटे जुताई करके कम घंटों की जुताई अंकित की जाती है। अभी हाल में पुलिस विभाग के सरकारी फार्म की जुताई की गई किसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया। इस प्रकार सम्बन्धित अधिकारियों के मनमाने रवैये से कृषि केन्द्र का बड़ा गर्क हो रहा है।

अतः इस सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में हुई वार्षिक परीक्षाओं का परीक्षाफल घोषित न किए जाने से छात्रों को कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की माह मई, 1980 में हुई वार्षिक परीक्षाओं का परीक्षाफल अब तक घोषित न किए जाने के कारण परीक्षार्थियों के सम्मुख भीषण संकट उत्पन्न हो गया है।

मान्यवर, विश्वविद्यालय का नया सत्र तो प्रारम्भ हुआ ही नहीं परन्तु सर्वाधिक चिन्ता की बात यह है कि उक्त विश्वविद्यालय की प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री तथा आचार्य परीक्षाएं क्रमशः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की जूनियर हाई स्कूल, हाईस्कूल तथा विश्वविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं के समकक्ष हैं। बहुत से छात्र संस्कृत पाठशालाओं से बोर्ड तथा विश्वविद्यालय की कक्षाओं में प्रवेश लेते हैं, उनका भविष्य अधर में है। प्रत्येक छात्र का एक वर्ष नष्ट हो रहा है।

अतएव, मान्यवर, लोक महत्व की इस समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर आशावान हूं कि सरकार संदर्भित विश्वविद्यालय का परीक्षाफल अविलम्ब घोषित कराने हेतु प्रभावी कदम उठाएगी।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा डायमण्ड डेरी स्थित कालोनी के कक्षों के आवंटन में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामलाल--

महोदय, मैं राज्य सम्पत्ति विभाग में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। राज्य सम्पति विभाग विधायकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भवन आवंटित करने में जिस प्रकार की धांधली एवं भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं वह निन्दनीय है। डायमण्ड डेरी स्थित राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनी के कुछ कक्ष ऐसे व्यक्तियों एवं अधिकारियों को आवंटित है जिन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महीनों से उनका किराया भुगतान नहीं किया है। यही नहीं उक्त कालोनी में उच्च अधिकारियों को मध्यम आय वर्ग के और कनिष्ठ अधिकारियों को उच्च आय वर्ग के फ्लेट्स आवंटित किए गए हैं। कुछ असरकारी व्यक्तियों को भी सरकारी आवास दिए गए है। कालोनी में सफाई एवं पानी की व्यवस्था निन्दनीय है। ऊपर के फ्लेट्स में पानी नहीं पहुंचना और शिकायत करने पर राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते। जगह-जगह कूड़े एव गन्दगी का ढ़ेर लगा हुआ है।

अतः निवेदन है कि राज्य सम्पत्ति विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं धांधली के बारे में सदन में चर्चा हो।

लेखन सामग्री के मूल्य तथा परीक्षा शुल्क में वृद्धि से बुन्देलखंड के छात्रों में असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

महोदय, मैं आपके माध्यम से बुन्देलखंड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिलों के छात्रों की दयनीय दशा के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बुन्देलखंड वैसे ही पिछड़ा और गरीब क्षेत्र है। पिछले वर्ष शत-प्रतिशत सूखा-ग्रस्त क्षेत्र था। अब अतिवृष्टि से वहां का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय के सभी साधन समाप्त हो गए है। इस कारण छात्रों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। अतः उनके विद्यालय में प्रवेश हेतु शुल्क नहीं है तथा छात्र धनाभाव के कारण भोजन का भी प्रबन्ध नहीं कर पा रहा है। लेखन सामग्री की भी व्यवस्था नहीं है। पुस्तक एवं लेखन सामग्री प्रशासन की ओर से सस्ते मूल्य पर प्राप्त होने वाली थी वह पर्याप्त रूप से उपलब्ध न होने से अशांति का वातावरण छात्रों में व्याप्त विस्फोटक स्थिति जन मानस में व्याप्त हो गई है। इस कारण क्षेत्र का जनजीवन असंतोषमय बन गया।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट की बढ़ाई गई परीक्षा फीस माफ की जाय, कमजोर वर्ग के परिवारों के छात्रों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाय तथा सस्ते मूल्य पर अविलम्बनीय लेखन एवं पाठन सामग्री उपलब्ध कराई जाय ?

आगरा में एक नाबालिग लड़की मीरा श्रीवास्तव के भगाए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

महोदय, आगरा में दिनांक 12 सितम्बर, 1980 को रात्रि को सवा 9 बजे श्री राजेश कुमार सिंह, संसद सदस्य (लोक दल) श्री रतन यादव, श्री देवेन्द्र सिंह नाई, श्री हर प्रसाद श्रीवास्तव, की नाबालिग पुत्री को भगा ले गए। इसकी एफ0 आई0 आर0 दिनांक 13-9-80 को धारा 363 में थाना शाहगंज, आगरा में लिखी जा चुकी है। परन्तु आज तक अभियुक्त राजेश कुमार सिंह, संसद सदस्य व अन्य साथियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, नही श्री हरि प्रसाद श्रीवास्तव की नाबालिग पुत्री मीरा श्रीवास्तव को अब तक बरामद किया गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओम प्रकाश जिन्दल--]

श्री हर प्रसाद श्रीवास्तव का आरोप है कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ यह लोग बलात्कार कर रहे हैं और उसको कहीं बाहर ले गए हैं और उसको कहीं बेचना चाहते हैं ।

पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही न किए जाने से जनता में घोर असंतोष और भय व्याप्त है ।

क्योंकि यह मामला बहुत गम्भीर है । अतः सदन के संज्ञान में तुरन्त लाना अत्यन्त आवश्यक है । इसलिए उपरोक्त नियम के अन्तर्गत मुझको प्रश्न उठाने की अनुज्ञा कृपया प्रदान की जाय ।

मुख्य मंत्री के त्याग पत्र के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

[12 बजकर 18 मिनट]

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं इस सदन के समक्ष एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं । भारतीय संविधान की धारा 163 के अनुसार महामहिम राज्यपाल अपने परामर्श के लिए एक मंत्रि-परिषद मनोनीत करेंगे और धारा 164 (2) के अनुसार " मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी । आज के समाचार पत्रों के अनुसार कार्यवाहक मुख्य मंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने अपना त्याग-पत्र ....

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, कार्यवाहक मुख्य मंत्री क्या होता है। आप इनसे संशोधन करवाइये । वे विधिवत निर्वाचित मुख्य मंत्री हैं । उनके लिए ये शब्द कहना बहुत ही अशोभनीय है । आप कृपया माननीय सदस्य को इंगित कीजिए ।

श्री अध्यक्ष --

मेरे सामने कोई कार्यवाहक मुख्य मंत्री नहीं है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, यह उनके लिए शोभा नहीं देता है ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पहली बार वाजपेयी जी ने एक सही शब्द पकड़ा है ।

श्री मोहन सिंह--

ये कार्यवाहक मुख्य मंत्री या इस विधान सभा के प्रति उत्तरदायी मुख्य मंत्री....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

औचित्य का प्रश्न आप उठायें और अपनी बात कहें लेकिन वे मुख्य मंत्री तब भी थे और अभी भी हैं।

(व्यवधान)

श्री ऊदल---

वे परमानेन्ट चीफ मिनिस्टर हैं....।

(शोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आज स्थिति यह हो गई है....।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें, मैंने मोहन सिंह जी को बुलाया है।

श्री राम आसरे वर्मा---

मैं उसी में एक कड़ी और जोड़ने जा रहा हूं....।

श्री अध्यक्ष---

वह आप बाद में जोड़िये, अभी उनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

*श्री मोहनसिंह--

मान्यवर, हिन्दुस्तान के संविधान की नई व्याख्या की जा रही है। माननीय मुख्य मंत्री का मनोनयन दिल्ली से हुआ, इसके पहले माननीय बहुगुणा जी का भी दिल्ली से ही मनोनयन हुआ था लेकिन उन्होंने विधान मंडल दल की बैठक बुलाई थी और उसमें उनका अनुमोदन कर दिया गया था। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्य मंत्री हैं जिनका अनुमोदन विधान मंडल दल की बैठक में नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने अपना त्यागपत्र भी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास भेजा है और यह कहते हुए भेजा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो घटनायें हुई हैं विशेषकर अलीगढ़ मुरादाबाद और इलाहाबाद आदि में उसकी सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेदारी उनके ऊपर है। भारत के संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुसार यह मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी है और इसका गठन महामहिम राज्यपाल ने अपनी सलाह के लिए किया है और वह करते हैं। यदि माननीय मुख्य मंत्री जो पाखंड नहीं कर रहे हैं तो आसाम की घटनाओं के लिए, दिल्ली की घटनाओं के लिए और यहां की घटनाओं के लिए प्रधान मंत्री भी जिम्मेदार हैं और अगर वे इसके आधार पर इनको त्यागपत्र देने की अनुमति देती हैं तो स्वयं प्रधान मंत्री को भी नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना होगा।

(व्यवधान)

इसलिये जानबूझ कर एक नये पाखन्ड का श्रीगणेश उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ मिनिस्टर ने किया है। आज सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह---]

गयी है क्योंकि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, इसलिये केयरटेकर गवर्नमेन्ट, जो इस सदन के प्रति जिम्मेदार नहीं है, के रहते हुये इस सदन की कार्यवाही कैसे चलायी जा सकती है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

(शोर--व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो विषय, मान्यवर, अभी माननीय मोहन सिंह जी ने उठाया है उस पर मैंने भी आपको औचित्य के प्रश्न की सूचना दी थी । यह बात बिल्कुल सही है कि आज प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था की हालत बिल्कुल नष्ट हो गयी है । सदन में कई बार यह बात आ चुकी है कि यह सरकार बिल्कुल असफल हो गयी है और माननीय मुख्य मंत्री को त्याग-पत्र दे देना चाहिये । आपको स्मरण होगा कि जिस समय माननीय मुख्य मंत्री शपथ लेकर सदन में आये थे मैंने औचित्य का प्रश्न उठाते हुये कहा था कि सदन में सब परम्पराओं को नष्ट किया जा रहा है और शिष्टाचार का भी पालन नहीं किया गया शासन की स्थिति पहले से ही चौपट थी, आज जो यह दंगे हो रहे हैं उसके कारण और खराब हो गयी है जिनकी पूरी जिम्मेदारी शासन पर है और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इस सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर अनुभव करते हैं तो उनको अपना त्याग-पत्र सीधे राज्यपाल को भेजना चाहिये था लेकिन जानबूझकर उन्होंने उस परिस्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश की है । वहां से तो इजाजत यह मिल जायेगी कि त्यागपत्र नहीं देना है । इसलिये जो प्रशासन पहले से ही चौपट है, उसके अन्दर और अनिश्चितता की भावना पैदा हो जायेगी । उससे प्रशासन प्रभावित हुआ है । इसलिए मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से आपके समक्ष औचित्य का प्रश्न रखना चाहता हूं कि शासन अपनी स्थिति स्पष्ट करे । शासन अगर वास्तव में अपनी जिम्मेदारी समझती है, तो माननीय मुख्य मंत्री जी को अपना त्यागपत्र राज्यपाल महोदय को दे देना चाहिये । इन शब्दों के साथ में मान्यवर, आपसे निर्देश चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में अपना निर्देश देने की कृपा करें ।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, मैंने भी औचित्य के प्रश्न की नोटिस आपको दिया था । मान्यवर, हमारा प्रदेश पहले से ही अनुभव कर रहा है कि आज कल हमारे प्रदेश में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई शासन नाम की चीज नहीं है । कहीं साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं और कहीं कत्लेआम हो रहे हैं और मंहगाई दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है । चीजों का अभाव होता जा रहा है । शासन नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, जो कि इन चीजों को कंट्रोल कर सके । माननीय मुख्य मंत्री के इस्तीफा देने से जो कुछ शासन था, वह भी खत्म हो गया । मुख्य मंत्री जी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर इस्तीफा दिया है । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के इस्तीफा देने के बाद यह जो मंत्रि मण्डल है, इसको यहां पर बैठने का कोई हक नहीं है ।

(व्यवधान)

मैं कहता हूं कि और भी जो मंत्रीगण हैं, वह भी इस्तीफा दें । मान्यवर, प्रदेश में जो हलचल पैदा हो गयी है, इसका कोई हल निकला जाय । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने अपना स्तीफा गवर्नर को नहीं भेजा, बल्कि प्रधान मंत्री जी, कांग्रेस की अध्यक्ष, जो श्रीमती इन्दिरा गांधी जी हैं, उनको भेजा है । मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह कहा जायगा कि यह घरेलू मामला है, लेकिन मान्यवर, यह समाचार पत्र में रिलीज होने के बाद, यह घरेलू मामला नहीं रह गया है । हमारे प्रदेश के राज्यपाल महोदय को चाहिये कि वह उस इस्तीफे को मंगा कर मंजूर करें । राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से कहें कि उसकी कापी वह उनके पास भेजें और इस मंत्रिमण्डल को फौरन बरखास्त करें । मान्यवर, अगर ऐसा नहीं किया गया, तो जैसे इस समय मुख्य मंत्री की कुछ भी नहीं चलती, जिलों में बैठे हुये जिलाधिकारी इस सरकार की कोई परवाह नहीं करते । तो मंत्री जी कल को कहना शुरू करेंगे कि मैंने फाइल मंगाया, क्या करूं सेक्रेटरी फाइल भेजता ही नहीं है । कल से सेक्रेटरी इन मंत्रियों के पास कोई फाइल भेजना भी बन्द कर देंगे । तो मान्यवर, इस सरकार को बरखास्त किया जाना चाहिये और राज्यपाल महोदय को तुरन्त इस्तीफा मांग कर उसे स्वीकार करना चाहिये ।

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जो औचित्य का प्रश्न माननीय मोहन सिंह जी ने उठाया है, उसी तरह का मैं भी औचित्य का प्रश्न उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं । आज जो प्रदेश की स्थिति है, वह छिपी नहीं है । एक तरफ पूरा प्रदेश दंगों में जल रहा है दूसरी तरफ मंहगाई जैसे, भूत भी सवार हो रहे हैं और उस स्थिति में जब आज सबेरे अखबार में मोटी-मोटी हेडिंग में पढ़ने को मिला कि मुख्य मंत्री जी का प्रदेश से इस्तीफा और वह इस्तीफा इन्दिरा जी के पास भेजा जाता है । इस सदन में मुख्य मंत्री जी से कई बार विरोधी पक्ष के सदस्यों की ओर से ऐसा कहा गया और सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से दिल से यह मांग की जाती रही है कि वह इस्तीफा दे दें । यह उनकी ईमानदारी है

(व्यवधान)

मान्यवर, सत्ताधारी पक्ष के दिल की धड़कनों से विघटित हो गया है कि

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी कई दिनों से अपने कमरे में बीमार पड़े हुये हैं, जिनकी बिमारी राजनीतिक ।

(शोर)

श्री राज कुमार राय--

आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें, मैं समझ रहा हूं । आप लोग कृपया बैठ जायें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अगर सत्ता पक्ष के लोग जानना चाहते हैं, तो वे जाकर देखें कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने कमरे में जिस बीमारी से परेशान हैं, वह राजनीतिक बीमारी है और उनके दिल के अन्दर ।

(शोर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक सदस्य--

माननीय, यह औचित्य के प्रश्न पर न बोलकर के अनौचित्य के प्रश्न पर बोल रहे हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

औचित्य और अनौचित्य की व्यवस्था को देखने का काम माननीय अध्यक्ष का है और वह इसके लिये काफी है ।

तो माननीय सदस्यों ने कहा कि सत्ताधारी पक्ष के दिलों की बात कैसे जानते हैं ?

(शोर)

कई दिनों से मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जो घर में बीमार हैं । वह राजनीतिक बीमारी का घुटन महसूस कर रहे हैं । इस घुटन का ही यह नतीजा है कि आज अखबारों में मोटे-मोटे अक्षरों में सुर्खी निकली है कि प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपना इस्तीफा भेज दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी के पास । मैं यह मानता हूं कि उन्होंने यहां पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई, इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । इसके साथ ही साथ ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

माननीय, माननीय सदस्य अखबार और रेडियो की खबर पर ही बोल रहे हैं औचित्य के प्रश्न पर नहीं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जहां तक मुख्यमंत्री पर सत्ताधारी पक्ष के लोगों का जितना अधिकार है, उतना ही विरोधपक्ष के लोगों का भी अधिकार है । तो मान्यवर, जहां माननीय मुख्य मंत्री जी चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की बात देश की प्रधान मंत्री के पास भेजी और अपनी नैतिक जिम्मेदारी का सबूत दिया वहीं यदि वह पत्र बजाये श्रीमती जी के पास भेजने के प्रदेश के राज्यपाल के पास भेजते और साथ ही उसके पहले एक सदन के नेता होने के नाते कम से कम इस सदन के सदस्यों को भी उन परिस्थितियों को अवगत कराते जिस कारण उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि ऐसा किन परिस्थितियों वश उनको करना पड़ा ।

*श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, औचित्य का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है और इस पर हमारा भी निवेदन है कि इस समय प्रदेश में एक गम्भीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है । श्रीमन्, जहां एक तरफ अखबारों और रेडियो ने खबरें दी है कि प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने अपना त्याग-पत्र श्रीमती इंदिरा गांधी, प्राईम मिनिस्टर के पास भेज दिया है और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी स्वतः बतायी है कि कानून और व्यवस्था का बनाये रखने में वह अक्षम रहे हैं और उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि राजनीतिक नैतिकता की जिम्मेदारी भी ह । हम भी यह महसूस कर रहे थे कि उसी दिन वह घोषणा कर देंगे, जिस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिन अलीगढ़ और मुरादाबाद आदि जिलों में हुए दंगों पर भाषण कर रहे थे। उन्होंने उस दिन तो नहीं किया। खैर देर सबेर से ही किया। यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अक्षम रहे हैं। और उन्होंने त्याग-पत्र के लिए मांगा है दूसरी तरफ 3 दिन पहले केन्द्र सरकार ने बी० ए प० एफ० और आरमी को सूट ऐट साइट के आदेश दिये हैं तीन जगहों के लिए मुरादाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद के लिए हैं।

श्रीमन्, यह बात समझ में नहीं आ रही है, इसे स्पष्ट तो सत्ता पक्ष के लोग करेंगे, शासन करेगा कि क्या ये 3 जिले, 3 नगर इस प्रदेश से केन्द्र सरकार को दिये गये हैं या प्रदेश केन्द्र शासित इकाई हो गया है। मान्यवर, यह संवैधानिक सरकार नहीं है जहां मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया दूसरी तरफ केन्द्र सरकार सूट ऐट साइट के आदेश बी० एस० एफ० और आरमी को सीधे दे रही है। जब यहां के अखबार वाले होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी से मिले तो उन्होंने कहा कि हमने कोई आदेश नहीं दिये हैं। यह सरकार अब सरकार नहीं रही इनका मनोबल टूट चुका है कोई व्यक्ति कोई संस्था जिसका मनोबल टूट चुका हो, आपका नेता बनने को तैयार नहीं होगा। मेरा निवेदन है श्रीमन्, हाउस को एडजोर्न कर दिया जाय क्योंकि कोई सरकार नहीं रही इस प्रदेश में या तो मुख्य मंत्री यह स्पष्ट करें कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक मान्यवर, नया मुख्य मंत्री न चुना जाय तब तक के लिए हाउस एडजोर्न करें। मान्यवर, यह सही है कि इनकी मेजारिटी है। किन्तु अगर इस प्रदेश को केन्द्र शासित प्रदेश बनाना है तो विधान सभा को भंग करके नया चुनाव कराया जाय।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, बड़े खेद की बात है कि इस वक्त प्रदेश के अन्दर जो हालात चल रहे हैं वह सारे इस वजह से चल रहे हैं कि शासन चलाने के लिए प्रजातंत्र के अन्दर कुछ चीजें संविधान के अन्दर दी हुई है जिसका जिक्र माननीय मोहन सिंह ने किया 163 और आगे को चलकर सरकार कैसे बनती है, किस तरह जिम्मेदारी होती है इन सब बातों को माननीय मोहन सिंह ने कोट किया लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कान्स्टीट्यूशन के अन्दर नहीं हैं लेकिन वह ट्रेडीशन और कन्वेन्शन से चलती है। मान्यवर, किसी मुख्य मंत्री को गवर्नर नेता के लिए बुलाता है तो ट्रेडीशन के अन्तर्गत बुलाता है। डेमोक्रेसी के अन्दर मान्यवर, जो बहुमत दल जीत कर आता है जिसका बहुमत 50 प्रतिशत होता है उसकी लेजिस्लेचर पार्टी की एक मीटिंग होती है और उसमें सदस्य अपने नेता को चुनते हैं और उसकी सूचना जनरल सेक्रेटरी या जो नेता हो वह गवर्नर को देता है और गवर्नर से कहता है कि मैंने इस शख्स को नेता चुना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप चीफ मिनिस्टर के लिए इनवाइट करें। गवर्नर ट्रेडीशन और कन्वेशन से गाइड होकर उस शख्स को बुलाता है और आगे उसके परामर्श से कौंसिल आफ मिनिस्टर्स को उनके अन्य सहयोगियों को बुलाता है। मान्यवर, 305 की तादाद में कांग्रेस (आई) जीतकर आई लेकिन उसने ट्रेडीशन और कन्वेशन्स को समाप्त कर दिया। यह पहला मौका है प्रदेश का मुख्य मंत्री सीधे केन्द्र से नौमिनेट हुआ और बिना लेजिस्लेचर पार्टी के एप्रूबल के ओथ दिला दिया गया। आज श्रीमन् उसी के कारण यह हुआ है।

श्रीमन्, एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके अन्दर स्टेट की पावर और केन्द्र की पावर क्या हैं उनका अलग-अलग डिमार्केशन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन--]

है । आज मैं माननीय मुख्य मंत्री को बधाई दूंगा कि उन्होंने मुरादाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद आदि की जो घटनायें हुई उसकी उन्होंने अपने ऊपर नैतिक जिम्मेदारी ली है । लेकिन प्रधान मंत्री इसमें कहां से आ गयी । स्टेट और केन्द्र के काम अलग-अलग हैं । स्टेट के काम में प्रधान मंत्री कहां से इन्वाल्व्ड होगी । मैं श्रीमन्....

एक सदस्य--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । जो माननीय मोहन सिंह जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है वह बनता ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

रियासत हुसैन जी, आप बैठ जायें । अन्य सदस्य भी बैठे रहें । माननीय मोहन सिंह जी ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया । अन्य सदस्यों ने भी उठाया । जिन्होंने उठाया है, मैंने उनको बोलने की अनुमति दी । आपने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न है, तो जब कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो यह मेरे लिए लाजिमी होता है कि मैं उसे सुनूं । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह तो निर्णय देने के लिए मैं सुन रहा हूं । आपको भी कुछ कहना हो तो आपकी भी सुनूंगा ।

श्री रियासत हुसैन--

जो माननीय नेता विरोधी दल ने इशारा किया कि प्रदेश में जो कुछ हुआ सण्डे टाइम्स में फ्रन्ट पर जो खबर है, रेडियो पर और इस बात का प्रसारण हुआ कि मुरादाबाद में दंगाइयों को...

श्री अध्यक्ष--

यह अलग विषय है ।

श्री रियासत हुसैन--

और जब यहां लखनऊ में इस सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है । जो डाइरेक्ट स्टेट अफेयर्स हैं उसमें बिना स्टेट के मुख्य मंत्री, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस में आये डाइरेक्ट केन्द्र ने आदेश दे दिये कि न मालूम इन दिनों में कितने आदमी मारे गये हैं । सेन्ट्रल का जो दखल स्टेट के कामों में हुआ जिसकी वजह से मुख्य मंत्री ने अपनी मारलटी पर त्याग-पत्र भेजा । क्या केन्द्र बिना लेजिस्लेचर पार्टी के जो बहुमत में है, हस्तक्षेप करेगा । इस सम्बन्ध म यदि ऐसा होगा तो बड़ी गम्भीर स्थिति खड़ी हो जायेगी । इसलिए मैं समझता हूं कि जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने मांग की है और जो मुख्य मंत्री ने भारत सरकार ने जिम्मेदारी ली है, उन्हें पहले इस्तीफा देना चाहिये था बाद में प्रधान मंत्री से परामर्श करते । अतः सारे प्रदेश में इस समय परेशानी है । आप स्वयं इसमें उचित निर्णय लें ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

अध्यक्ष महोदय, यह नैतिकता का प्रश्न उसी दिन से उठा जब से माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसकी नतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ली । उस दिन मेरे मन

में यह बात थी कि मैं नैतिकता पर 2--3 उदाहरण प्रस्तुत करूं । 15 अगस्त, 1946 को जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी और बंगाल के अन्दर इंटरिम गवर्नमेन्ट के एक सदस्य श्री शराफत अहमद खां के ऊपर चाकू से वार हुआ तो महात्मा गांधी ने लार्ड वबिल से कहा था कि इस दुर्भाग्यपूर्ण काण्ड के उत्तरदायी आप हैं । इसकी नैतिक जिम्मेदारी आपके ऊपर है और इस्तीफे की मांग की थी । इसका नतीजा यह हुआ कि लार्ड वेविल को जाना पड़ा था । इसी तरह से नैतिकता के दृष्टिकोण से जिम्मेदारी लाल बहादुर शास्त्री ने उठायी थी और इसी तरह से जब यू0 पी0 में पी0 ए0 सी0 का रिबोल्ट हुआ तो नैतिकता को देखते हुए आदरणीय कमलापति त्रिपाठी को जाना पड़ा था । हिन्दुस्तान और चीन की लड़ाई में नैतिकता के उत्तरदायित्व के कारण कृष्ण मेनन को जाना पड़ा । नैतिकता अपने स्थान पर नैतिकता है । कोई जरूरत नहीं थी कि जब बाबू सम्पूर्णानन्द जी ने घोषणा की थी कि अगर उनके दल का प्रत्याशी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गया तो वह मुख्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे, परन्तु इसी नैतिकता के तकाजे की वजह से उन्होंने मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था । हम लोगों को पूरी आशा हो गई थी कि मुरादाबाद काण्ड पर चर्चा के समय जिस प्रकार मुख्य मंत्री अपने स्थान पर खड़े हुए थे, वह अपने त्याग-पत्र की घोषणा करेंगे परन्तु ऐसा नहीं हुआ । आज एक नाटक के रूप में अपना इस्तीफा उन्होंने प्रधान मंत्री को भेजा । मेरा कहना है कि त्याग-पत्र समाचार-पत्र में आया है और इसके साथ यह भी आया है कि उनका पत्र इस प्रकार है । मुख्य मंत्री का तात्पर्य है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यह पार्टी का आन्तरिक मसला न रह कर अब स्पष्ट रूपसे आम मसला बन गया है । किन्हीं कारणों से मुख्य मंत्री ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है । जब इस्तीफा दे दिया और समाचार-पत्रों में त्याग-पत्र प्रकाशित हो गया तो जिस ओर श्री मोहन सिंह जी ने इंगित किया कि संविधान के अनुसार संवैधानिक संकट इस प्रदेश में खड़ा हो गया है ये स्थिति उत्पन्न हो गई है । ये बजट सत्र चल रहा है, जो बजट प्रस्तुत होता है वह सरकार के आकांक्षाओं के अनुरूप होता है । तो क्या इस स्थिति में जब मुख्य मंत्री का त्याग-पत्र आ चुका है तो क्या बजट सत्र चलना चाहिये, यह औचित्य का प्रश्न है । मैं आपसे मांग करता हूं कि आप इस प्रश्न पर निर्णय दें और सत्र को स्थगित करें।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बहुत देर से उठाया जा रहा है कि इस पक्ष को या इस सरकार को यहां बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है । अधिकार किसे है इसका फैसला तो भारत की जनता ने कर दिया है। यहां इस सदन से पहले फैसला हो चुका है और उसी वर्डिक्ट के मुताबिक जो भारत की जनता ने दिया उसके हिसाब से हम यहां पर बैठे हुये हैं ।

(मेजों की थपथपाहट)

यहां पर बहुत से प्रश्न उठाये गये । पहली बात कही गयी कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह का चयन कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी द्वारा नहीं किया गया है । यह भ्रमात्मक बात है । कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक में पूरी तरह से, सर्व-सम्मति से यह तय किया गया था, भारत की नेता, कांग्रेस पार्टी की अखिल भारतीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को अधिकृत किया जाता है कि जिसको वह चाहे नेता बना दें, वह हमारे लिये मान्य होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अम्मार रिजवी---]

(मेजों की थपथपाहट)

यह अधिकार यह फैसला हम लोगों को करना है कि कौन हमारे सदन का नेता हो, कौन सदन की रहनुमाई करे । यह अधिकार इनको नहीं है, अगर इनको यह अधिकार होता तो आज वह यहां पर बैठे होते ।

(मेजों की थपथपाहट)

आज बहुत से नाम लिये गये । महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, कमलापति त्रिपाठी जी के नाम का जिक्र आया । जवाहर लाल नेहरू, कृष्ण मेनन के नाम की दुहाई दी गयी। सम्पूर्णानन्द जी का जिक्र किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि जब चरण सिंह प्रधान मंत्री थे, जब नारायणपुर कांड हुआ, अलीगढ़, बनारस कांड हुआ, जब जमशेदपुर जल रहा था, जब बेलछी कांड हुआ और जब लखनऊ जल रहा था उस वक्त वह इस्तीफा दे देते । इस्तीफा क्यों नहीं दिया । उत्तर प्रदेश सरकार में उस वक्त जो मंत्री थे, सम्मानित सदस्य जो आज यहां बैठे हैं उस समय उनकी नैतिकता कहां चली गयी थी जो आज इस्तीफे की बातें करते हैं ।

(मेजों की थपथपाहट)

नैतिकता की लंबी फेहरिस्त जो है वह कांग्रेस के नेताओं की है । लोकदल, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष या किसी भी नेता की नहीं है । यही नहीं बल्कि आप देखें तो जो कहा गया है उसमें यहां संविधान की कौन सी धारा का उल्लंघन होता है । मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि उस कुर्सी पर बैठे हुये भूतपूर्व अध्यक्ष, खेर जी ने जो फैसला दिया है उसमें लिखा हुआ है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित किसी समाचार के आधार पर यहां कोई चर्चा नहीं होगी ।

श्री मुख्तार अनीस---

मान्यवर, मुख्य मंत्री ने तो प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग बैठें । आप लोग बैठ जायं ।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, जहां तक त्याग-पत्र का सवाल उठाया गया है और उसके सम्बन्ध में अखबारों में पढ़ा है । तो अखबारों में दी गयी बातों पर चर्चा इस तरह नहीं होगी । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पहले भी मुरादाबाद और यहां सदन में कहा था कि मारल रिसपांसिब्लिटी हमारी है, हम महसूस करते हैं इसको । मैं तो समझता था चूंकि इस बात पर विरोधी पक्ष के सदस्यों की तरफ से कोई प्रशंसा का प्रस्ताव आयेगा लेकिन वह नहीं आया । भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी (आई) की अध्यक्ष भी हैं । हम लोग उनके सारे निर्देशों पर काम करते हैं जो हमारे संगठन की सर्वप्रिय नेता हैं और अध्यक्ष हैं । धारा 146 को आप देखें तो उसमें लिखा है कि किसी पार्टी के आंतरिक संघर्षों या सदन के बाहर दायित्वों सम्बन्धी वक्तव्यों के सम्बन्ध में विवाद नहीं हो सकता है ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह---

प्रधान मंत्री को मुख्य मंत्री ने पत्र लिखा है, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को नहीं ।

श्री अम्मार रिजवी--

धारा 147 में लिखा है कि किसी दल की आन्तरिक बातों को सदन में नहीं कहा जा सकता है । इस्तीफे की बात आप लोग करते हैं तो इसके सम्बन्ध में फैसले दिये जा चुके हैं कि जब तक किसी मंत्री का त्याग-पत्र स्वीकार नहीं किया जाता ह तब तक वह मंत्री रहता हैं चाहे वह काम न करता हो । यहां त्याग-पत्र का सवाल नहीं है बल्कि यहां तो अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिखा है ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस---

मुख्य मंत्री ने तो प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को नहीं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मंत्री जी स्वयं मान रहे हैं कि मुख्य मंत्री ने यह लिखा है तो वह इस्तीफा दें ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें । आप लोग बैठ जायं । जब तक माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, वह बैठ न जायं, तब तक आप बीच में खड़े न हों । आप पुराने सदस्य हैं फिर भी बीच में खड़े हो जाते हैं ।

श्री अम्मार रिजवी---

श्रीमन्, सच्ची बात वह नहीं सुनना चाहते हैं ।

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि यहां त्याग-पत्र की कोई बात नहीं है । उन्होंने अपने नेता को एक पत्र लिखा है कि ऐसा हम करना चाहते हैं । तो यह त्याग-पत्र कैसे हो गया । खुली बात है कि त्याग-पत्र दे भी दें तो यहां बहस नहीं हो सकती है । जब तक त्याग-पत्र स्वीकार न हो जाय और जब तक स्वीकार नहीं होता उस समय तक चाहे मंत्री काम न करे वह मंत्री रहता है और उस पर चर्चा यहां नहीं होगी । तो यह बात बिल्कुल भ्रम फैलाने वाली बात है । यह तो बहुत दिनों से बात चल रही है । बहुत दिनों से इस बात का प्रयास है कि किस तरह से कोई न कोई ऐसी बात की जाय जिससे शासन की छवि धूमिल हो। जो दंगे हो रहे हैं उन्हें साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई । इन्हें शिकायत किस बात की है । शूट एट साइट का आर्डर क्यों दिया गया । हम दंगा नहीं करते, फिसाद नहीं करते, हम चोर हैं नहीं, कहीं चोर पकड़ा जाय हमें दर्द क्यों होगा । बलवाइयों को गोली से मार देने की बात वही लोग करते हैं, जो खुद बलवा करते हैं जो हिस्सा लेते हैं (तालियां) यह बिल्कुल भ्रामक बात है । ऐसा कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है । शासन पूरी तरह से सजग है, दृढ़ है, मजबूत है । विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में, मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में, पूरे हमारे सदस्यों को, मंत्रि परिषद् को, पूरा विश्वास है और इस तरह की जो बातें करते हैं वे महज अपने दिल को खुश करने के लिए करते हैं । वे इसमें कामयाब नहीं होंगे ।

*सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, अभी जो औचित्य का सवाल माननीय नेता, विरोधी पक्ष की ओर से उठाया गया है उसके सम्बन्ध में यह कहना है कि आज प्रदेश में जो व्यवस्था है वह उस व्यवस्था से जिसे आप ने तीन साल में बिगड़ी हालत में पहुंचा दिया था बहुत अच्छी है । आज शांति-व्यवस्था पहले से अच्छी है और जो सरकारी तंत्र है, जिस को आपने जिस तरह से बिगाड़ दिया था, मैं कह सकता हूं, पहले से बहुत अच्छा काम कर रहा है । किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है । यह जो औचित्य का प्रश्न उठाया गया है यह पार्टी की अन्दरूनी बात है । हम क्या विचार करते हैं अपने पार्टी के साथ, अपने नेता के साथ, यह आप से कोई सम्बन्ध नहीं रखता । हमारा इतना बड़ा बहुमत है, प्रबल बहुमत लेकर आये है, प्रत्येक मेम्बर का हमें विश्वास प्राप्त है, हाउस में विश्वास प्राप्त है, कहीं पर कोई भ्रम नहीं है । इस प्रदेश की जनता का विश्वास है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्य मंत्री बने रहें । इस समय जनता को सुख शान्ति मिली है जो उसे आपके तीन साल में कभी नहीं मिली । आप केवल मुरादाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद की बात करते हैं । असामाजिक तत्व इस प्रकार की अव्यवस्था फैला रहे हैं । इन का पता लगा कर इन तत्वों को दबाया जायेगा । जो औचित्य का सवाल उठाया गया है वह औचित्य का सवाल नहीं बनता है ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो कर बोलने लगे) ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठें....

(शोर)..(शोर)

औचित्य का प्रश्न जिन माननीय सदस्यों ने उठाया था उन को जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की उस पर बोलने के लिये उनको तथा हरीकिशन जी को भी सब को इस पर सुन लिया गया । अब आप शांतिपूर्वक कृपया सुनने का कष्ट करें ।

माननीय मोहन सिंह जी ने, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने और राम आसरे वर्मा जी ने इस औचित्य के प्रश्न को उठाया था और इस पर इन लोगों को और भी अन्य माननीय सदस्यों को और शासक दल से माननीय संसदीय कार्य मन्त्री और माननीय सिंचाई मन्त्री को सुना । औचित्य के प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ निर्णयों और कुछ अन्य बातों का हवाला दिया गया । आप लोगों ने इस पर अपनी-अपनी बात बताई और उस को सुन कर मैंने जानकारी हासिल की । मैं सर्व प्रथम नियम 300, जिसमें यह औचित्य का प्रश्न उठाया गया है, को सदस्यों के समक्ष ज्यों का त्यों पढ़ देना चाहता हूं । "औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय (1) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्त्तन के सम्बन्ध में हो और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा, जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।" आपने जो सूचनायें हम को दी उनसे यह ज्ञात हुआ कि अखबारों में ऐसी कोई खबर छपी है जिसमें मुख्य मन्त्री जी ने कोई खबर भेजी है और जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की बात कही है कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(व्यवधान तथा शोरगुल)

आप लोग कृपया शान्त रहें । इस सम्बन्ध में उन्होंने अनुमति मांगी है । जहां तक हमारे सदन के कार्य का सम्बन्ध है, सदन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है । सदन के बाहर किसी ने किसी को क्या चिट्ठी लिखी है सदन का अध्यक्ष उसका नोटिस नहीं लेता है । कोई किसी से राय मांगे सदन का इससे कोई सरोकार नहीं है । हां अगर संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है, या जो सदन की नियमावली बनी हुई है उसके किसी नियम का उल्लंघन हो रहा है और उससे सम्बन्धित कोई घटना यहां घटित हो रही है तो सदन का उससे सरोकार होगा। संविधान का अनुच्छेद 164 इस प्रकार है—

"मुख्य मन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मन्त्री की मंत्रणा से करेगा तथा राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त मन्त्री अपने पद धारण करेंगे ।"

अब ऐसा कोई इस्तीफा राज्यपाल के पास गया है ऐसी सूचना न आपको है, न सदन के संज्ञान में है, न ऐसी स्थिति है और न यहां कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिससे कोई ऐसा व्यवधान पड़े ।

श्री हरि किशन श्रीवास्तव—

नैतिकता की बात है ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप शान्त रहें ।

श्री मोहन सिंह—

धारा 164 आप देख लें ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने संविधान की धारा 164 को ही पढ़ा है । सारी कार्यवाही में शासक दल तथा विरोधी दल भाग ले रहा है ।

श्री मोहन सिंह—

मुख्य मन्त्री गायब हैं ।

(व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया शान्त रहें । अब ऐसी स्थिति में यह औचित्य का प्रश्न जितने जोरदार शब्दों में आपने उठाया, उतना ही लघु प्रश्न यह मुझे दिखाई देता है । इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है और न यहां यह विचारणीय है । इसलिये जितने औचित्य के प्रश्न यहां उठाये गये हैं इन सबको मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री भीखा लाल—

आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जितने हल्के रूप से आंका है और आपने जो देश तथा प्रदेश के हित में निर्णय लिया है वह उचित नहीं है । इस निर्णय के विरोध में मैं अपने दल के साथ 10 मिनट के लिये वाक आउट करता हूं ।

(श्री भोखालाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये) ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें । अध्यक्ष के निर्णय के विरोध में सदन छोड़ना अनुचित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुख्य मन्त्री के वक्तव्य से जो स्थिति पैदा हो गयी है उससे प्रशासन प्रभावित हुआ है और उसी के विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, संसदीय कार्य मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया है उससे प्रदेश में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है । वह एक ड्रामा और जनता के प्रति धोखा है । ऐसे अवसर पर जब प्रदेश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा हो और इस तरह से जनता के साथ अन्याय है उसमें जो आपने निर्णय दिया है, वैसे आपको अधिकार है, लेकिन जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है और जिस तरह से बहुमत के बल पर प्रदेश को आग में ढकेला जा रहा है उसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, यह बड़े दुख की बात है । एक तरफ मुख्य मन्त्री जी अपनी नैतिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं और दूसरी तरफ आपके सम्मुख सदन में माननीय सिंचाई मन्त्री कहते हैं कि सूबे के अन्दर जो भी कुछ हो रहा है वह पहले के मुकाबले बहुत कम हो रहा है । महज उनके इस वक्तव्य के ऊपर जनता पार्टी सदन का त्याग करती है ।

(श्री रियासत हुसैन अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस प्रदेश में घटने वाली घटनाओं की साहस के साथ पूरी जिम्मेदारी ली थी और उसी नैतिकता को लेकर जो उन्होंने इन्दिरा गांधी के पास लिखकर भेजा है मैं समझता हूं कि जरा भी नैतिकता का तकाजा वे समझते तो अपना इस्तीफा राज्यपाल के पास भेजते । इस पर जो आपने अपना व्यू दिया है उसको हम नहीं मानते हैं और उसको हम बहुत बड़ा संवैधानिक प्रश्न मानते हैं । अतः मैं भी अपने साथियों के साथ वाक आउट करता हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा अपने साथियों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो पत्र प्रधान मन्त्री को लिखा है और जो वहां है उससे प्रदेश में एक विचित्र संशय की स्थिति पैदा हो गयी है । उनकी

तरफ से कोई सफाई भी नहीं आयी है । उनको सदन में भी सफाई प्रस्तुत करनी चाहिए थी । इस गैर सफाई के प्रति जो उन्होंने नहीं दी है, उसके विरोध में हम आज सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री राम स्वरूप वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री प्रदीप कुमार यादव--

इस विषय में जो विचार प्रकट किये गये हैं वे निहायत ही संविधान के विरुद्ध है । इसलिये मैं आपके निर्णय के विरुद्ध सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री प्रदीप कुमार यादव सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री फखरे आलम--

जो आपने आदेश दिये हैं उनसे अपने को सम्बद्ध नहीं करते हैं इसलिये मेरी पार्टी भी सदन का त्याग करती है ।

(श्री फखरे आलम अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री श्याम नारायण तिवारी--

मुख्य मन्त्री जी ने अपनी सफाई की पेशकश की है और आज की विशेष परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा किया है....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

यह ऐसा अवसर था जब कि मिलजुल कर कोई रास्ता निकालना चाहिए था । विरोध के लिये विरोध नहीं करना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

पुलिस अधीक्षक, बदायूं के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

[समय 1-10 अपराह्न से]

श्री अध्यक्ष--

एक विशेषाधिकार की सूचना जो पहले से चली आ रही थी माननीय फखरे आलम की उस सम्बन्ध में उस दिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह चाहा था और आप सब उसमें सहमत थे कि मुख्य मंत्री जी के समक्ष इस पर विचार हो ।

श्री मोहन सिंह--

वह कभी आने वाले नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आज के लिए वह रखा था ।

श्री रियासत हुसैन--

डिप्टी चीफ मिनिस्टर एपोइंट कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

यही सोच कर 15 सितम्बर, 1980 रखी गयी थी उसके लिए तो ऐसी स्थिति में जैसा कि कार्यवाही में लिखा गया है मुख्य मंत्री जी आ जायं तो इसे अगले दिन के लिये ले लिया जाये ऐसा विचार किया जा रहा है, क्योंकि वह बीमार है । (व्यवधान) इस पर आज आइटम नम्बर 7 में एक वक्तव्य भी है, अलीगढ़ और आगरा आदि की घटनाओं के बारे में । तो इस पर आपलोगों की क्या राय है ? क्या इसे पहले ले लें ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

रिजवी साहब बैठे हुए हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए मुख्य मंत्री स्वीकार कर लें और इस पर आज विचार कर लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा एक निवेदन था, बात सही है कि सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री जी ने यह बात रखी थी मुख्य मंत्री जी आ जाय उस दिन इस प्रश्न को रखें उस दिन मैंने भी इसे स्वीकार कर लिया था । मैं समझता हूं कि आज शासन का दृष्टिकोण बदल चुका है । यह बहुत महत्वपूर्ण मामला विशेषाधिकार का है । इस सम्बन्ध में हमारे विचार निर्णय देने से पहले सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

इस पर आज निर्णय कर लें । लेकिन मुख्य मंत्री जी का क्या हुआ ?

*श्री अध्यक्ष--

मैंने अपनी बात बतई है । आपने कहा जैसी परिस्थिति है उससे लगता है आज ही इसको ले लें । आज ही ले लेते हैं । माननीय फखरे आलम ने अपनी बात रख दी थी । मैं एक निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने-अपने विचार ग्राह्यता तक ही सीमित रख ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

ग्राह्यता तक ही सीमित रखूंगा । एक सेंटेंस में बतलाना चाहता हूं । माननीय सदस्य ने एक बात कही कि वहां के सरकारी कर्मचारियों ने उनको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रभावित करने की कोशिश की । केवल इतना इश्यू है कि इस सदन में हमारे विशेषाधिकार है वसे बाहर तो एक सामान्य नागरिक के अधिकार है लेकिन सदन में जो कार्यवाही है उसमें हम को अबाध रीति से अपना बात कहन का अधिकार हैं । अगर सदन के बाहर की कोई शक्ति उसमें दबाव डालती है, या प्रभावित करती है तो उस स्थिति में इस सदन का विशेषाधिकार बन जाता है । इस सम्बन्ध में में विधान सभा की जो पुस्तक "उत्तर प्रदेश विधान सभा संसदीय विशेषाधिकार तथा शिष्टाचार, द्वितीय संस्करण है" उसके पृष्ठ 13 को उद्धृत करना चाहता हूं । इसमें दिया है कि हमारे विशेषाधिकार क्या हैं । सदस्यों को उनके कर्तव्य पालन में बाधा उपस्थित करना यह विशेषाधिकार में आता है । इसके (ख) में आप देखें "घूस, धमकी, याचना या आक्षेप जैसा अनुचित उपायों से सदस्यों के आचरण को प्रभावित करना" किसी सदस्य को उसके कार्यपालन में रोकने के अभिप्राय से धमकाकर या डराकर अगर प्रभावित किया जाय तो विशेषाधिकार भंग हो जाता है । यह बात इसमें आती है । कौल शकधर की संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार के पृ0 186 पर मेज से लिया जिसका हिन्दी उद्धरण किया गया है । उससे हमारे तर्क की पुष्टि होती है कि माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन हुआ है । वह कहते हैं--'संविधान के अन्तर्गत संसद को जो कृत्य सौपे गये हैं उनके समुचित रूप से निर्वहन के लिए विशेषाधिकार आवश्यक हैं । वे सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हैं क्योंकि सभा अपने सदस्यों की सेवाओं का अबाध प्रयोग किये बिना अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकती । प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से अपने सदस्यों के संरक्षण और अपने प्राधिकार तथा गरिमा बनाये रखने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त हैं ।" इस आदरणीय सदन को सामूहिक रूप से जो अधिकार हैं वही एक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से हैं । इस सम्बन्ध में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में एक दूसरा उदाहरण कैप्टेन रेम्से का मामला है जिसके सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट है कि विशेषाधिकारों का निर्वाचन करते समय इस सामान्य सिद्धांत का ध्यान रखना पड़ता है कि संसद के विशेषाधिकार सदस्यों को इसलिए दिये जाते हैं कि वे संसद में बिना किसी बाधा या रुकावट के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें ।" अब में दो उदाहरण देना चाहता हूं, उन निर्णयों के जो आपके पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने दिये है । उत्तर प्रदेश विधान सभा के सन् 1970 के प्रथम सत्र में कृत कार्य का सिंहावलोकन पृ0 21--"दिनांक 26 फरवरी, 1980 को श्री चेतराम गंगवार, सदस्य, विधान सभा ने श्री के0 डी0 शर्मा, पुलिस अधीक्षक, बरेली के विरुद्ध विशेषाधिकार का अवहेलना की शिकायत की । अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि 3 जनवरी, 1970 को जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की बिगड़ती हुई शान्ति एवं व्यवस्था सम्बन्धी समस्या के बारे में शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु श्री के0 डी0 शर्मा से मिलने गये और कहा कि पुलिस न जाने क्यों क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों को झूठे मुकदमे में फंसा रही है । यह सुनते ही श्री शर्मा आग बबूला हो गये और कहां कि एम0 एल0 ए0 बने घूमते हैं, असेम्बली की मेम्बरी की सिफारिश का धंधा बना लिया है । ठीक कर दूंगा । देखे आप असेम्बली में मेरा क्या बना लेते हैं । मैं एम0 पी0, एम0 एल0 ए0 को कुछ नहीं समझता हूं । पुलिस के खिलाफ विधान सभा में कुछ कहा तो देख लूंगा । श्री अध्यक्ष ने यह मामला 2 मार्च, 1970 को तथ्य जानने तथा इस प्रश्न के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया । "दिनांक 3 मार्च, 1970 को श्री सुखपाल पांडेय, सदस्य, विधान सभा ने दो अन्य सदस्य विधान सभा सर्वश्री रियासत हुसैन तथा रामकरन सिंह द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित शिकायत भेजी जिसमें उन्होंने श्री डी0 पी0 वरुण,

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

निलम्बित जिलाअधिकारी, बस्ती पर आरोप लगाया कि जब वह श्री धर्मसिंह, सहकारिता मंत्री के कमरे में थे तब श्री डी0 पी0 वरुण ने उनके प्रति अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया और यह सलूक किया गया कि उन्होंने नियम 51 के अन्तर्गत माघ मेले से सम्बन्धित प्रश्न उठाया था जिसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को भी लिखा था । श्री वरुण ने इसलिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया ताकि विधान सभा में उठाये गये प्रश्न में बाधा पड़े । माननीय अध्यक्ष ने इस विषय को 3 मार्च, 1970 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया ।"

आज मान्यवर, आपको यह देखना है कि प्रागदर्शन में यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं । माननीय सदस्य ने तथ्य रखकर स्पष्ट किया उन्होंने भाषण दिया । उससे रुष्ट होकर क्षेत्र में बदनाम करने के लिए, प्रताड़ित और प्रताणित करने की चेष्टा की जिससे सदन में अबाध रूप में वाक् स्वातन्त्रय का अधिकार प्रभावित हो जाय । यह हो सकता है, वह सरकारी कर्मचारी हैं वह इनकार कर दें कि उन्होंने कोई बात कही । दोनों तथ्य उनके सामने आ जायेंगे । इसलिए इसको विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय । अन्तिम रूप से विशेषाधिकार का यह प्रश्न बनता है या नहीं इसका निर्णय हो जायगा । इन शब्दों के साथ में अपनी बात को पूरे बल के साथ रखता हूं कि मामला प्रागदर्शन में विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है । सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा के लिए, और इस आदरणीय सदन की गरिमा की रक्षा के लिए, और इसलिए कि हम अबाध रूप से बिना किसी बाधा के काय कर सकें यह आवश्यक है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाय ।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जो माननीय फखरे आलम साहब का मसला इस माननीय सदन के सामने है उसमें बहस की गुंजायश नहीं है । काफी तफसील के साथ माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने मसले को रखा है । मैं केवल इतनी बात कहना चाहूंगा कि इस आदरणीय सदन में बैठकर सभी माननीय सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं । उनमें एक यह भी अधिकार है कि वह अपने क्षेत्र या अपने प्रदेश के बारे में, किसी प्रकार की कोई घटना का उल्लेख यहां करे और उस चर्चा करने के सम्बन्ध में कोई बाहरी व्यक्ति इस सदन के बाहर कोई भी किसी किस्म की टीका-टिप्पणी, धौंस बाजी या धमकी नहीं कर सकता है, यदि वह ऐसा करता है जिससे हम लोगों का इस सदन में बैठकर अपनी बात कहने में कोई रूकावट पैदा हो, तो वह उस विशेषाधिकार का हनन हो जाता है । इसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं । तो यहां फखरे आलम साहब ने जो कहा, उस पर एस0 पी0 साहब को बुरा लगा और उन्होंने कहा कि तुमने गड़े मुर्दे उखाड़े हैं, एम0 एल0 ए0 चुनकर चले गये सो क्या समझते हो, तुम्हें कान्सीक्वेन्सेज फेस करने पड़ेंगे । अगर ऐसा कहा गया कि वह उससे डरकर अपने कर्तव्यों का पालन न कर सकें । तो उन्होंने धौंस और धमकी देने का पूरा प्रयास किया है । दूसरा पक्ष कुछ भी कहे, उससे इसमें कोई रुकावट नहीं आती है । अब यह मामला प्रीविलेज कमेटी में चला जाए और वहां दोनों पक्ष की बात सुनी जाए । तदुपरान्त किसी नतीजे पर विशेषाधिकार समिति पहुंचे । और वहां भी यदि तय नहीं हो पायेगा तो वह अन्तिम

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रूप से इस सदन में मामला आ जाएगा और यह सदन उस पर कोई निर्णय ले सकेगा। अतः निवेदन है कि आप इसे प्रिविलेज कमेटी में जरूर भेज दें ताकि शासन में इस प्रकार की बढ़ी हुई मनोवृत्ति को रोका जा सके।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रीविलेज का सवाल फखरे आलम ने उठाया है---12-5-80 को थाने में एक घटना हुई, उसके बारे में उठाया था। उन्होंने पिछले दिनों अपने भाषण में एक बात यह कही थी कि 12-5-80 को घटना की सी0 आई0 डी0 ने जांच किया है और उसने घटना को सही पाया है। जबकि यह तथ्यों से परे बात है ऐसी कोई बात नहीं हुई न कोई बात सही पायी गई। उन्होंने कहा कि एम0 ओ0 के जरिए एस0 पी0 ने उन्हें थेट भेजी और उन्होंने तारीख बताई। राज्यपाल के अभिभाषण में 9-5-80 को वह पढ़ चुके थे, तो उसके बाद 13 को थेट दिलवाने का कोई अवसर नहीं था और एस0 पी0 ने यह थेट दिलवाई, यह चीज कैसे बेरीफाई हो। क्या प्रमाण है कि एस0 पी0 ने ही धमकी दिलाई और कोई बात नहीं है। हमारे यहां भीखमपुर का काण्ड हुआ, जिसके अन्दर एक दल का एक आदमी और दूसरे दल के चार आदमी मारे गये। उसमें रियासत हुसैन साहब भी मुरादाबाद से कूदकर बदायूं पहुंच गये और फखरे आलम साहब भी अपने यहां से वहां पहुंचे थे। उस काण्ड को वहां साम्प्रदायिक रूप देने की पूरी कोशिश की गई।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

यह केवल ग्राह्यता पर बोलें, जैसा कि आपने निर्देश दिया है। यह ग्राह्यता से हटकर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सूबेदार सिंह---

मैं श्रीमन् आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं। आपने निर्देश दिया था कि ग्राह्यता पर ही बोलें, आपने उसकी शर्त बताई थी, किन्तु एक माननीय सदस्य एक स्टोरी को दोहरा रहे हैं, तो यह कहां तक ठीक है?

(व्यवधान)

एक सदस्य---

एक माननीय सदस्य ने अपनी जिम्मेदारी पर सदन में एक बात कही है, उसको सदन में चैलेंज नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

18 तारीख को भीखमपुर का कांड हुआ।

श्री अध्यक्ष--

अभी जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया यह पहले भी मैंने कहा था और अब भी कहता हूं कि आप लोग केवल ग्राह्यता पर ही बोलिए। इस बीच में प्रश्न उठा कि ग्राह्यता से हट कर बोला जा रहा है और उन्हीं बातों को दुहराया जा रहा है जो सदस्यों द्वारा अभी कहा जा चुका है तो अगर ग्राह्यता के प्रश्न को अन्य चीजों से अलग कर सकें तो निश्चत रूप से सदन का बहुत सा काम आसान हो जाये, लेकिन जो बोलता है चाहे इधर से हो और चाहे उधर से....।

एक सदस्य--

आपतो इन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूं। ये आरोपात्मक शब्द प्रयोग मत कीजिए।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

हां, तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि 18 तारीख को भीखमपुर कांड हुआ। 20 तारीख को मैं जिलाधिकारी के कक्ष में बैठा था। वहां पर माननीय फखरे आलम का फोन आया और उन्होंने उस कांड को साम्प्रदायिक रूप देने की कोशिश की जबकि वहां पर कोई साम्प्रदायिक मामला नहीं था। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी से जो उनका कन्वर्सेशन हुआ यह उन्होंने लिखकर शासन और एस0 पी0 को भेजा। 21 तारीख को वहां पर एम0 एल0 एज0 की मीटिंग हुयी।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया बैठ जायं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

अधिकारी उनको एम0 एल0 ए0 मानने को तैयार हैं

(व्यवधान)

लेकिन उनके बेटे अनवार अली को नहीं मान सकते हैं भीखमपुर कांड पर उस मीटिंग में कहा सुनी हुयी। उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और फिर क्षमा याचना भी की और कुछ कहा।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

माननीय गोयल जी ने मेरा नाम लिया है और मेरे कहीं जाने पर एतराज किया है। मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं, लिखकर बाद में भेज दूंगा।

*बाबू ब्रज बल्लभ--

एस0 पी0 के कक्ष में जो मीटिंग हुयी उसमें माननीय सदस्य फखरे आलम, केशो राम और श्रीमती प्रेमवती, 3 डी0 एस0 पी0 और एक एस0 पी0 थे।

(व्यवधान)

माननीय फखरे आलम के साथ अनधिकृत रूप से उनके पुत्र श्री अनवार अली भी मीटिंग में बैठे थे । आपने सबसे पहले शुरू किया और कहा कि भोखमपुर कांड में 19 आदमी मर गये हैं । इस पर एस0 पी0 ने कहा कि आप मेरे पास सूची भेज दीजिए ताकि मैं पता लगा सकूं । मैंने भी यही कहा । आपने फिर से कहा कि मरने वाले पंडित गुन्डे थे । मैंने कहा आपको यह कहते हुए लज्जा आनी चाहिए । वे उस फैक्टरी के डायरेक्टर हैं और मेम्बर हैं और बहुमत से चुने गये हैं और आप ऐसे आदमी को गुन्डा कहते हैं जो मुनासिब नहीं है । मैंने यह भी कहा कि इस शब्द को आप वापस लें और तब वहां के एस0 पी0 ने कहा कि कानून से परे कोई चीज नहीं है । मान्यवर, कानून से परे न आप हैं, न हम हैं और न ही कोई माननीय सदस्य हैं । इस तरह का प्रचार अगर माननीय सदस्य कोई करता है तो वह भी कानून से परे नहीं है । यह दो घंटा कहां बैठे रहे, खुशामद की ।

(शोर-व्यवधान)

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

आप स्वयं मान्यवर, एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं, मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रश्न विशेषाधिकार की ग्राह्यता का आप सुन रहे हैं, इसमें यदि कोई माननीय सदस्य कोई सूचना देते हैं तो वह एक एफ0 आई0 आर0 के रूप में है और उस पर आप को निर्णय देना है । माननीय सदस्य ने एक सूचना आपको दी आपको विचार करना है कि सूचना से तथ्यों के आधार पर विशेषाधिकार का हनन हुआ है या नहीं

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने अभी यह कहा कि और भी कई माननीय सदस्य उस समय उपस्थित थे । आप मान्यवर, इनके नोटिस को जरा पढ़ लें । इस नोटिस को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा में अपने विचार यहां पर व्यक्त किये और उस पर एस0 पी0 को यह प्रतिक्रिया हुई । माननीय गोयल जी नें जो बात कही कि भाषण तो बहुत पहले ही दे दिया गया, इसका प्रश्न नहीं उठता उस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि यह शिकायत इसी बात पर है कि जो माननीय सदस्य ने अभिभाषण के समय यहां बात कही जो वक्तव्य दिया इसी करण उनको धमकी दी गयी । नोटिस में यह भी कहा जा रहा है कि जब मैं अपने घर पर था तो एस0 पी0 साहब ने टेलीफोन पर कहा । तो जो बात अन्य माननीय सदस्य कह रहे है उनकी बात से यह बात लिंक नहीं होता है अन्य माननीय सदस्य घटना के समय उपस्थित नहीं थे । आप इसे इस दृष्टिकोण से देखिये कि सूचना ग्राह्य है या नहीं । विशेषाधिकार क्या है इस पर मुझे कुछ नहीं करना है क्योंकि उससे पूर्णतया सदन अवगत है । लेकिन इस आदरणीय सदन में जब एक माननीय सदस्य कोई बात कहते हैं विशेषाधिकार की तो उस पर विशेषाधिकार का हनन हुआ या नहीं उस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरी किशन श्रीवास्तव]--

(व्यवधान शोर)

पर तो विशेषाधिकार समिति निर्णय लेगी। मैं निवेदन करूंगा कि आप इसे स्वीकार कर लें, यह विषय ग्राह्य है। और इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करदें। धन्यवाद।

(व्यवधान)

*श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय फखरे आलम साहब के सिलसिले में जो मसला पेश है, ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष बदनाम अफसरों को भी बचाने की कोशिश कर रहा है...

(शोर व्यवधान)

एक माननीय सदस्य ने आपको विशेषाधिकार उल्लंघन की सूचना दी है। यह सदन में कही हुई बात पर है। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि यह गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसको गलत नहीं कहा जा सकता। तो इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द यदि किया जाता है, तो जो माननीय सदस्य एस0 पी0 या दरोगा के बचाव के लिए और उनकी खूबसूरती के लिए और उनके गुण गाने के लिए खड़े होंगे, वह भी अपने पक्ष को प्रस्तुत कर सकेंगे। मान्यवर, जो कुछ सूचना दी गयी, सदन में, घटना हुई, सदन में एक माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये और उन विचारों को व्यक्त करने के फलस्वरूप धमकी दी गयी। इसलिए मान्यवर, इसको विशेषाधिकार समिति में जाना चाहिए।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, हमारा यह विशेषाधिकार है कि इस सदन में सफाई के साथ अपनी बात कह सकें। जो माननीय दो सदस्यों ने अपनी सफाई प्रस्तुत किया यह बिना नोटिस के अपनी सफाई प्रस्तुत किये थे। उसके पीछे जो उन्होंने कारण बताया है, वह बिना नोटिस के कारण बताये हैं। इसलिए वे माननीय सदस्य पूरे तथ्यों को कहने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए प्रिवलेज कमेटी होती है। यदि माननीय सदन में कोई माननीय सदस्य कुछ कहता है और उनकी बातें सत्य होती हैं और यदि उनकी बातें सत्य नहीं होती तो इसका भी प्राविधान है कि विशेषाधिकार समिति में उनके खिलाफ भी विशेषाधिकार हो सकता है। इसलिए जैसी इनकी बातें सुनी गयीं और माननीय दो सदस्यों ने सरकारी पक्ष की तरफ से कही, तो उससे यह सिद्ध होता है कि इसको प्रिवलेज कमेटी में अवश्य जाना चाहिए। मान्यवर, परम्पराओं की दृष्टि से भी आज्ञायें हैं। जब कोई माननीय सदस्य अपने सम्बन्ध में कोई बात कहते हैं, तो उनकी बात को सत्य मानते हुए विशेषाधिकार समिति को दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे विशेषाधिकार समिति के समक्ष दे दिया जाय जिससे सम्पूर्ण तथ्य सामने आ जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री फखरे आलम---

माननीय, मुझे 2-3 बातें कहना है। माननीय, बृज वल्लभ के खिलाफ 2-3 फौजदारी के मुकदमें चल रहे हैं। इसलिए वह एस0 पी0 के पक्ष में जरूर वे कहना चाहते हैं।

बाबू ब्रज वल्लभ---

मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। माननीय सदस्य बिलकुल

[* * *]

(श्री फखरे आलम के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता कांग्रेस (अर्स) कृपया बैठ जायं।

श्री फखरे आलम--

माननीय, मैं बैठ गया।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

माननीय, जहां तक इस प्रश्न की गम्भीरता का सवाल है कि किसी भी सदस्य को, सदन के बाहर या यहां साफ बात कहने में कोई रुकावट डालता है, तो उसको इस तरह की रुकावट नहीं डालने देना चाहिए और इस बात के लिए हम लोग सहमत हैं कि हम लोग यहां पर स्वतंत्र हैं और अपनी सीमाओं के अन्दर, जो कहना चाहें कह सकते हैं। जो बिन्दु उठाये गये हैं, माननीय फखरे आलम के सम्बन्ध में वह हैं। पुलिस अधीक्षक बदायूं ने 20-7-80 को फोन पर धमकी दिया कि वह बदायूं के कार्यकलापों को विधान सभा में न उठाया करें अन्यथा वह दबा ये जा सकते हैं। 13-7-80 को पुलिस अधीक्षक श्री मलिक द्वारा श्री आलम को संदेश भेजा था कि वह इस मामले को विधान सभा में न उठावें। 21-7-80 को पुलिस अधीक्षक के साथ उनके कार्यालय में विधायक की मीटिंग के दौरान वही बात दोहराई पुलिस अधीक्षक ने और पुलिस कोतवाली को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और आधे घंटे तक पुलिस अभिरक्षा में बैठाया गया।

श्रीमन् यह 3 मुख्य बिंदु हैं, जिनके ऊपर यह प्रश्न उठाये जा रहे हैं। जो जानकारी कराई गयी उसकी एक प्रतिलिपि शासन ने आपके पास भी भेजी है और मैंने इसकी गम्भीरता को देखते हुए ही एक बहुत ही उच्चाधिकारी द्वारा इस मामले की जांच कराई। इसमें जो भी तथ्य सामने आये वह इस तरह हैं। 20 तारीख में ऐसा कोई रिकार्ड नहीं मिलता कि 20-7-80 को टेलीफोन श्री आलम के पास पुलिस अधीक्षक द्वारा अथवा पुलिस अधीक्षक के पास श्री आलम द्वारा आया। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि श्री मलिक द्वारा संदेश मिला कि वह उनके मामले को विधान सभा में न उठायें। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्री मलिक 13-7-80 को 12-10 मिनट पर उसेत में थे और उसेत की दूरी वहां से लगभग 40 किलो मीटर के हैं। तो इतने समय में वह वहां कैसे पहुंच जायेंगे और उन्हें कैसे धमकी आदि भी देंगे। इस हिसाब से प्रतीत नहीं होता है।

नोट:---[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अम्भार रिजवी---]

तीसरी बात यह जो कही गयी कि उनको वहां गिरफ्तार रखा गया । इस बिन्दु पर जो सूचना प्राप्त हुयी है वह यह कि वह वहां बैठ थे और बात-चीत करते रहे थ, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया । वैसे यह मामला काफी गम्भीर है । यह सूचना जो हमारे पास आयी है वह आपके सामने रखी । और किसी भी माननीय सदस्य के विरुद्ध ऐसी बात का होना यह बहुत ही गलत बात है और बहुत ही अहम मामला है । जहां तक ग्राह्यता का मामला है । विशेषाधिकार के सम्बन्ध में नियमावली के नियम (ग) में इसकी शर्तें लिखी हुयी हैं कि ऐसे मामलों में सदन हस्तक्षेप कर सकता है । यह एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है और इसकी जांच कराई गयी और साथ ही माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आप लोग इससे संतुष्ट नहीं तो इससे भी उच्च जांच करा देंगे । जहां तक आप लोगों के मान और सम्मान का प्रश्न है, इसकी सुरक्षा होनी चाहिए, इसके लिए हम आप सब जिम्मेदार हैं ।

श्री रियासत हुसैन---

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इसकी और उच्च जांच करा देंगे । । मेरी समझ में नहीं आता कि जब यह मामला हाउस के फ्लोर पर आ गया और सदन की प्रापर्टी बन गया तो इसका निर्णय विशेषाधिकार समिति में ही हो जायेगा । इसमें उच्च जांच कराने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष---

इस पर काफी माननीय सदस्य बोल चुके हैं और मैंने सब को सुन लिया है और आगे ।

(व्यवधान)

श्री सूबेदार सिंह---

मान्यवर, आपके माध्यम से एक व्यवस्था चाहता हूं कि जब एक विशेषाधिकार की सूचना एक माननीय सदस्य ने रखी तो यह हाउस की प्रापर्टी बन गयी और इस पर निर्णय लेने का अधिकार केवल आपको है । और आपने अपने अधिकारों से इसे सरकार के पास भेज दिया और सरकार ने जांच के लिए भेज दिया । श्रीमन्, आपने कोई निर्देश नहीं दिया था कि इसकी जांच कराई जाए । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह हाउस की प्रापर्टी होने के बाद जो सरकार ने जांच कराई है, तो क्या वह जांच कराने की हकदार है और श्रीमन्, क्या आपने इस पर कोई निर्देश दिये ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा गलत कहा, इसके लिए वे अपराधी हैं । तो इनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न विधान सभा में सत्तापक्ष की ओर से उठाया जाना चाहिए था और दूसरी बात जो आपने रिपोर्ट पढ़ी उसमें एस० पी० साहब ने कहीं भी नहीं कहा कि माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं वे गलत हैं,

(व्यवधान)

यदि आपकी बात सही भी मान लें तो मैं कह रहा हूं कि जो माननीय सदस्य ने कहा उस पर एस0 पी0 महोदय प्रतिवाद करते । मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से इस माननीय सदन से क्या इस सदन में कोई सदस्य जो कहता है उसके कहने पर एस0 पी0 को यह कहने की अनुमति दी जायेगी अगर दी जायेगी तो मुझे कोई अापत्ति नहीं है और हम प्रार्थना करेंगे माननीय सदस्य से कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें । यह आज हम पर आयी है कल आप पर भी आयेगी ।

एक सदस्य--

अनुमति का प्रश्न नहीं उठता है उन्होंने कुछ कहा ही नहीं । यह वहां 2 घंटे तक बैठे रहे और चाय पीते रहे ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री फखरे आलम के खड़े होने पर) नहीं, अब तो सब समाप्त हो चुका है ?

श्री फखरे आलम--

मेरा नाम लिया गया है इसलिये मुझे कहने की जरूरत है । मैंने तीन बातें रखी हैं ।

श्री अध्यक्ष--

दोहराइये नहीं।

श्री फखरे आलम--

मन्त्री जी ने कहा कि 13 जुलाई, को एस0 सी0 को बदायूं आने का कोई वक्त नहीं था ।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से क्या विवाद करायेंगे ?

श्री फखरे आलम--

माननीय 20 जुलाई की बात मैंने कही है. मैंने उन आदमियों के नाम दिये हैं जिनके सामने टेलीफोन पर एस0 पी0 महोदय ने मुझे धमकी दी है श्री ब्रज बल्लभ ने कहा कि मैंने एस0 पी0 के तलुवे चाटे, मैं किसी के तलुवे नहीं चाटता ।

(व्यवधान)

तलुवे तो कत्ल का मुलजिम चाटता है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । कृपया शान्त रहें । मैंने इस पर काफी सदस्यों को सुन लिया है और हमको बहुत दुख है । आप सभी इस सदन के माननीय सदस्य हैं लेकिन

[श्री अध्यक्ष--]

इसके अलावा जो माननीय सदस्य किसी दल के नेता हैं उनके ऊपर और जिम्मेदारी है । मैं केवल इतना कहना चाहता हूं इसलिये उस जिम्मेदारी को निभाने का प्रयत्न करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

इसके अलावा भी कोई अखलाकी जिम्मेदारी है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । मैंने इस विशेषाधिकार के प्रश्न के पक्ष में, इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में शासन से और आप सब के तर्कों को सुन लिया है । मैं स्वयं माननीय सदस्य के सम्बन्ध में अत्यन्त चिन्तित हूं । आपकी बातें मैंने सुन लिया है इस पर पूर्ण विचार करके जो मेरा निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार इसका निर्णय दूंगा ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी 80 नम्बर कमरे में प्रेस कांफ्रेस कर रहे हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

पहेलियों में सदन का समय बेकार न करें ।

अलीगढ़ नगर में श्री पवन कुमार जैन नामक पत्रकार की गिरफ्तारी तथा आगरा के मंडलायुक्त द्वारा पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों के साथ कथित अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में वक्तव्य

पंचायती राज मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

गत कुछ सप्ताह में प्रदेश के कुछ भिन्न नगरों में घटित घटनाओं से माननीय सदस्य अवगत हैं । ऐसी घटनाओं की पृष्ठभूमि में ऐसे वातावरण उत्पन्न होने की सम्भावना बन जाती है जिसमें पारस्परिक सौहार्द्र व विश्वास कम होने लगे और अनावश्यक तनाव व घृणा फैलने का डर बन जाये । ऐसे वातावरण में शान्ति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाये रखने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि हर जिम्मेदार व्यक्ति अपनी वाणी व आचरण को इस प्रकार नियन्त्रित करे कि उसके किसी शब्द या कृत्य से किसी प्रकार की उत्तेजना अथवा तनाव की उत्पत्ति न हो ।

श्री पवन कुमार जैन द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 1980 को दैनिक समाचार पत्र 'नव भारत टाइम्स' तथा 7 सितम्बर, 1980 को 'प्रावदा' दैनिक समाचार-पत्र में कुछ ऐसे समाचार छपवाये जो न केवल गलत थे बल्कि जिनसे साम्प्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न होने की सम्भावना थी । इस सम्बन्ध में श्री जैन के विरुद्ध अपराध संख्या 833 थाना कोतवाली अलीगढ़ में श्री के0 के0 सिंह जिला कमान्डेन्ट होम गार्ड्स की शिकायत पर भ0 द0 वि0 की धारा 153/505 के अन्तर्गत

पंजीकृत कर दिनांक 7 सितम्बर, 1980 को गिरफ्तार किया गया। श्री जैन को ऊपर उल्लिखित गतिविधियों को लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल समझते हुए जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 7 सितम्बर, 1980 द्वारा उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व अध्यादेश, 1980 के अन्तर्गत उनको निरुद्ध किया गया।

7 सितम्बर को "स्वराज्य टाइम्स" आगरा ने समाचार-भारती द्वारा प्रसारित एक खबर छापी जिसमें यह कहा गया था कि 400 होम गार्ड्स अलीगढ़ से लापता हैं। यह समाचार प्रदेश के कई अन्य समाचार पत्रों में भी छपा था। जिलाधिकारी, आगरा ने "स्वराज्य टाइम्स" के सम्पादक का इस प्रकार के गलत और उत्तेजनात्मक समाचार के सम्भावित गम्भीर परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिस पर उन्होंने इसका खंडन प्रकाशित किया।

इसी परिप्रेक्ष्य में आगरा मंडल के आयुक्त ने 7 सितम्बर को समाचार-पत्रों के स्थानीय प्रतिनिधियों की एक अनौपचारिक बैठक बुलायी, जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया कि गलत तथ्यों पर उत्तेजनात्मक समाचार न प्रेषित किये जायं। अधिकतर पत्र-प्रतिनिधियों ने इस पर अपनी सहमति प्रकट की। कुछ पत्र-प्रतिनिधियों ने यह बार-बार कहा कि यद्यपि यह समाचार सही नहीं था, पर यह अधिकारियों से प्राप्त हुआ था। आयुक्त, आगरा मंडल ने पत्र-प्रतिनिधियों को यह बताया कि जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा इस समाचार का उसी दिन खंडन कर दिया गया था। कुछ पत्र-प्रतिनिधियों ने आयुक्त के साथ अशिष्टता बरतनी आरम्भ की, जिस पर आयुक्त ने बैठक इस चेतावनी के साथ समाप्त कर दी कि असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया जायेगा। आयुक्त ने पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया।

श्रीमन्, आज्ञा हो तो दूसरा भी पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--

दूसरा वक्तव्य भी पढ़ दें।

अलीगढ़ नगर में घटित घटनाओं के संबंध में वक्तव्य

पंचायतीराज मन्त्री (श्री अम्बार रिजवी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार 8-9-80 को अलीगढ़ नगर में उन सभी क्षेत्रों में जहां कर्फ्यू अभी पूर्ण रूप से उठाया नहीं गया था कर्फ्यू में ढील प्रातः 6-00 से शाम 6-00 बजे तक के लिए दी गयी थी। बाजार खुलने के समय कुछ क्षेत्रों में दुकानें एक दिन पहले दो स्थानीय पत्रकारों को गिरफ्तारी के विरोध में बन्द रहीं। लगभग 10-40 बजे छतारी मस्जिद के निकट एक विस्फोट की आवाज हुई जिससे आसपास के क्षेत्रों में भय व्याप्त हो गया और बन्द दुकानों के बाहर बैठे दुकानदार व अन्य लोग एक उत्तेजित भीड़ में परिवर्तित हो गये व बम विस्फोट के स्थान पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की मांग करने लगे। अधिकारियों द्वारा काफी समझाने के बाद भी भीड़ की उत्तेजना बढ़ती ही गयी और भीड़ में से किसी ने चौराहे पर निकल रहे एक खाली रिक्शा के चालक को फायर करके घायल कर दिया। इस पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) के आदेश से पुलिस द्वारा 29 राउन्ड फायर किये गये जिसमें कोई व्यक्ति हताहत अथवा घायल नहीं हुआ और भीड़ तितर-बितर हो गई।

[श्री अम्मार रिजवी--]

2--इसी बीच यह सूचना प्राप्त होने पर कि दही वाली गली में पथराव हो रहा है, क्षेत्र अधिकारी (नगर) अन्य पुलिसजनों को साथ लेकर वहां पहुंचे और एक मकान की छत पर चढ़कर स्थिति का जायजा लेने लगे तो उन पर किसी ने फायर किया। इस पर क्षेत्र अधिकारी के आदेश पर 4 फायर करवाये गये जिससे पथराव बन्द हुआ और भीड़ तितर-बितर हो गई। फायरिंग से कोई व्यक्ति घायल अथवा हताहत नहीं हुआ। शहर के अन्य स्थानों पर भी भीड़ एकत्र होने लगी और उसको तितर-बितर करने के लिये फोर्स भेजी गयी। मदारगेट के पास उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सी० आर० पी० द्वारा लाठी चार्ज किया गया। सराय बैराबेग में कुछ मकानों में बलवाइयों ने आग लगा दी जिसको फायर-ब्रिगेड बुला कर बुझवाया गया। हिन्साात्मक घटनाओं की इस श्रृंखला में कुल 10 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 20 व्यक्ति घायल हुये जिनमें ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट, परगनाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी भी शामिल हैं। इन घटनाओं के सम्बन्ध में कुल 8 अपराध पंजीकृत हुये जिनको विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है। इन दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को सहायतार्थ एक लाख रुपया जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है तथा स्थिति नियन्त्रण में है। अभी तक कुल 748 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं जिनमें 8 गिरफ्तारियां 8 सितम्बर, 1980 को उपरोक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह मेरी प्रार्थना है कि विषय की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये अगर 2 घंटे की चर्चा करा दी जाये तो स्थिति और साफ हो जायेगी। मैं समझता हूं कि इस पर आप विचार करें और समय निर्धारित करें।

श्री मोहन सिंह--

मेरा भी नाम इसमें था लेकिन सम्पूर्ण तथ्य एक छोटे से वक्तव्य में नहीं आ सकते। हमारे मित्र लोग अलीगढ़ गये थे और सरकार के पास भी सूचना देने के बाद सूचनायें आयी होंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सम्पूर्ण तथ्य आ सकें, इसलिये इस पर चर्चा करा दी जाय।

श्री रियासत हुसैन--

इस पर चर्चा करायी जाय। उन्होंने स्वयं तसलीम किया है कि जो मौखिक सूचना दी थी उसका खंडन उसी दिन जिलाधिकारी ने कर दिया था। इसके माने हैं कि जो सूचना दी थी उसी बेस पर यह हुआ है। अतः बिना बहस के इस पर काम नहीं चलेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह--

इसमें श्रीमन्, पैसा इन्वाल्वड है। वहां का जो इन्चार्ज है 4 सौ होम गार्डों का पैसा ड्रा किया है। उसने यह सूचना इसलिये दी कि आज तक जो किया है उसकी रेक्टीफाई करना चाहता था। कोई भी होम गार्ड नहीं आया था और वह इन्चार्ज जो है वह 4 सौ होमगार्डों का पैसा ड्रा कर रहा था। मेरा भी निवेदन है कि इसमें चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, वैसे तो सारे तथ्य सामने रख दिये गये हैं । लेकिन जैसे नेता, विरोधी दल और अन्य नेताओं ने कहा है, इसलिए इसको इस समय तो न लिया जाये और श्रीमन् इसमें थोड़ा समय कम कर दिया जाय और सदन के बाद रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आज 3 बजे है । मैं इस पर चर्चा स्वीकार करता हूं लेकिन कितनी देर चर्चा होगी और कब होगी, इस पर कार्य मंत्रणा समिति में आप बात कर लें ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 में कार्य-स्थगन की 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की बाजार में उपभोक्ताओं को किसी भी मूल्य पर चीनी न मिलने के सम्बन्ध में और दूसरी श्री मुख्तार अनीस की जिस पर आप औचित्य का प्रश्न उठा चुके हैं, मुख्य मंत्री के इस्तीफे की बात को लेकर, इसी सम्बन्ध में श्री ऊदल का भी था और श्री प्रदीप कुमार यादव का मुरादाबाद में दंगे के सम्बन्ध में तथा श्री मित्र सेन यादव और भोला लाल का प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में । कोई भी सूचना स्वीकार नहीं हुई । सब अस्वीकार हुई ।

श्री भोखालाल--

माननीय, मेरी भी रोडवेज के सम्बन्ध में सूचना थी ।

श्री अध्यक्ष--

हां, आपकी भी थी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने कार्य-स्थगन की एक सूचना दिया था कि बाजार में उपभोक्ताओं को किसी भी कीमत पर चीनी नहीं मिल रही है । माननीय, जबसे सरकार ने चीनी के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए कि चीनी शासन अपने माध्यम से बाजार में बिकवायेगी तबसे चीनी किसी कीमत पर नहीं मिल रही है । हमारे सीतापुर जिले में 700 बोरी चीनी का एलाटमेंट हुआ है लेकिन वह अभी तक पहुंची नहीं है और इसलिए मैं इस तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 700 बोरे चीनी सीतापुर में एक दिन में समाप्त हो जायेगी और फिर वह चोरबाजारी से बाजार में बेची जायेगी और चोरबाजारी से वहां चीनी बिक रही है । इसलिये शासन इसमें व्यवस्था करे ।

(व्यवधान)

विधान सभा सदस्य, श्री राम स्वरूप निम को गुंडों द्वारा घायल किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री विजय सिंह राना--

अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना समय से नहीं दे पाया हूं । इसलिए उसको माननीय, यहां पढ़ने की अनुमति प्रदान करें ।

श्री अध्यक्ष—

पढ़ें नहीं, आप कह दें ।

श्री विजय सिंह राना—

अध्यक्ष महोदय, हमारे इस सदन के और हमारी पार्टी लोकदल के सदस्य श्री राम स्वरूप निम 13 तारीख को साढ़े 8 बजे सहारनपुर में रिक्शे से जा रहे थ । रास्ते में उनको कुछ गुन्डों ने घेर लिया और उनको चाकू मार दिया और उनके सर पर चोट आई है । चाकू जबड़े पर लग है । वह अस्पत ल में हैं और खतरनाक स्थिति में हैं । मुझे इस सम्बन्ध में कोई ज्य दा जानकारी नहीं मिल पायी है लेकिन इसमें केवल एक बात मेरे सामने आयी है वह यह है कि श्री र म स्वरूप निम ने यहां सदन में राजस्व पर चर्चा के दिन आबकारी के विरुद्ध कुछ बातें कहीं थी। उस सम्बन्ध में सहारनपुर के एक ठेकेदार के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी कि उसके पास शराब का बकाया पड़ा है । ऐसा मालूम पड़ता है कि यह घटना इसी शिकायत करने पर हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

श्र राम स्वरूप निम इस माननीय सदन के सदस्य हैं । उनको आघात पहुंचाने का जो मामला है उसको, मैं शासन से कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में शासन जानकारी करे और जो आवश्यक कार्यवाही हो वह तत्काल करने की कृपा करे ।

[समय 2.05 अपराह्न से]

1980–81 के आय–व्ययक में अनुद नों के लिए मांगों पर मतदान–

अनुदान संख्या 1––राज्य विधान मन्डल तथा अनुद न संख्या–5 निर्वाचन विभाग

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रस द)—

अध्यक्ष महोद य, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1––राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,06,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिय लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,23,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

इन मदों पर चूंकि विवाद नहीं है, इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मन्डल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,06,43,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,23,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 4—न्याय विभाग तथा अनुदान संख्या 128—न्याय विभाग ऋण और अग्रिम

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4—न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,49,87,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 128—न्याय विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, वैसे तो इस न्याय प्रशासन के अनुदानों को प्रस्तुत करते हुये कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस सम्बन्ध में हमारे विभाग से पुस्तिका माननीय सदस्यों को वितरित की जा चुकी है और उसमें जो कार्य किया है और जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में विस्तारपूर्वक दिया गया है। मैं कुछ विशेष बातों की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्रीमन्, गत वर्ष अर्थात् 1979-80 के बजट प्राविधान में मैदानी क्षेत्रों के लिए 10,54,000 रुपये तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 44,61,000 रुपये का प्राविधान किया गया था। इस वर्ष यानी 1980-81 के आय-व्ययक में उसकी तुलना में मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों को एक साथ सम्मिलित करते हुये 12,31,60,000 रुपये का प्राविधान किया गया है। यह प्राविधान निम्नलिखित कार्यों के लिए किया है—

उच्च न्यायालय।

जिला तथा सत्र न्यायालय।

[श्री जगदीश प्रसाद—]

लघुवाद न्यायालय ।

फौजदारी न्यायालय ।

महा प्रशासक तथा सरकारी न्यासी ।

विधि परामर्शदाता तथा अधिवक्ता ।

उपरोक्त अनुदान के अन्तर्गत निम्नलिखित नई मदों के लिए 8,99,000 रुपये का प्राविधान किया गया है :—

(इस समय 2 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्रीकृष्ण गोयल पीठासीन हुए ।)

महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन राज्य विधि अधिकारी पुस्तकालयों के लिये विधि पुस्तकों का क्रय 1,10,000 रुपये ।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा लखनऊ पीठ में न्यायालय कक्षों एवं चैम्बर्स की डेस्क लाइब्रेरियों के लिए विधि पुस्तकों का क्रय 1,50,000 रुपये ।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ पीठ के न्यायाधीशों के सरकारी आवासिक भवनों में साज-सज्जा उपलब्ध कराना 3,24,000 रुपये ।

अखिल भारतीय हिन्दी विधि प्रतिष्ठान को अनुदान तथा ऋण 3,15,000 रुपये ।

तो श्रीमन्, इससे स्पष्ट है कि इस समय हमारे सामने जो समस्या है वह यह है कि जो मुकदमे हमारे यहां लम्बित हैं उन का निस्तारण कैसे किया जाय । इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जैसा कि स्पष्ट है कि 1969 तक किसी भी वर्ष सेशन के मुकदमों की संख्या 10 हजार से ज्यादा नहीं हुई । उसके बाद बराबर हर वर्ष उनका दायरा बढ़ता गया । आंकड़ों से स्पष्ट हो जायगा कि 79 में 25,974 नये सेशन के मुकदमे दायर हुए । इसी प्रकार मैजिस्ट्रीयल मुकदमों की संख्या जो 1970 में 3,90,325 थी वह 1979 में बढ़ कर 7,68,656 तक पहुंच गयी । मुकदमों की बढ़ती हुई इस संख्या के शीघ्र निपटारे के लिये उच्च न्यायालय तथा शासन द्वारा सभी सम्भव उपाये किये जा रहे हैं । पिछले 4–5 वर्षों में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीशों, सिविल जजों तथा मुन्सिफ मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों की संख्या में काफी वृद्धि की गयी है । वर्ष 1978–79 में अधीनस्थ न्यायालयों की कुल स्वीकृत संख्या स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के अतिरिक्त 1145 थी. 1979–80 में बढ़कर 1253 हो गयी है, जिसमें सप्तम वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सृजित मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के 84 न्यायालय तथा अतिरिक्त सेशन्स न्यायाधीशों के 24 न्यायालय सम्मिलित हैं । 1980–81 में सप्तम वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत 24 और अतिरिक्त सेशन न्यायालयों की स्थापना की जायगी और इस प्रकार न्यायालयों की कुल संख्या इस वर्ष 1270 हो जायगी । इसी वर्ष 100 नये मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां की जायेगी । इन नये न्यायालयों के कार्य करने से न केवल लम्बित वादों की संख्या में कमी आयगी बल्कि मुकदमों के निस्तारण में आगे भी तेजी आयेगी ।

लम्बित वादों की संख्या में कमी लाने में तथा वादकारी जनता को सुविधा के लिये कुछ और प्रभावकारी कदम भी उठाये गये हैं ।

(1) उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन एवं विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत कुछ प्रकार के छोटे-छोटे लगभग 22 हजार फौजदारी मुकदमें उपशमित हो गये हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पुराने छोटे-छोटे मुकदमों को कम्पाउन्ड किया जा रहा है। इस प्रकार न केवल बहुत से छोटे-छोटे मुकदमे समाप्त हो जायेंगे बल्कि अन्य मुकदमों को शीघ्रता से निस्तारण में मदद मिलेगी।

मोटर वेहिकिल्स अधिनियम की धारा 130 के अन्तर्गत मुकदमों के शीघ्रता से निस्तारण के लिये एक विशेष अभियान मान्यवर, चलाया गया है जिसके अनुसार अपराधी के न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए बिना निर्दिष्ट जुर्मानों की रकम को जमा करा कर सरसरी तौर पर मुकदमों का निस्तारण किया जा रहा है। लखनऊ में एक वर्ष में उपरोक्त अधिनियम के 11,000 से ऊपर वादों का निस्तारण किया गया है और आठ लाख रुपये से अधिक धनराशि जुर्माने के रूप में जमा हुई है। इसी प्रकार की व्यवस्था अन्य सात बड़े जिलों कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ और गाजियाबाद में, जहां पर इस प्रकार के मुकदमों की संख्या काफी अधिक है, प्रभावी हो गयी है।

तीसरे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अधीन हरिजनों से सम्बन्धित मुकदमों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्येक जिले में एक मजिस्ट्रेट को नामित किया जा चुका है।

चौथे पहाड़ी क्षेत्रों में वादकारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए चमोली तथा पिथौरागढ़ जिलों में जिला जजियां स्थापित कर दी गयी हैं और अब केवल उत्तरकाशी ही एक जिला बाकी है जहां जजी नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां-जहां मुकदमों की संख्या अधिक है और आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं वहां-वहां न्यायालयों के बैठने का स्थान घोषित किया जा रहा है।

अन्तरांचल क्षेत्रों के वादकारियों की सुविधा के लिये तहसील मुख्यालयों में मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के न्यायालय स्थापित किये जा रहे हैं। इस समय 38 ऐसे न्यायालय कार्य कर रहे हैं और 15 अन्य स्थानों पर न्यायालय कक्षों तथा आवासिक भवनों का निर्माण पूर होने पर स्थापित किये जायेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुछ और स्थानों पर न्यायालय कक्ष तथा आवासीय भवन स्वीकृत किये जाने प्रस्तावित हैं। जहां तक उच्च न्यायालय का सम्बन्ध है एक प्रकार के सभी मुकदमों को एक साथ सुने जाने तथा स्पेशल बेंचों का गठन किये जाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इस प्रकार लम्बित वादों की संख्या जो 1978 के अन्त में 1,36,978 थी वह घटकर 1,03,338 हो गई है। मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 56 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है।

मान्यवर, न्यायालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के बारे में बराबर कोशिश की जा रही है। उच्च न्यायालय में निर्णय व डिक्री व आदेशों में हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी। 26 जनवरी, 1977 से अन्य सभी कार्यवाहियों जैसे याचिकाओं, अपीलों, मेमोरेन्डमों, वकालतनामों

[श्री जगदीश प्रसाद—]

आदि में भी हिन्दी का प्रयोग कुछ शर्तों के साथ किया जा सकता है। सभी मुन्सिफों तथा मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में समस्त दीवानी और फौजदारी के मामलों में हिन्दी में निर्णय दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा अपने सभी अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को शनैःशनैः किन्तु समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में समस्त निर्णय अथवा आदेश हिन्दी में देने के आदेश भी प्रसारित किये गये हैं। इस प्रयोजन हेतु सभी जिलों में आवश्यकतानुसार 600 हिन्दी टाइपराइटर्स दिये जा चुके हैं। बड़े जिलों में जहां कार्य अधिक है नकलें शीघ्र दिये जाने के लिये 20 फोटो कापियर्स दिये गये हैं। न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी उत्तर प्रदेश अधिनियमों के हिन्दी तथा अंग्रेजी के द्विभाषिक संस्करण तैयार किये जा रहे हैं जो यू० पी० कोड के नाम से प्रकाशित हो रहे हैं। इसके चार खन्ड प्रकाशित हो चुके हैं और अनुवर्ती खन्डों को भी शीघ्र प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

माननीय, न्यायालयों में वादकारी जनता, गवाहों, वकीलों तथा न्यायालयों के स्टाफ की सुविधा को ध्यान में रखते हुये भवनों के विस्तार, नये भवनों के निर्माण आदि के साथ-साथ वहां पर उनके बैठने के लिये उपयुक्त फर्नीचर की व्यवस्था गत वर्षों में कर दी गई है और अहातों का भी सुधार किया गया है ताकि न्यायालयों में उपस्थित होने वालों, वादकारी जनता, गवाह आदि को कठनाई न हो।

इसके अतिरिक्त न्यायालयों से सम्बन्धित भवनों के विषय में आवश्यक प्राविधान सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में किया जाता है। परन्तु मैं यहां पर यह उल्लेख कर देना आवश्यक समझता हूं कि न्यायालय कक्षों तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासिक भवनों की कमी को पूरा करने के लिये भरसक प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 1979-80 में आयोजनागत परिव्यय तथा सप्तम् वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आयोजनेतर पक्ष में उपलब्ध करायी गई धनराशियों से 149 न्यायालय अथवा कार्यालय कक्षों तथा 205 आवासिक भवनों का निर्माण स्वीकृत किया गया था। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है जिनमें जो नये भवन सम्मिलित किये गये हैं वे इस प्रकार हैं—सीतापुर के दीवानी न्यायालय के प्रांगण में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु टाइप एक के चार आवासीय भवनों के निर्माण के लिये 51,000 रुपये की व्यवस्था की गई है।

इसी तरह से माननीय, हमने वादों के निस्तारण के लिये काफी व्यवस्था की है। यदि हम गत तीन वर्षों को देखेंगे तो उससे मालूम होगा कि वादों में अब काफी कमी आ गई है। मैं अपने सहयोगियों, माननीय विधायकों का आह्वान् करता हूं कि वे न्याय विभाग के सम्बन्ध में उनके जो विचार हों वे व्यक्त करें और उनके मार्गदर्शन के अनुसार हम आगे भी इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि जो ग्रांट पेश की गई है उसको आप पास करने की कृपा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

श्री फखरे आलम। चूंकि आज दो ग्रान्ट्स पास होनी हैं और दोनों को पांच बजे तक समाप्त होना है इसी हिसाब से आप अपना कटौती का प्रस्ताव रखें और उसी के अनुसार कम समय लें।

श्री फखरे आलम--

जितना टाइम आप एलाट कर दें, मैं उतने में समाप्त कर दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

तीन बजे तक यह समाप्त हो जाय और तीन से पांच तक दूसरी ग्रांट हो जाय या जैसा भी आप लोग तय कर लें ।

*श्री फखरे आलम--

मान्यवर मैं न्याय विभाग की मांग पर अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4--न्याय विभाग के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मुकदमों की बढ़ती हुई हालत को देखते हुए.... ।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें दो मांगे हैं एक पर तो आपने कटौती का प्रस्ताव पढ़ दिया दूसरा भी पढ़ दीजिये ।

श्री फखरे आलम--

दूसरा भी पढ़ देता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 128--न्याय विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, इस समय उत्तर प्रदेश में मुकदमों की हालत हाईकोर्ट से लेकर जिला स्तर तक भरमार है । उन पर फैसला नहीं हो पा रहा है । मंत्री जी ने अभी बताया कि लगभग उनकी संख्या दुगुनी हो गयी है । मान्यवर, मुकदमें बढ़ते जा रहे हैं, मुकदमें करने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उस हिसाब से फैसला करने वालों की संख्या नहीं बढ़ रही है । फैसला करने वाले जो मुकर्रर किए जाते हैं उनकी भी बहुत बड़ी समस्या है । पहले तीन तरह के मुकदमे होते थे एक सिविल लिटिगेशन, 2--क्रिमिनल लिटिगेशन, 3--रेवेन्यू लिटिगेशन और अब एक चौथ सरविसेज ट्रैव्यूनल का हो गया है । मैं चौथे के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । उसके लिए यहां लखनऊ में आपने कोर्टस बनाई हैं । चाहे यहां पर आप तीन कोर्ट रखें चार कोर्ट रखे या 5 कोर्ट रखें उससे लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई हो रही है । सरविस ट्रीव्यूनल में जो आदमी आता है वह बड़ा दुखी होता है, वह नौकरी से अलग हुआ रहता है । जिले की नौकरी से बरखास्त कर दिया गया होता है या सस्पेन्ड किया हुआ होता है उसके पास पैसे की बहुत कमी होती है । इसलिए मेरा सुझाव है कि सरविस ट्रीब्यूनल हर जिले में बना दी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री फखरे आलम---]

जांय । मै इस बात से सहमत हूं कि सरविश ट्रीब्यूनल जो बनी हैं और जो इनका इनैक्टमेन्ट किया गया हैं वह बहुत उचित है उससे सरविश मैटर्स में फैसला जल्दी होता है । लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं कि बजाय लखनऊ के आप तमाम 58 जिलों में वह हों और वहीं पर इन पर फैसला हो । सर्विस ट्रीब्यूनल के लिए, किसी जुडीशल आफिसर को एक्स आफिसियों जज बना दें ।

दूसरा विषय सिविल लिटिगेशन का है जो कि बहुत बड़ी समस्या है । चूंकि मेरा इस प्रोफेसन से ताल्लुक हैं और इससे पहले मैं सरकार की तरफ से 16, 17 साल तक डिस्ट्रिक्ट कांऊसिल रह चूका हूं । इसलिए जानता हूं कि पब्लिक को मुकदमेबाजी से बड़ी परेशानी होती है उसमें सरकार भी शरीक है उसको भी बड़ी परेशानी होती हैं यह एक कंबरसन प्रोसीजर हो गया है कि 12 साल तक कोई चाहे तो फैसला नहीं होता है । इसके लिए कानून में सिविल प्रोसीजन कोड में एक डैडलईन आपफिक्स कर दीजिये कि इस तारीख तक मुकदमों को फैसला कर दिया जाय वर्ना मुकदमा एंबेट हो जायगा । आबिटेरिटी भी उसका इजैक्टमेंट नहीं होना चाहिए उसके लिए तरीका यह होना चाहिए, इश्यूज फेम होने के बाद, हियरिंग की डेट फिक्स हो जानी चाहिए, बीच में ऐडर्न नहीं होना चाहिए । इस तरह से मुकदमें का फैसला हो जायेगा । जो माननीय मंत्री ने फीगर्स दिये हैं, तीन हजार से सात हजार मुकदमें पहुंच गये हैं, ये सब मुकदमें खत्म हो जायेंगे तीन साल में । यह जिला लेविल की बात है । हाई कोर्ट में फर्स्ट अपील में 16 से 18 साल में तय होती है । बाप मर जाय, उसका बेटा सब्सटीट्युट हो जाय, बेटा भी मर जाय तो उसका बेटा सब्सटीट्युट हो जाय । तीन जनरेसन्स मुकदमा करते हो जाते हैं । इस लिए कहा गया है, दीवानी का मुकदमा करने वाला दीवाना हो जाता है । माननीय मंत्री जी जानते हैं कि लिटीगेंट को कितनी परेशानी होती है । आप हाई कोर्ट में वकालत करते थे इस लिए ज्यादा समझते हैं । इस लिए मेरा सुझाव है कि फर्स्ट अपील के डिसीजन के लिए एक टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए ।

पेपर बुक छापने का तरीका खत्म करना चाहिए । वेस्ट आफ मनी और वेस्ट आफ इनर्जी है । अब कोई जरूरत ही नहीं है । जब सब काम हिन्दी में हो रहा है तो क्या जरूरत है कि उसका ट्रांस्लेशन किया जाय । ट्रांस्लेटर्स को दो तीन हजार रुपये दिऐ जांय, चार हजार रुपये पेपर बुक को छापने में लगे । मेरा सुझाव यह है कि पेपर बुक का पब्लीकेशन पेपर बुक बनने का सिस्टम अबालिश कर दिया जाय । तीन साल में फर्स्ट अपील हो जानी चाहिए । पिछला रेकार्ड देखिए, 1930 से पहले लिटिगेशन बड़ा कामप्लाकेटेड था, जमींदारी और ताल्लुकेदारी का लिटिगेशन होता था, लेकिन तीन साल में फर्स्ट अपील और एक साल में सेकेन्ड अपील डिसाइड हो जाती थी । अब 18 साल में फर्स्ट अपील डिसाइड होती है । 1970-71 की सेकेन्ड अपील पड़ी हैं, अब लिस्ट पर आना शुरू हुई हैं । जहां तक अपीलों का सवाल है उसमें जल्दी होनी चाहिए । लेकिन यह न हो जैसा कि कुछ केसेज में हुआ है कि हमारे हाई कोर्ट ने समरिली हियरिंग में खत्म कर दिया । समरी हियरिंग में खत्म कर दिया तो बड़ा अन्याय हो जायगा । लिटिगेंट्स को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा । आर्डर 11 को स्क्रैप कर देना चाहिए वरना लिटिगेंट समझता है न्यायालय ने उसके साथ न्याय नहीं किया । जस्टिस सुड बी डन, बट इन शुड ऐपियर टु हैव बीन डन । हमने चीनी का कोटा सुना था, कपड़े का कोटा सुना था, मुकदमों का कोटा भी फिक्स होने लगा । कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इतने मुकदमें इतने दिन में

फैसले हो जाने चाहिए । यह कोटा खत्म हो जाना चाहिए । सब्सटेशल जस्टिस तभी हो सकेगा । इस तरह से हाई कोर्ट में लिटिगेशन जल्द खत्म हो जायेगा, जिलों में सिविल लिटिगेशन जल्द खत्म हो जायगा । जहां तक फौजदारी के मुकदमों का सवाल है उनमें जल्दी होने लगी थी लेकिन उसमें बहुत बड़ा स्टैलमेन्ट ही हो गया है पहले सिविल केस में एक डेट के बाद दूसरी डेट चार महीने के बाद पड़ती थी अब फौजदारी के केस में एक डेट के बाद दूसरी डेट चार महीने के बाद पड़ती है । एडीशनल मुंसिफ मैजिस्ट्रेट्स की कोर्टस इतनी बना दी गयी हैं उन लोगों के रहने की भी जगह नहीं है । बेचारे मुंसिफ साहबान रात को कहां रहते होंगे । लेकिन मुकदमे फैसले नहीं हो पाते । बढ़ती हुई मुकदमेबाजी भी इसकी वजह है । और सबसे बड़ी वजह फौजदारी के मुकदमों के फैसले होने में विलम्ब की बात है कि सबूत पक्ष की तरफ से जो सरकारी गवाह होते हैं वह पेशी पर नहीं आते हैं । मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं और मंत्री जी भी जानते होंगे । फौजदारी मुकदमें एक-एक दर्जन डेटस मजिस्ट्रेट की तरफ से इस बात के लिए दी जाती है कि सरकार की ओर से गवाह नहीं आए हैं और यह लिखा होता है कि माननीय मंत्री जी आये हुए थे, पुलिस उनके इंतजाम में लगी हुई थी, इसलिए वह गवाहों को नहीं ला सकी । कभी कह दिया जाता है कि मेले के प्रबन्ध में पुलिस और पुलिस अधिकारी लगे हुए थे, इसलिए गवाहान नहीं लाये जा सके । नतीजा यह होता है कि तारीख पर तारीखें बढ़ती चली जाती हैं और मुलजिम का वकील कहता है कि मैंने तुम्हारा जिन्दगी भर का ठेका थोड़े लिया है, अब और फीस खर्चा दो, तो आगे खड़े हों । तो इसके लिए आपकी तरफ से ऐडमनस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस जाएं कि पुलिस किसी मुकदमें में इस बिना पर डेट न ले सके उनके गवाह नहीं आ सके । यदि यह हो जाए और इसका इम्पलीमेंटेशन भी पक्का हो जाए तो मुकदमे के फैसलों में इतनी देर नहीं लगेगी और फैसले शीघ्र होंगे, जिससे गरीब जनता को काफी राहत मिलेगी ।

अब में रेवेन्यू लिटीगेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । वैसे रेवेन्यु लिटीगेशन का काम अब बहुत कम हो गया है । लेकिन इसमें मेरा सुझाव यह है कि जैसा आपने इधर कर रखा है इसकी ब्रांच अलग नहीं होनी चाहिए । जैसे जूडिशियल आपने एक कर दी, सिविल और क्रिमिन जूडिशियरी एक हो गई तो वैसे रेवेन्यु लिटीगेशन को भी इसके साथ में मिलकर एक में हो जाना चाहिए । रेवेन्यु की कोई सेपरेट ब्रांच नहीं है । जमीन्दारी एबोलोशन ऐक्ट, लैन्ड रिफार्मस ऐक्ट या अरबन एरिया सीलिंग ऐक्ट, जैसे सब जमीन्दारी ऐक्ट में हो गये, वैसे रेवेन्यू लिटीगंशन का जूरिस्डक्शन भी आप मुंसिफ को दे दीजिए । आपको ध्यान होगा कि जब कमींदारी एबालीशन ऐक्ट पहले-पहले बना था, तो सेक्शन 202, 209 व 229 में सिविल कोर्ट्स को अधिकार प्राप्त था, फिर उसके सिविल कोर्ट्स के जूरिस्डेक्शन को घटाकर यह रेवेन्यु कोर्ट्स को दे दिया गया है । यह भी सुनने में आया है कि सरकार चाहती है, सरकार का विचार है कि बोर्ड आफ रेवेन्यु को खत्म कर दिया जाए । तो इस सबके लिए भी आवश्यक है कि वह सब केसेज मुंसिफ के यहां हों और यह केसेज सेकेण्ड अपील में हाईकोर्ट में जाएं । आप कम्पटीटिव टेबुलस बनवाकर देख लें अब रेवेन्यु कोर्ट्स में ज्यादा समय लग जाता है बनिस्पत सिविल कोर्टस के । इतना करने के बाद ही हम सही मायनों में कह सकेंगे कि हमारे यहां एक जूडिशियरी है । आपने क्रिमिनल और सिविल को तो एक में कर दिया है, किन्तु बिना रेवेन्यु लिटीगेशन को भी

श्री फकरे आलम—

इसमें मिलायें यह कार्य अधूरा है। आप ऐसा जरूर करें और ऐसा करने से जिला लेवेल से, और मैं तो कहूंगा कि न्याय पंचायत से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट तक सिंगिल जुडिशियरी हो जाएगी।

आज तमाम दुनियां में न्याय का यही एक तरीका है, सिवाय हमारे इस सबकान्टीनेन्ट को छोड़कर यानी दुनियां के तमाम मुल्कों में न्याय की युनिलिटरल प्रणाली हैं। इस तरीके से लिटीगेंट जनता को बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी और जो स्टेट की बैकबोन है पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम आफ प्रापर्टी, वह सब नागरिकों के लिए सही मायने में सुरक्षित हो जाएगी और मुकदमों बहुत जल्दी फैसले हो जाएंगे और बाकी जो छोटी-छोटी बातें हैं जैसे टाइपराइटर्स का इन्तजाम है ये तो सब होते ही रहते हैं और तो आपको करने ही है। अब एक और गम्भीर चीज जो हमारे यहां पर है उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूं। हमारे यहां पर जो कानून बना है उसमें स्माल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स के लिए एक दिक्कत है और वह यह है कि इन लोगों के लिए जो बैनिफिट है वह उनके लिए है जो अर्डिनेरेली रूरल एरिया में रहते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया मे रहने का डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी ऐसा है जो स्माल फार्मर या मार्जिनल फार्मर है तो महज इस वजह से कि वह शहर के अन्दर रहता है, उसको डिप्राइव नहीं कर देना चाहिए। वह लाभ उसको भी मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक काश्तकार की एक एकड़ जमीन है, वह सिर्फ खेती पर ही निर्भर करता है, उसका कोई दूसरा जरिया गुजर बसर का नही है और वह शहर में रहता है तो कोई वजह नहीं है कि उसको उसका फायदा न मिले। तो ऐक्ट में एमेंडमेन्ट करनी चाहिए और यह एक शौर्ट एमेंडमेंट होगी। शब्द "आर्डिनेरेली रिजाइडिंग इन रूरल एरियाज" को काट देना होगा। इसमें यह होना चाहिए कि एवरी कल्टीवेटर इज इन्टाइटिल्ड टू दैट प्रोविजन आफ ला।

अब एक बात मुझे यह अर्ज करनी है अगर हमारी जुडिशियरी डिस्सेटिस्फाइड होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस नहीं हो सकेगा। हमारी जुडिशियरी डिस्सेटिस्फाइड है इसलिए कि उनके एमाल्युमेन्ट्स ठीक नहीं हैं। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जजेज, मुन्सिफ्स और मैजिस्ट्रेट्स के इमाल्यूमेंट्स में कम से कम 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। आप डाक्टरों के इमाल्युमेंटस को एन्हान्स करते हैं, उन्हें नोन-प्रैक्टिस एलाउन्स तक देते हैं लेकिन जजेज को कोई कुछ नहीं दिया जाता है तो उससे न जाने कौन-कौन सी बाधा पैदा होती है। अगर उनके इमाल्युमेन्ट्स उचित ढंग से बढ़ा दिए जायं तो इससे करप्शन भी दूर होगा और जो उनमें डिस्सेटिस्फैक्शन फैला हुआ है, उसको भी आप समाप्त कर देंगे।

इसके साथ-साथ उनके लिए मकानों की भी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। जितनी जुडिशियल आफिसर्स की संख्या बढ़ी है उस लिहाज से उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और इन कन्सीनेन्स नहीं है।

मुकदमों के फैसलों के बारे में मुझे अर्ज करना है कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति किसी आधार पर होनी चाहिए, आर्बिट्रेरेली नहीं होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि जिसको चाहा सरकारी वकील नियुक्त कर दिया। ऐसा न हो कि जिसको पिया चाहे वही सुहागिन हो जाय। इसके लिए एक तरीका बना लिया जाय जिससे सरकारी वकील नियुक्ति उस की आधार पर ही की जाय।

यह भी नहीं होना चाहिए कि कोई सरकारी वकील है, सीनियर आदमी है, उसको हटा कर जूनियर को ओवरराइड कराकर प्रोमोशन दे दिया जाय। बहुत सी मिसालें ऐसी देखने में आयी है और मैं उन्हें आपको बता भी सकता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ। बाकी बातें आप माननीय मंत्री जी को उनके चेम्बर में बता दीजिए।

*श्री दयाल कृष्ण—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत न्याय सम्बन्धी अनुदानों का अनुमोदन करते हुए कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं।

सबसे पहली बात तो यह है कि यह संकल्प हमारे दल का ही नहीं बल्कि सभी का है कि न्याय सस्ता हो और शीघ्र हो और सस्ता और शीघ्र न्याय करने की पहली आवश्यकता तो यह है कि जो हमारे उच्च न्यायालय हैं, उनका विकेन्द्रीकरण किया जाय। जिस प्रकार से इस क्षेत्र के लिए लखनऊ में बेंच है, उसी प्रकार से पश्चिमी क्षेत्र के लिए भी एक अलग से बेंच होनी चाहिए। और गरीब आदमी अपनी शिकायत को लेकर हाई कोर्ट तक नहीं जा सकता। इसमें बाधा केवल एक ही रही है और वह यह कि हमारे एक मित्र हाई कोर्ट में हैं जो इसमें बाधक रहे हैं। कुछ लोगों की सुख सुविधा के मुकाबले में आम जनता की सुख सुविधा का ख्याल पहले रखा जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि आगरा में एक हाई कोर्ट की बैन्च होना चाहिए और वह एक बहुत ही उपयुक्त जगह है।

दूसरी चीज यह कि मुवक्किल तो बदल जाते हैं लेकिन वकील वही हैं। जो वकील पहले सरकार ने मुकर्रर किये थे वही हैं। मुझे तो यह भी शक है कि सरकार सक्षम है भी या नहीं सरकारी वकील की नियुक्ति करने के लिए। इसके अलावा बहुत सी नियुक्ति एडहाक बेसिस पर चल रही हैं, कभी 6 माह के लिए, कभी 2 माह के लिए उनका समय बढ़ा दिया जाता है। यह गलत है। इनकी नियुक्ति के लिए सरकारी नियम आदि भी बनाने चाहिए। इनकी नियुक्ति में जन प्रतिनिधियों का भी हाथ होना चाहिए। खाली नौकरशाही के हाथों में ही उनका चयन नहीं होना चाहिए।

जब छोटे मोटे मामले न्यायालयों में पहुंच जाते हैं तो बहुत अव्यवस्था पैदा हो जाती है। मेरा सुझाव यह है कि पंचायत राज एक्ट के अन्तर्गत छोटे मोटे मामलों को निपटाने का अधिकारी न्यायपालिका के सदस्यों को और उनकी बेन्चों को दे देने चाहिए। इससे न्यायालयों में जो मुकदमों का जमघट रहता है वह समाप्त हो जायगा।

छोटी मोटी मारपीट के मामलों को निपटाने का अधिकार वहां के थानेदार को दे देना चाहिए अगर दोनों पार्टी राजी हो जायें तो थानेदार ही वहां के छोटे मोटे मामलों को निपटा सकता है। वह दोनों पक्षों को संतुष्ट कर सकता है।

डाक्टरी मुआयने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की मांगों के समक्ष मैंने कहा था कि उसमें व्यापक भ्रष्टाचार है और उससे सभी अवगत हैं। इसके लिए भी नियम बनने चाहिये। इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि मुकदमों से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बयाल कृष्ण---]

संबंधित डाक्टरी मुआयने की एक प्रति अदालत में भी जाना चाहिए ताकि संबंधित पक्ष पता चल सके कि मुआयना सही हुआ है या नहीं, यह नहीं कि डाक्टरी मुआयने की रिपोर्ट डाक्टर साहब की किताब में ही दबी रहे। जहां तक डाक्टरी मुआयना करने का सवाल है वह हर व्यक्ति को यह अधिकार न दिया जाय, केवल डाक्टरों को ही इजाजत दी जाये मैं आपसे अनुरोध करूंगा, वैसे तो यह विषय बहुत लम्बा है और समय सीमित है। न्याय पद्धति के ऊपर पुनर्विचार होना आवश्यक है। जो न्याय पद्धति इस समय चल रही है वह केवल कागजी है। इस पद्धति में सीधे सादे आदमियों को न्याय ही नहीं मिल रहा है। न्याय ऐसा होना चाहिए कि जिससे हर आदमी को विश्वास हो और हर आदमी को संतोष हो और दोषी व्यक्ति दंडित हों। न्याय पद्धति के अन्दर गरीब आदमियों को न्याय मिलने का मौका मिले। इस सिलसिले में मेरा आपसे नम्र निवेदन है, हालांकि यह हाईकोर्ट और केन्द्र से सम्बन्धित है, विशेषकर केन्द्र की विधि से सम्बन्धित है। लेकिन हम राज्य स्तर पर भी इसका जिक्र कर सकते हैं।

जैसा कि रेवेन्यू के मामले में कहा गया है, जहां तक रेवेन्यू के केसेज के निपटारा है, अगर आप उचित समझें तो रेवेन्यू के केसेज को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपुर्द कर दें। जहां तक दाखिल खारिज का सवाल है इक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो करते ही हैं लेकिन जूडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपुर्द कर दिया जाय, तो ज्यादा अच्छा होगा और जल्द निपटारा हो जायगा। एक बात और कहना चाहता हूं और वह बार एशोसियेशन के सम्बन्ध में है। जिले स्तर पर कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि का मंडल नहीं है कि जो आज के न्यायिक अधिकारियों पर नियन्त्रण कर सके। ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं कि यदि कोई भ्रष्टाचार होता है तो उस पर नियन्त्रण होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि बार एशोसियेशन को स्टेटुटरी यूनिट कर दिया जाय ताकि वह कानून के अन्दर एक डिसिप्लीनरी कमेटी बनाकर जितनी अव्यवस्था फैली है, जिले स्तर पर, वह समाप्त कर सकें।

*श्री कुबेर भंडारी---

मान्यवर, सदन और सरकार का ध्यान बैनामा के दाखिल खारिज की तरफ में दिलाना चाहता हूं। केवल बैनामें के कागज और लेखपाल का बयान और बेचने वाले का बयान ही जरूरी है। लेकिन तहसील में क्या हो रहा है, एक बैनामा दाखिल खारिज में 3 साल लग रहा है, 3 साल तक तहसीलदार और लेखपाल मिलकर लटकाए रहते हैं। जब बैनामा हो जाता है, तो वह दाखिल खारिज होना चाहिए। लेकिन फर्जी उजुरदारी हो जाती है, तो वह फर्जी रूप से लटका रहता है। मान्यवर, उसी तरह से फर्जी बैनामा हो रहा है। बहुत सी विधवा य जो हैं, उनसे बैनामा लिखवा ले रहे हैं, और उनको जान से मार डाल रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा कोई कानून बना दिया जाय कि फर्जी बैनामा न हो सके। सीलिंग का कानून 20 साल से बनाकर यह कार्य हो रहा है। राम और कृष्ण के नाम पर जमीन लिखकर छिपाया गया है और हाई कोर्ट तक लटकाया गया है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए स्पेशल कोर्ट खोला जाय क्योंकि सुनने में आया था कि मंत्री जी के भाई भी कानून में आ गये हैं तो मैं चाहूंगा कि इसका निपटारा करें ताकि जल्दी से जल्दी लोगों में जमीनें बंट पावें। आप तो जनता के बहुत बड़े

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रक्षक हैं और महिलाओं के भी रक्षक हैं । इसलिए हमें उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द नियमों को बना कर पालन करेंगे ।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं । मैं न्यायपालिका के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, इस न्यायपालिका में आद्योपान्त परिवर्तन जब तक न लाया जाय तब तक कम से कम एक पैसा भी न्याय विभाग को देना उचित न होगा । महोदय, मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं और यह सौभाग्य समझिये कि मैंने कानून की परीक्षा पास की। आपकी यह न्याय-व्यवस्था अंग्रेजी सरकार की देन है। उस समय से लेकर आज तक यह यथावत् चली आ रही है । महोदय, यह न्याय की पूरी की पूरी व्यवस्था हमें अंग्रेजों से उधार में मिली है और हमारे समाज को इसमें आद्योपांत परिवर्तन की आवश्यकता है । न्याय के बारे में कहा गया कि दो चीजें होनी चाहिए । एक तो न्याय सस्ता हो और दूसरा शीघ्र हो । परन्तु न्याय के बारे में यहां कोई ऐसी व्यवस्था कहीं पर भी नहीं दिखती जिसमें यह दोनों बातें समाहित हों । न तो यहां न्याय सस्ता है और न न्याय में शीघ्रता है । इसके साथ ही यहां की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी सच्चे न्याय की अपेक्षा कर ही नहीं सकता । महोदय, आज हमारा न्याय पूर्णतया निर्भर है विवाद पर, इंटरप्रिटेशन पर और प्रस्तुतीकरण पर । न्याय वस्तुस्थिति व तथ्यों को सामने रखकर नहीं किया जाता । न्याय जो होता है वह सारा का सारा न्यायालय की गोद में होता है, कोर्ट में होता है । वकील तर्क-वितर्क करता है और मामले को इधर से उधर उलट फेर करता है, सच को झूठ और झूठ को सच करता रहता है और किताबों की उलट-पलट से अधिकतर झूठे मामलों को सच करता रहता है । यही कारण है आज कल फर्जी केसों की जैसे बाढ़ आ गयी है, कोर्ट में । झूठी खरोंच चाकू से बना लेते हैं और अपने विपक्ष के लोगों को इंटरप्रेटेशन द्वारा वकील किताबों की उलट फेर से वस्तु स्थिति कुछ से कुछ बनाकर फंसा दिया जाता है । आज यह सारे के सारे केसेज न्यायालय के कोर्ट रूम में डिसाइड होते हैं । न्याय व्यवस्था की सारी पद्धति को बिगाड़ कर रख दिया है । आज रोजाना झूठे केस बहुत ही तादाद में आ रहे हैं कहीं 307 के 302 के हत्या और डकैती के और झूठी गवाही से एक बेगुनाह को फंसा दिया जाता है जो बेचारा न्याय की प्रक्रिया से परिचित भी नहीं है। यही कारण है कि आज आपकी न्याय व्यवस्था सबसे ज्यादा बिगड़ी हुयी है । इसके साथ ही दूसरी बात मैं कहता हूं कि आज आपकी इस प्रक्रिया से समाज को न्याय नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि आज पूरे हिन्दुस्तान में न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास उठ गया है । ऐसी व्यवस्था जितनी यहां खराब है, कहीं भी नहीं देखने में आयेगी और हमारी न्यायपालिका में जो सबसे बड़ी खराबी या कमी है कि हर केस में पुलिस, डाक्टर और वकील का बीच होता है । न्याय में न्याय अधिकारियों का केस से सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता है । केस की रिपोर्ट लिखेगा पुलिस, डाक्टरी निरीक्षण डाक्टर और इन्टरप्रिटेशन वकील का होता है जैसे मान लीजिए एक बार मैंने स्वयं अपने हाथ से डकैतों को पकड़ा था किन्तु पुलिस ने कहा कि पुलिस पहले पहुंची और आप बाद में, डकैतों को पुलिस ने पकड़ा और मैं भूल गया माननीय, सही गवाही नहीं दे सका । पुलिस, डाक्टर और वकील इन तीनों का न्यायालय से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता है । पुलिस का न्यायालय से सीधा सम्बन्ध नहीं है । ह विभाग प्रशासनिक विभाग के अधिकार में आता है, डाक्टर भी प्रशासनिक नियन्त्रण

[श्री विजय सिंह राना--]

में ह । और इस प्रकार पुलिस, डाक्टर और वकील तीनों एक धुरी पर घूम जाते हैं और न्यायालय अलग-थलग पड़ जाता है । फलतः किसी को न्याय नहीं मिल पाता है इसलिए इस प्रक्रिया से किसी को कहीं न्याय की सम्भावना नहीं है और यह अतिश्योक्ति नहीं होगी । मान्यवर, अगर मैं यह कहूं कि इस हिन्दुस्तान में आज तक कहीं भी किसी सही अपराधी को दंड नहीं मिला है । मान्यवर, यह जो बड़े-बड़े डकैत हैं छबिराम, सूबेदार और श्याम सिंह । मान्यवर, इटावा में श्याम सिंह के विरुद्ध 20 मुकदमें चल रहे थे, उसकी सारी फाइलें बीच में गायब हो गईं । उसने अपने घर के लोगों को रोक दिया कि मेरे लिए किसी वकील को करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं आयेगा । तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो न्याय की प्रक्रिया है वह क्या है ? ऐसी सड़ी-गली न्याय व्यवस्था को चलाने से क्या लाभ ?

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, दो मिनट ।

श्री अधिष्ठाता--

एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, एक बात यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी परेशानी है धाराओं की । मान्यवर, धाराओं के अम्बार लगे हुये हैं । इतनी सारी धारायें हैं कि वकीलों को इसका अर्थ इधर-उधर लगाने में या इधर-उधर करने में जरा वस्तुस्थिति को भी देर नहीं लगती है, जो वकील इन्टेलीजेन्ट है उसका मुवक्किल जीत जाता है और जो इन्टेलीजेन्ट नहीं है वह हार जाता है । अतः हार-जीत वकील की होती है मुवक्किल की नहीं । मान्यवर, उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं--एक केस बम्बई हाईकोर्ट में हमारे यहां का चल रहा था जमीन का मामला था। उसमें वकील साहब कोर्ट में यह भूल गये कि वह किसकी तरफ से हैं और वकील साहब अपने ही विरोध में तर्क पेश करने लगे, जब उनका मुवक्किल वकील साहब के पास गया और कहा साहब आप तो सब उल्टा कर दे रहे हैं तब सब कुछ कहने के बाद वकील साहब समझे और उन्होंने पलट कर आखिर में कहा कि यह वह दलील है जो हमारे विरोधी वकील साहब देंगे अब मैं अपनी बात पर आ रहा हूं । तो मैं समझता हूं कि इस न्याय व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है ।

*श्री शिवराज सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं न्याय विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और जो सारगर्भित संक्षिप्त भाषण न्याय मंत्री ने दिया है उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। जो सुझाव माननीय मंत्री जी ने दिया है उससे सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने में सहयोग मिलेगा । मैं कुछ मौलिक सुझाव दूंगा जिससे लाभ मिलेगा । मुझे निजी जानकारी है ऐसी अधि-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वक्ताओं को पेनल लाइयर, ए0 डी0 जी0 सी0 नियुक्त होते रहते हैं जिनकी उसको जानकारी नहीं रहती है, जो रेवेन्यू में वकील है रेवेन्यू में वकालत करता है वह फौजदारी में कर दिया जाता है और जो फौजदारी का वकील है उसे सिविल में नियुक्त कर दिया जाता है, इससे इस विभाग को काफी नुकसान हुआ है इसके कारण जो न्याय मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है । हमारा सुझाव है जो अनुभवी वकील हैं उन्हें ही पेनल लाइयर बनाया जाय । सी0 आर0 पी0 सी0 में इस प्रकार का सुधार कर दिया जाय कि जो न्याय विभाग के रिटायर हों जिनका अनुभव 5 साल का हो, 10 साल के अनुभव के बजाय 5 साल का अनुभव रखा जाय । क्योंकि 5 साल का जुडीशियल अनुभव काफी होता है वह लोग इसमें योगदान अच्छा कर सकते हैं ।

[समय 3 बजे अपराह्न से]

न्यायाधीश जो नियुक्त किये जाते हैं उनके साथ में देख रहा हूं, दोहरा व्यवहार होता है । हमारे परगनाधीश, हमारे मैजिस्ट्रेट की सुविधायें अधिक रहती हैं और जो न्यायपालिका में रहते हैं उनको नहीं रहती हैं । जैसे स्टाफ कार जो रहती है जिले में जिसमें जिलाधीश कहीं भी जा सके लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं रहता जिससे वे कहीं आ जा सकें । जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में, मंत्री जी है, उनके पास आयें जायें । इसके लिए मेरा सुझाव है कि हर जिले में न्यायाधीश के पास एक स्टाफ कार हो । मेरा सुझाव है कि न्यायपालिका में भी हमारा ड्रेस है । अगर है तो उनको अलग से कोई रुपया दिया जाये । काले कोट पहनते हैं, गरमियों में सफेद कोट पहनते हैं, उसके लिए उनको भत्ता दिया जाय । मंत्री जी जरा ध्यान दें ...।

श्री अधिष्ठाता---

आप भी जरा ध्यान दें, एक मिनट और रह गया है ।

श्री शिवराज सिंह---

550 से 1300 रुपये के वेतनमान में जो जुडीशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं लेकिन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जब चीफ मैजिस्ट्रेट होते हैं तो 950 से 1400 का होता है । हमारे प्रदेश में करीब 16 स्थान ऐसे हैं जो अभी डिस्ट्रिक्ट जज के खाली हैं जो भरे नहीं गये हैं । यह भी है कि जो हमारे यहां परगनाधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं होती है । वहां पर वे लोग गर्मियों में काम करते हैं और पसीने से परेशान रहते हैं । वहां पर सुविधा दी जावे ताकि गर्मियों में अधिक काम कर सकें । यह जो मुकेदमों की बात कही है कि पुलिस सहयोग नहीं मिलता । मैं कहता हूं कि 3 माह में मुकदमें तय हों वरना क्या करेगा गवाह और क्या याद रहेगा । 3 माह में फौजदारी, 6 माह में रेवेन्यू के मामले तय हो जायेंगे । जो हमारे भाइयों ने मांग की कि उत्तरी और पश्चिमी जिलों के लिये हाईकोर्ट की शाखा होनी चाहिये । उन 15-20 जिलों के लिये चाहे वह शाखा आगरा में हों, चाहे बरेली में, कहीं भी हो लेकिन शाखा हाईकोर्ट की आवश्यक है ।

*श्री राम कुमार भार्गव---

आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं और माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सार-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम कुमार भार्गव-]

गर्भित भाषण में और जो प्रस्ताव बनाया है जिसमें विधि में और सुधार लाने के लिय अभी फखरे आलम साहब ने जो प्रस्ताव रखा कि जो विधि में सुधार के लिये महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की जो कमेटी बनाई गई है जो दीवानी प्रक्रिया संहिता के सरलीकरण हेतु संशोधन के सुझाव देगी तो जहां तक माननीय सदस्य का आरोप पुलिस के ऊपर है, मैं भी वकील हूं और इसके बारे में कुछ जानकारी रखता हूं कि जो दीवानी में मुकदमें होते हैं वह दोनों तरफ से जो लूजर लोग होते हैं वह देर लगाते हैं । कानूनी प्रक्रिया ऐसी है कि उसके अन्दर जो कोटा भी रखा गया है मुकदमे निपटाने का उसको निपटाने के लिए समय की पाबन्दी भी साथ में लगा दें कि फौजदारी इतने समय में रेवेन्यू इतने समय में निपटा दें । उधर के वर्मा जी जो क्रिमिनल के वकील हैं लेकिन मुझे तो क्रिमिनल साइड पसन्द नहीं आयी । इसके अलावा आपने इसमें यह किया है कि जो बड़े शहर हैं उसमें आठ बड़े शहरों में मोटर वेहिकल्स ऐक्ट की धारा 130 के मुकदमें निपटाने की व्यवस्था की है । इसके अलावा नये न्यायालयों के सृजन की भी आपने व्यवस्था की है । 15 स्थानों पर न्यायालय कक्ष एवं न्यायिक अधिकारियों के लिये आवासिक भवनों के निर्माण की आपने व्यवस्था की है । 19 न्यायालय/कार्यालय कक्ष बनाने का माननीय मंत्री जी ने इसमें प्राविधान किया है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि छोटे शहरों में वहां पर वकीलों के रहने या बैठने की व्यवस्था नहीं है, बड़ी असुविधा है । वहां पर बार रूम्स का प्राविधान होना चाहिये । छोटी जगहों पर बार रूम की बड़ी दिक्कत है । इसके अलावा शासन द्वारा कर्मचारियों के वेतनमानों की असगतियां दूर करने के लिये 13 जून, 1980 को अपने आदेश जारी कर दिये हैं । अंत में माननीय मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि एडवोकेट्स के लिए बार रूम्स की व्यवस्था होनी चाहिए । सीनियरिटी के बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने कहा है । सीनियारिटी को जरूर तय किया जाना चाहिये । पिछले सालों में यह चीज नहीं देखी गई है । इसमें दलगत राजनीति से दूर होना चाहिये, यह बहुत जरूरी है सीनियारिटी का अवश्य ख्याल रखा जाय ।

(श्री फखरे आलम को पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप अपने कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । समय दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

इस पर सवा तीन बजे तक का ही समय निश्चित है । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, मैं कटौती का प्रस्तावक था । मुझे बोलने का आपने मौका नहीं दिया । जो प्रस्तावक हो उसको अनिवार्य रूप से बोलने का हक है । जो लोग प्रस्तावक हैं उनको बोलने का मौका मिलना चाहिये इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

अगर मैं सारे कटौती के प्रस्तावकों को बोलने का मौका दूं तो 5 बजे तक यही अनुदान चलेगा । ऐसा होता है कि यदि एक माननीय सदस्य प्रस्तुत कर देते हैं तो अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया हुआ मान लिया जाता है । वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है । परिवहन विभाग पर आप बहस न करें वैसे ही वोटिंग हो जाय, यह आपको निर्णय करना है । अगर आप चाहते हैं कि परिवहन पर बहस न हो और इसी पर बोलना चाहते हैं तो यह आपको निर्णय करना है ।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि आपने समय दिया ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी मैंने आपको समय नहीं दिया । आप बैठें जब मैं आपको पुकारूंगा तब बोलें ।

(श्री सूबेदार सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सूबेदार सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि आपने चन्द मिनट दिये । मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो वर्तमान न्याय व्यवस्था है उसको आप देखें तो यह गुलामी की प्रतीक आज भी हमारे बीच में मौजूद है । अंग्रेजों ने इसको कायम किया था और यह आज आउट डेटेड हो चुकी है । समाज में वर्तमान न्याय प्रणाली की आवश्यकता समाप्त हो गई है । मैं आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश माननीय भगवती को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस आवश्यकता को महसूस किया है, जो हमारी न्याय प्रणाली है वह आज की समाज की आवश्यकता के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इस प्रणाली में न तो सस्ता न्याय दे सकते हैं, न जल्दी न्याय दे सकते हैं, न सही न्याय दे सकते हैं । इसमें तमाम दुरव्यवस्थायें हैं और न्याय व्यवस्था में पूरी तरह से रिवाल्यूशन करने की आवश्यकता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि ब्लाक स्तर पर मोबाइल कोर्टस स्थापित किये जायं जो मौके पर जाकर लोगों की बातें सुनें और वहीं फैसला दें क्योंकि सस्ता न्याय नहीं है और सस्ते न्याय के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता है । पानी और हवा की तरह न्याय सस्ता होना चाहिये । मान्यवर, दूसरी बात कोर्ट फी और स्टैम्प के बारे में कहना चाहता हूं कि भारत, बंगलादेश और पाकिस्तान के अलावा किसी देश में स्टैम्प की व्यवस्था नहीं है । इसलिये इसको समाप्त करने की मेरी प्रार्थना है । यह इसलिये किया जाय कि जिससे लोगों को न्याय सस्ता मिल सके । चूंकि स्टैम्प आमदनी का रास्ता नहीं है ।

मान्यवर, तीसरा मेरा निवेदन है कि मुंसिफ की, जो भर्ती करते हैं उसको पी० सी० एस० से हटाकर अलग से कमीशन बना दें, जो इम्पारशियल हो ।

मान्यवर, चौथा निवेदन है कि जिस तरह से मकानों की सुविधा और कर्मचारियों को देते हैं उसी तरह से न्याय विभाग के कर्मचारियों को भी यह

[श्री सूबेदार सिंह—]

सुविधा दें । मैं न्याय विभाग पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री फखरे आलम—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव में बहुत सी बातें सुनीं और उस तरफ के हमारे दोस्तों ने बहुत सी बातें हमारी कही हुई कहीं हैं, इसलिये मुझे खुशी है कि उन्होंने, कटौती का जो मैंने प्रस्ताव दिया है, उसको स्वागत किया और उसको माना । जैसे कि पहले मैंने कहा था कि जुडिशियरी बैकबोन है आजादी के लिये, सब्शी आजादी के लिये और सरकार के लिये भी । यह जुडिशियरी कमजोरी होगी, न्याय का तरीका गलत होगा, यदि न्यायपालिका सही काम नहीं करेगी, तो इसके माने यह होंगे कि आदमी—आदमी में न्याय नहीं हो सकेगा । हमने जो यह कानून पाया है वह अंग्रेजों से हमें मिला है । अंग्रेजों से विरासत में मिला है, इसलिये इसमें तरमीम की जरूरत थी जिसको हम नहीं कर पाये हैं, जो कि होना चाहिये और इस तरह यदि यह कानून रहेगा तो आदमी—आदमी के बीच इंसाफ नहीं हो सकेगा । तो यदि आदमी समझने लगे कि इंसाफ नहीं होगा या वह समझने लगे कि वह देर में होगा, तो वह भी न होने के बराबर है, जैसा कि कहा गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड । इसलिये हमको इसकी व्यवस्था करना चाहिये कि इंसाफ जल्दी हुआ करे और उसको जल्दी होने के लिये मोबाइल कोर्ट हों, यदि वह न हों तो रिगुलर कोर्ट इसको जल्दी करें, इसका इंतजाम हो कि वह फैसला जल्दी करें । इसके साथ—साथ हमने जो पहले सुझाव दिये हैं जिनको सदन ने मान लिया है उन्हीं के मुताबिक काम होना चाहिये । सबसे बड़ा हाई कोर्ट है उनके जजों की नियुक्ति सीनियारिटी के आधार पर होना चाहिये । इसमें तीन तरह से सेलेक्शन हुये हैं । एक तो जुडिशियरी के लोग, दूसरे गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के लोग और ज्यादातर बाहर से लोग लिये जाते हैं । इधर कहा गया कि गलत तरीके से एपाइन्टमेन्ट हुये, तो यह बड़े अफसोस की बात है । जो गंभीर समस्या है कि हाई कोर्ट के बारे में कभी कोई बात कही जाती थी, हाई कोर्ट में कैसे रिजोल्यूशन आज पास हो रहे हैं, तमाम दूर—दूर तक बात पहुंच रही है और,"

सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या,
कहती है तुझको खलके खुदा गायबाना क्या

हमारी न्यायपालिका के बारे में ऐसे आरोप लगाये जा रहे हैं, यह बड़े अफसोस की बात है, बड़ी गम्भीर बात है । इस पर आप सोचें, इसको आप देखें । मान्यवर, मैं आपके जरिये से माननीय न्याय मन्त्री जी से कहूंगा कि इस पर विचार करें, उन लोगों से बात करें जिनको अनुभव है इस मामले का, जो इस चीज का तजुर्बा रखते हैं और उनकी राय लें, यह बहुत जरूरी है ।

कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं । मान्यवर, रिटायर्ड जजेज को रिइम्प्लाय करने का तरीका बिल्कुल बंद कर दिया जाना चाहिए । अगर आप करप्शन को दूर करना चाहते हैं तो रिटायर्ड जजेज को किसी सूरत में चाहे हाई कोर्ट के जज हों चाहे नीचे की अदालत के जज हों उनको न लिया जाय । उनको एक एल्योरमेंट हो जाता है इस बात का कि हम सरकार से कुछ चीज पा लेंगे । कुछ लोगों को फायदा पहुंचायेंगे, कुछ लोगों को नुकसान पहुंचायेंगे यह नहीं होना चाहिए ।

हाई कोर्ट का काम एक्यूमलेट होता जा रहा है । इसके लिए बेन्च कायम किये जायं । उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी स्टेट है जो दुनिया के 6 या 7 मुल्कों से

छोटी हो सकती है । तो इतने बड़े स्टेट का सिर्फ हाई कोर्ट इलाहाबाद में हो और उसकी छोटी बेन्च लखनऊ में हो इससे काम नहीं चल सकता । पब्लिक को इससे तकलीफ होगी । सहारनपुर, देहरादून से लोग आयेंगे और इलाहाबाद को जायेंगे बीच में मुरादाबाद छोड़ेंगे, रामपुर छोड़ेंगे, बरेली छोड़ेंगे, लखनऊ छोड़ेंगे और इलाहाबाद पहुंचेंगे । तो क्या वजह है कि क्यों न मुरादाबाद में हाई कोर्ट की एक बैन्च हो, आगरे में बैन्च काम करे । सब से अच्छी जगह, सेन्ट्रल प्लेस, बरेली हो सकती है जहां हाई कोर्ट की बेंन्च खोली जाय ।

एक बात बहुत जरूरी है जैसा मेरे एक साथी ने कहा कि कोर्ट फीस सिस्टम खत्म कर देना चाहिए । इन्साफ की कीमत नहीं होनी चाहिए । कोर्ट फीस का सिस्टम एबालिश कर देना चाहिए । इन्साफ के लिए एक सादी एप्लीकेशन हो ।

इन तमाम शब्दों के साथ, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मौका दिया अपने ख्यालात माननीय सदस्यों के सामने रखने का, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और इसके बारे में आप मौका दें तो और कहूं ।

श्री जगदीश प्रसाद--

मान्यवर, अभी माननीय सदस्यों ने जो अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं वास्तव में वह उनके अनुभव और उनके कार्यों पर आधारित है । विशेषकर जो हमारे माननीय सदस्य, बदायूं, ने बातें कही हैं वे गौर करने के काबिल हैं । समय बहुत अधिक नहीं है और समय न मिलने के कारण हमारे बहुत से माननीय सदस्यों के विचार सामने नहीं आये । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कोई आवश्यकता नहीं है कि यहीं बैठ कर अपनी राय हमको दें, सदन के बाहर भी....

एक सदस्य--

उसके बाद आप मिलते कहां हैं...,

(व्यवधान)

(श्री श्याम लाल बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय बाजपेयी जी, आप कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

(बैठ जाने पर)

श्री जगदीश प्रसाद--

मान्यवर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुंसिफ की नियुक्तियों के बारे में प्रति वर्ष अधिक से अधिक 20-25 नियुक्तियां होती थीं और इसीलिए इसमें अच्छा स्टाफ आता था। फिर भी मुकदमों की बढ़ी हुई तादाद के निस्तारण को देखते हुए इसमें करीब-करीब सौ, डेढ़-सौ नियुक्तियां साल भर में करनी शुरू की गई हैं । इसके आगे अधिक नियुक्तियां करना संभव नहीं है । हम चाहते हैं कि जो नियुक्तियां हों उनमें अच्छे लोग आयें, अच्छे अधिकारी आयें, इसलिए हमने यह कोशिश की है कि कम से कम नियुक्तियां की जायं और हम कोशिश करेंगे कि इस दिशा में निस्तारण ठीक हो । एक बात यह सामने आई कि फौजदारी के

[श्री जगदीश प्रसाद---]

मुकदमें 10 साल में दूने हो गये 70 से 79 तक । उनके निस्तारण के लिये हम प्रयत्नशील हैं और आशा है कि उसमें बहुत जल्दी हमको कामयाबी मिलेगी । एक बात यह कही गयी कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति के सम्बन्ध में बहुत गड़बड़ी की गयी है । मुझे भी उसमें शिकायतें मिली हैं । लेकिन जैसे आप जानते हैं डी० एम० तथा डी० जे० की रिपोर्ट पर उनके गुण व दोष को देखते हुए उनकी नियुक्तियां की जाती हैं और आशा है कि आगे ऐसी कोई बात नहीं होगी । एक बात हमारे जुडीशियल आफिसर्स के आवास के बारे में कही गयी । जब ट्रान्सफर होकर वह जाते हैं जो मकानों की तलाश में वह घूमते हैं जो बहुत गई गुजरी दशा होती है । यह किया जा चुका है 1-1-80 को जितने भी मकान थे वे सब आरक्षित कर दिये गये हैं न्याय विभाग के जजों के लिये, दूसरे अधिकारियों को वे आवंटित नहीं किये जायेंगे । जिला जज अथवा न्यायिक अधिकारियों के द्वारा ही उनको वे दिये जायेंगे । डी०जी०सी० के बारे में बाजपेयी जी ने जो बातें कही हैं वे भ्रम पर आधारित है । गुण और दोष के आधार पर उनको रखा गया है । वे पूर्ण रूप से डी० एम० तथा डी० जे० की सिफारिश पर नियुक्त होते हैं,

(व्यवधान)

हाईकोर्ट के बारे में कहा गया कि एक बेंच बरेली, एक मेरठ तथा एक आगरा में होना चाहिये । इस सम्बन्ध में मेरठ बेंच के बारे में कुछ निर्णय हो चुका है । शासन के सामने वह विचाराधीन है और जो निर्णय होगा वह आपके सामने आ जायगा । वैसे इसकी कोई सीमा नहीं है । आज आगरा में बेंच स्थापित कर दें कल गोरखपुर में स्थापित कर दें । लेकिन जो उच्च न्यायालय की गरिमा है उसको देखते हुए यह सब संभव नहीं प्रतीत होता । इससे हमारे सम्मानित सदस्य पूर्ण रूप से सहमत होंगे । इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसे वापस ले लिया जाय यह मेरा अनुरोध है और अनुदानों को पारित करने की कृपा की जाय ।

श्री फखरे आलम---

मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस नहीं लेता, बल्कि प्रेस करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4---न्याय विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4---न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,49,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 128---न्याय विभाग-ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 128---न्याय विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,50,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 11---परिवहन विभाग तथा अनुदान संख्या 105---परिवहन विभाग---पूंजीगत परिव्यय

*परिवहन मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11---परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,31,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 105---परिवहन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय 3 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बलदेव सिंह आर्य पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, परिवहन विभाग का सम्बन्ध सीधे जनता से होता है और यह इतनी आवश्यक सर्विस है कि इसके बगैर जनता का काम नहीं चल सकता है । हमारे देश में ट्रांसपोर्ट रोड, रेलवेज और कुछ जगहों पर नदियों द्वारा और समुद्र में नेविगेशन द्वारा किया जाता है । लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट परिवहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका इस देश की जनता के लिये अदा करता है ।

मान्यवर, परिवहन विभाग के अन्तर्गत हमारी प्रमुख रूप से दो सेवायें आती हैं । एक तो परिवहन आयुक्त से सम्बन्धित है और दूसरे रोड ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध में जो व्यवस्था और नियमावली है उसको बनाया जाता है और वहां से कंट्रोल किया जाता है । मान्यवर, 1977-78 में 3,17,237 गाड़ियां रोड पर थीं और 1979 में इन गाड़ियों की संख्या बढ़कर 4,26,300 हो गई । श्रीमन्, आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन लोड बढ़ता चला जा रहा है और रोजाना गाड़ियां टैक्सियां, बसें, ट्रक आदि की संख्या भी बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से रोड पर भार भी होता चला जा रहा है और इससे शासन के सामने एक बड़ा सवाल आ रहा है कि किस तरह से गाड़ियां चलाई जायं जिससे रोड इन गाड़ियों के लोड को वहन कर सके । कभी-कभी एक्सिडेन्ट के चांसेज भी हो जाते हैं उनको कैसे रोक जाय, क्या व्यवस्था की जाय, यह सब महत्वपूर्ण सवाल हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री वीर बहादुर सिंह--]

सामने हैं । मान्यवर, इनकी रोकथाम के लिये और गड़ियों को नियमित रूप से चलाने के लिये जो नियमावली और ऐक्ट बने हुये हैं उनका सही ढंग से पालन करने के लिये सम्भागीय कार्यालय बनाये गये हैं । इस तरह से प्रदेश में 13 सम्भागीय और 7 उप सम्भागीय कार्यालय पहले से ही कार्यरत हैं । इस तरह से हैं 1979-80 में 4 नये उप सम्भागीय कार्यालय-मिर्जापुर, गाजियाबाद, बुलन्दशहर और मथुरा में स्थापित किया गया और 1980-81 में दो अन्य उप सम्भागीय कार्यालय खोलने की योजना विचाराधीन हैं । इस तरह से टैक्स जमा करने और लाइसेन्स आदि लेने में जो कठिनाई पड़ती थी, वह दूर हो जायेगी । इसलिए उनकी सुविधाओं का ध्यान में रखा जा रहा है कि जो गाड़ियां चलाते हैं उनको सुविधा दी जायं ।

दूसरा पहलू परिवहन का है । 1972 में परिवहन निगम की स्थापना की गयी उसके पहले रोडवेज थी । निगम इसलिए बनाया गया कि इसके जरिये से हम ज्यादा साधन उपलब्ध कर सकते हैं । जो जनता की मांग है उसमें सड़क पर चलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए यह जरूरी समझा गया कि निगम के द्वारा इस सुविधा का विस्तार किया जाय । इस समय निगम द्वारा 5,700 गाड़ियां चलाई जा रही हैं उसके मुकाबले प्राइवेट गाड़ियों की संख्या 9 हजार से ज्यादा है । इस तरह से 14 हजार से अधिक गाड़ियां हमारे प्रदेश में चल रही हैं । इसके अलावा तमाम मिनी बसेज, बहुत सी जीपें और गाड़ियां चलती हैं । यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है । इसके लिए देखना है कि कैसे इसका विस्तार किया जाय । आज हमारे सामने बहुत सी समस्यायें हैं इनका समाधान करने के लिए हम जो यहां पर बैठे हैं सुझाव देंगे उस पर विचार करेंगे । मैंने अपने विभाग के सम्बन्ध में कुछ कमिश्नरियों के विधायकों की बठक बुलाई सभी को तो मैं नहीं बुला पाया लेकिन मैं बराबर प्रयास करूंगा कि जो भी सुझाव आप जनता की भलाई के लिए देंगे उसके लिए प्रयत्न करेंगे ।

इस वक्त पांच हजार 7 सौ जो गाड़ियां हैं उनमें से केवल 45 सौ गाड़ियां ही रोड पर बराबर चलती हैं बाकी 12 सौ गाड़ियां रोड पर नहीं चलती हैं वह खराब रहती हैं या डिपो में पड़ी रहती हैं । इस तरह से 20 परसेंट गाड़ियां रोड पर नहीं रहती हैं । आज जो हमारी आवश्यकता है उसमें गाड़ियों की संख्या बहुत कम है । हम बार-बार इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं । गत वर्ष जितनी गड़ियों की जरूरत थी वह पूरी नहीं हो पायी हम को एक हजार गाड़ियों के बदले केवल 502 गड़ियां मिल पायी । इस वर्ष हमें दो हजार गाड़ियां चाहिये । आज हमारे सामने एक ही सवाल नहीं है । जो नेशनलाईज्ड रूट्स हैं उनको ठीक से चलना है उसके साथ-साथ नेशनलाईजेशन की तरफ चलना है । उसके लिए भी गाड़ियों की आवश्यकता होगी । गाड़ियों की बहुत कमी है । इस साल हमारी दो हजार गाड़ियों की जो मांग है उसमें भी शायद सात सौ ही हमें मिलें । तो इस प्रकार हमारे सामने गाड़ियों का बड़ा संकट है । जनता की मांग ज्यादा गड़ियों की है और जनप्रतिनिधियों की भी मांग आती है कि हमारे यहां ज्यादा गाड़ियां चलाई जायं । यही कारण है कि हमारे प्रदेश में साढ़े नौ सौ गाड़ियां अनुबन्धित चलाई जा रही हैं । आपने देखा होगा कि जो हमारी पूंजी लगी हुई है वह 68 करोड़ 66 लाख 85 हजार है । निगम के द्वारा यात्रा करने वाले लोगों की संख्या 45 करोड़ है । हमारी गाड़ियों की दशा बहुत संतोषजनक नहीं है । बहुत सी गाड़ियां पुरानी हैं । एक लाख से दो लाख

किलोमीटर के बीच चलने वाली गाड़ियों की संख्या 513 है और दो लाख से तीन लाख किलोमीटर जो गाड़ियां चल चुकी हैं उनकी संख्या 932 है, तीन लाख से 4 लाख किलोमीटर चलने वाली गाड़ियों की संख्या 1165 है, चार लाख से 4.8 लाख किलोमीटर चलने वाली गाड़ियों की संख्या 1,106 है और 4.8 लाख से ऊपर चलने वाली गाड़ियों की संख्या 952 है । यह नियम है कि जो गाड़ियां 4.8 किलोमीटर चल चुकी हैं वह कंडम की जानी चाहिये जो कि सड़क पर चलने लायक नहीं है, उनके चलने से तरह-तरह की शिकायतें होती हैं और बड़ा खर्चा उन पर होता है । मटिनेंस वगैरह के खर्चे पढ़ जाते हैं । उनका चलाना न निगम के हित में है न जनता के हित में है । गाड़ियों के अभाव में बहुत सी गाड़ियां वह भी चलायी जा रही है जिनके बारे में शिकायत आती है कि वह निगम को नहीं है । 1106 गाड़ियां जिनका टाइम बीत चुका है, वह भी गाड़ियां एसी हैं जो चलने लायक नहीं रह गयी है । पांच हजार गाड़ियां दो हजार सात सौ गाड़ियां बेकार हालत में हैं । हम चाहते है कि वह दो हजार गाड़ियां रिप्लेस करें और लोगों को सुविधा पहुंचायें । टरिज्म का विकास होता जा रहा है, तीर्थ स्थानों पर प्रति वर्ष यात्री जाते रहते हैं । जो टूरिज्म का विकास हो रहा है, जो हमारे हिल स्टेशंस हैं वहां पर हम टूरिज्म को बढ़ाना चाहते है, उसके लिये अच्छी गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी । हम कोशिश कर रहे हैं कि एअर कूल बसंज चलायें जो गर्मियों के दिनों में ठंडक करें और जाड़ों के दिनों में गर्म करें हीटर द्वारा । जो दूर के यात्री है उनकी सुविधा का ध्यान देना चाहते हैं । अभी तीन एअर कूल बसेस चलायी हैं । हमारा प्रयास है कि लगभग दो सौ बसेस एअर कूल्ड होगी जिनको टूरिस्ट सेंटर्स और तीर्थ स्थानों वगैरह पर ले जाया जा सके । वह प्रयास हम करेंगे ।

जो हमारे एम्प्लाइज हैं जो निगम में काम करते हैं उनको किस तरह से सुविधा दें जिससे वह महसूस करें कि निगम हमारा है, इसमें घाटा न हो, यात्रियों को हर तरह से सुविधा प्रदान कर सके । निगम में जो एम्प्लाइज पार्टिसिपेशन की बात है, निगम के एम्प्लाइज का प्रतिनिधि होगा, जो निगम बना हैं उसका एक मेम्बर होगा ताकि उनके भी सुझाव आ सकें ।

यात्रियों की सुविधा से लिये बहुत से स्टेशंस बनाना चाहते हैं । निगम की हालत तो अच्छी नही है । रिसोर्सेज बहुत कम है । इसके बावजूद भी हम चाहते हैं, बहुत से स्टेशन की मांग आ रही है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे । बड़े बड़े बस स्टेशनों पर यात्रियों के खाने पीने आराम करने की व्यवस्था करेंगे । बहुत से स्टेशन चलाना चाहते हैं उसके लिए योजना बनायी हैं । लेकिन हमारे सामने जो परेशानी है उसको देखते हुए हम उतना नही कर पा रहें हैं । पहाड़ों से बहुत मांग आ रही हैं कि गाड़िया बढ़ायी जायं । पहाड़ों पर हालत यह है कि बिना बसो के कोई यात्रा का साधन नही है । रोड ट्रांस्पोर्ट की बहुत जरूरत है । नेशनलाइज्ड रूट पर पहाड़ो में गाड़ियां चलायी जायं । इस वित्तीय वर्ष में 175 गाड़ियां चालाना चाहते हैं पहाड़ों के लिए खासकर तीर्थस्थान जो हैं और पहाड़ों पर पर्यटक केन्द्र हैं उनको डेवलप करने के लिए बसेज ले जाने की कोशिश करेंग । यह भी प्रयास कर रहें है अरबन ट्रांस्पोर्ट कानपुर, लखनऊ , वगैरह वगैरह जो टाउन हैं, कारपोरेशंस हैं , जहां से बार बार मांग आ रही हैं कि परिवहन निगम की बसे चलायी जायं उससे सबसे बड़ी परेशानी

[श्री वीर बहादुर सिंह--]

होती है कि बसें शहर में चलती हैं उनको बहुत बड़ा घाटा सहन करना पड़ता है हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की सुविधा पहुंचाने के लिए शहरों में काफी बसें चलाई जाएं । यह भी प्रयास कर रहे हैं कि लखनऊ और कानपुर के लिए ऐसी बसें चलाई जायें, जिनमें सर्विस क्लास लोगों और छात्रों को नित्यप्रति आसानी से यात्रा करने में आराम हो, उन्हें आसानी हो । हमारा एक यह भी प्रयास है कि हम एक इस तरह की बसें चलायें जिनमें लिखा रहे 'हमें भी लेते चलो,' जिससे किसी को अपने स्थान से बस स्टेशन तक दूर न जाना पड़े और शहर के लोगों को हर जगह पर आसानी से बस मिल सके ।

मान्यवर, मैंने बहुत सी बातें सदस्यों के सामने रखीं । मेरा प्रयास है कि इन्वेन्ट्री कन्ट्रोल के लिए क्या व्यवस्था की जाये । इस विभाग में बार-बार शिकायतें आती हैं, मैं यह प्रयास कह रहा हूं कि इस दिशा में एक कठोर प्रयास किया जाय और जो लोग इस विभाग में गलत कार्य करते हैं, गलत और नकली पार्ट्स खरीदवाते हैं, एकाउन्ट में गड़बड़ी करते हैं, उन सब के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी । इसमें जो भी व्यक्ति पकड़ा जायेगा, छोटा हो या बड़ा, किसी को बख्शा नहीं जायेगा । भ्रष्टाचार मिटाने के लिये यह सरकार कृत संकल्प है ...।

श्री रियासत हुसैन--

भ्रष्टाचार मिटाते-मिटाते भले ही सरकार मिट जाये ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो भी यहां बातें होंगी, माननीय सदस्य जो भी शिकायत करेंगे या बातें बतायेंगे, मैं उनकी जांच-पड़ताल करूंगा और सही पाने पर उसके लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जायेगी, किसी को बख्शा नहीं जायेगा । यहां बहुत सदस्यों को बोलना है, इसलिये मैं अब कुछ अधिक नहीं कहूंगा । माननीय सदस्य जब बोल लेंगे तो उत्तर के रूप में मैं अपनी बात आगे बताऊंगा । अब मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपनी बात रखें, मैं उसका स्वागत करूंगा ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11--परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 105--परिवहन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं कि परिवहन का सीधा सम्बन्ध जनजीवन और पूरे समाज से है और आज के युग में यह बहुत उपयोगी विभाग है । मन्त्री जी ने जो आश्वासन इस सदन को दिये हैं और जो बात कही हैं, देखने में बड़ी प्रिय और आकर्षक हैं । लेकिन ऐसा लगता है कि यह जो आश्वासन हैं यह शेखचिल्ली की कहानी की तरह घटित होते मालूम पड़ते हैं । शेखचिल्ली

महोदय दूध बेचने जा रहे थे, सोचा दूध बेचकर मुर्गी खरीदेंगे और फिर बकरी लेंगे, भैंस लेंगे और उसके बाद शादी करेंगे और बच्चे जब होंगे और बुलाने के लिये आयेंगे कि पापा खाना खा लो, तो हम सर हिला देंगे, कि खाना नहीं खायेंगे सिर हिलाने से घड़ा गिरा और फूट गया । तो यह विभाग भी ऐसा मालूम पड़ता है, यह बजट इमैंजिनेशन से भरा हुआ है और इसमें वास्तविकता कम है । इसलिय मैं इसका विरोध करता हूं । मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि खस-खस की टट्टी में बैठकर इसको बनाया गया है । यह जो बजट, बनाया गया है, वह वास्तविकता से परे हैं । परिचालक, ड्राइवर, आपकी बसें आपकी वर्कशोप्स ये आपकी रीढ़ हैं, आधारशिला हैं आपके विभाग की लेकिन अगर आपने नियमों को उठाकर देखें तो इन 25 वर्षों में छोटे कर्मचारियों की कोई नियमावली तक नहीं बना पाये हैं, नतीजा क्या है । अगर आप लखनऊ में ही दारुलशफा में छानबीन करें तो आप देखेंगे कि सैकड़ों की तादाद में परिचालक, ड्राइवर्स और अन्य छोटे-छोटे कर्मचारी जो हैं वे पूरे साल भर एम0 एल0 एज के घरों की खाक छानते फिरते हैं, या तो उनके प्रोमोशन्स नहीं हुए हैं, या उनकी वेतनवृद्धि नहीं हुयी ह । एक बड़े अफसोस की बात है कि जिस कर्मचारी की सेवा 3 साल से ज्यादा हो जाय उसके स्थायी करने की कोई व्यवस्था न हो । मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा व्यापक ऐक्ट इस सदन में प्रस्तुत करें सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में ताकि वे लोग आश्वस्त हो सकें ।

मैं बड़े खेद के साथ माननीय मंत्री जी का ध्यान इटावा जनपद में हुयी 400 से अधिक कन्डक्टरों की भर्ती के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं । आपने उनको ट्रनिंग दी , पोस्टिंग के आर्डर भी दिए और कुछ लोगों ने तो सिक्योरिटी भी जमा की । कुछ लोगों ने तो चार्ज भी ले लिया । आप बतायें कि जब वह सूची वहां पर आयी तो आपने उसे निरस्त ही कर दिया । मैं पूछना चाहता हूं कि कौनसी गल्ती थी जिसके कारण आपने उसको निरस्त ही कर दिया । मैं तो यह भी कहूंगा कि आपके इस निर्णय में भी एक रूपता नहीं हैं । उनमें से कुछ तो कार्य कर रहे हैं और लोग ऐसे भी कार्य कर रहे हैं जो ट्रेन्ड भी नहीं हैं, जो जूनियर भी हैं, वे भी कार्य कर रहे हैं । जिनको आपने नहीं चाहा, उनको निरस्त कर दिया । इससे ज्यादा क्षोभ की बात और क्या हो सकती हैं । मेरी इच्छा है कि आप उस सूची पर पुर्नविचार करें । वे लोग मेरे पास भी आये थे और आपके घर पर भी धरना देने और आपका घेराव भी करने की बात सोच रहे हैं । इसके अलावा और भी कार्यवाही करने की बात सोच रहे हैं ।

कन्डक्टरों और ड्राइवरों के बारे मे मेरा सुझाव है कि निश्चित रूप से उनको स्थायी किया जाना चाहिये । स्थायी हो जाने के बाद अगर वे कोई गल्ती करते हैं तो हटाने के पूर्व उनको शो काज नोटिस देना चाहिये और इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि उनको मालूम पड़े कि उनको अपने जीवन में कुछ आश्वासन मिला हुआ है । यह न हो कि आप जब चाहें हटा दें और जब चाहें नौकरी में रख लें ।

इसके अलावा अगर आपकी बस लखनऊ से चलकर कानपुर जाती है और रास्ते में खराब हो गई तो 2 दिन तक उस बस को कोई खींचने वाला नहीं है । कन्डक्टर्स को यह अधिकार नहीं ह कि वह 10 रुपये की मरम्मत से उसे कानपुर पहुंचा सके । यह अधिकार उसे अवश्य है कि वह किराया तो वसूल कर ले । जहां तक मुझे मालूम है राजस्थान में और कई अन्य स्टेट्स में इस प्रकार के

[श्री सूबेदार सिंह—]

अधिकार वहां के कन्डक्टर्स को हैं कि अगर मार्ग में कोई बस खराब हो जाय तो वह 10–20 रुपया खर्च करके ले जा सकता है । जिन लोगों के हाथ में आपने बस को चलाने का दायित्व सौंपा है, उनको इस प्रकार के अधिकार भी दिए जाने चाहिये ।

आपकी जो वर्कशाप्स हैं, उनकी हालत बहुत ही खस्ता है । मैं यहां पर फर्रुखाबाद की वर्कशाप की बात करता हूं । वहां पर बसों की हालत ठीक नहीं है, सभी इस बात को जानते हैं और इससे फर्रुखाबाद की जनता बुरी तरह पीड़ित है क्योंकि वहां नयी बसें नहीं भेजी जाती हैं । विभाग तो चाहता है कि पुरानी बसें ही चलती रहें ताकि उनको ज्यादा फायदा होता रहे ।

दूसरी बात मैं एक और यह कहना चाहता हूं कि जिन यात्रियों को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते ह उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी हैं । अभी एटा बै0 रूट पर दो सिपाहियों की राइफिलें तक लूट ली गयीं । इसलिये सुरक्षा की गारन्टी भी प्रदान करना चाहिये ।

एक्सीडेंट भी बराबर बढ़ रहे हैं । उन्नाव कानपुर रोड पर ही अगर देखा जाये तो तमाम आदमी एक्सीडेंट में मरे हैं। उनकी क्षतिपूर्ति की भी व्यवस्था करनी होगी।

आपकी नियुक्ति करने का प्रणाली भी बड़ी दोषपूर्ण है । जहां जब तबियात आयी किसी को भर्ती कर लिया, जब चाहा निकाल दिया । कोई मेरिट लिस्ट भी नहीं ह । भर्ती के लिए आप एक विभागीय कमीशन बनाइये और उसके द्वारा सारी नियुक्तियां की जानी चाहिये । इससे अच्छे और ईमानदार लोग आपको मिल सकेंगे ।

जो ईमानदार और अच्छे कर्मचारी होते हैं उनका विभाग का रहना दूभर हो जाता ह । आपको चाहिये कि ऐसे कर्मचारियों को आप प्रोमोशन और पारितोषिक दें ।

कन्डक्टरों के लिए रास्ते में रुकने के लिये भी कोई इन्तजाम नहीं है । एक कन्डक्टर अगर बाराणसी से लखनऊ रात को बस लेकर आता है तो रास्ते में उसके रुकने की व्यवस्था नहीं है, वह या तो बस की छत पर सोता है या और कहीं लेटता है । इन कर्मचारियों के रहने के लिए आपको एक कालोनी स्थापित करना चाहिये जहां स्थायी कर्मचारी रह सकें और अस्थायी कर्मचारियों के रात के ठहरने के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये । आवास की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है ।

फील्ड कर्मचारियों के वेतन बहुत कम है, इनका वेतन भी बढ़ाया जाना चाहिये ।

एक बात और यह ध्यान देने की है कि एक प्राइवेट आदमी अगर एक बस को ले लेता है तो वह साल दो साल में लखपती बन जाता ह और हमारी सरकार इतनी बसें चला रही ह और फिर भी वह घाटा दिखाती है, घाटा न भी हो तो कोई विशेष लाभ नहीं दिखा पाती । सरकारी बस स्टेशनों पर गन्दगी बहुत रहती है ।

मैं श्रीमन् आपका ध्यान विशेष रूप से, यह कानपुर बस स्टेशन है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उस नहर के किनारे गंदगी से भरा हुआ भवन और फिर दूकानदारों का जमघट । श्रीमन् अगर कोई विदेशी आयेगा, और देखेगा कि उत्तर प्रदेश का यह बस स्टेशन है, तो श्रीमन् निश्चित रूप से हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा उनकी आंखों में गिरेगी । श्रीमन्, मेरा आपसे निवेदन है कि चूंकि कानपुर का बस स्टेशन है, औद्योगिक नगर है, इसलिए आप उसकी ओर विशेष ध्यान दें । श्रीमन्, दूसरी बात मैं जो आप से कह रहा हूं कि ऐसी बसें जो कि बिल्कुल बेकार हो गयी हैं, उनकी जगह पर ज्यादा से ज्यादा नई बसें दें । एक बात की हमको बहुत शिकायत है कि बहुत सी जगह पर सैकड़ों की तादाद में प्राइवेट बसें चलती हैं और उनकी रोक थाम के लिए कोई भी कदम विभाग द्वारा नहीं उठाया गया है । मैं मिसाल के तौर पर मनपुरी के बेवरू नगर की मिसाल देना चाहता हूं । 38 अवैधानिक बसें वहां से विभिन्न दिशाओं में चलती हैं । वहां के जो पुलिस के लोग रहते हैं वह 500 रुपये हर बस से लेते हैं और बसें मनमाने तौर पर इधर से उधर चलती हैं श्रीमन् अगर आप इस अराजकता को रोकेंगे नहीं, तो आपकी लाख प्लान हों, लाख योजनायें हों, वह कभी कामयाब नहीं हो सकतीं । तो श्रीमन् इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुये मेरा निवेदन यह है कि उस शेख चिल्ली वाली दुनियां को छोड़कर वास्तविकता की ओर ध्यान दें । मेरा प्रस्ताव है कि केवल प्रतीक मात्र एक रुपया इनको दे दिया जाये और बाकी सम्पूर्ण राशि घटा दी जाय ।

*श्री झग्गड़ सिंह--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उस पर ध्यान देंगे । मैं सबसे पहला सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो बस परमिट प्रणाली है, एक-एक आदमी के पास 30-35 परमिटें हैं, जिससे बस की आमदनी से बेसुमार आय बढ़ती है और दूसरी ओर बेरोजगारी बढ़ती है । हमारे देश की बेरोजगारी को देखते हुए कानून में परिवर्तन किया जाय और एक से अधिक परमिट एक आदमी को न दिया जाय । यह व्यवस्था की जाय । दूसरा सुझाव इस सम्बन्ध में मैं यह देना चाहता हूं कि सरकार यह सोचने की कोशिश करे कि जो परिवहन व्यवस्था है, उसका निष्पक्ष सर्वे कराया जाय क्योंकि रोड फैक्टर बढ़ने की वजह से परिवहन का बढ़ना आवश्यक है । 1972 से, जब से निगम का निर्माण हुआ है, तब से रूल्स और रेगुलेशन्स नहीं बन सके हैं । परिवहन विभाग के कर्मचारियों को अभी तक पता नहीं है कि वह किस दुनियां में हैं । वहां पर रूल्स-रेगुलेशन्स बनाया जाय ताकि वह समझ सकें कि वह किस दुनियां में हैं । उन पर कोई कानून ही इस प्रकार का अप्लाई नहीं होता है । तीसरा सुझाव देना चाहता हूं कि जो वर्कशाप कानपुर के अन्दर है, सेन्ट्रालाइजेशन जो है, उसकी सारी यूनिट जो हैं उनके सम्भागीय क्षेत्रों में खोली गयी हैं ।

आज परिवहन निगम की सबसे ज्यादा दुरगति हो रही है । वह कानपुर सेन्ट्रल वर्कशाप की वजह से है, जिसे समाप्त कर जोनल रीजन के अंदर कर दिया जाए और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि शासन ने वहां अधिकारियों की फौज काफी बढ़ा दी है और कर्मचारियों की फौज काफी बढ़ा दी है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री झग्गड़ सिंह---]

कर्मचारियों की भर्ती कर दी है, जो काम करने वाले हैं, उनको तो आपने कम कर दिया है और जिनका केवल अनुशासन होता है, उनको काफी बढ़ा दिया है इसलिए जो काम करने वाले ह, उनकी संख्या की बढ़ाईये और जो काम करने वाले नहीं हैं उनकी संख्या को घटाइये । इसी से संबंधित एक बात और कहना चाहता हूं कि क्या यह जो परिवहन निगम है इसके अंदर कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। इनके प्रमोशन्स के लिए कुछ इस प्रकार के रूल्स बनायें जाएं, जिनसे उनमें किसी प्रकार की असंतोष और शिकायत की भावना न पैदा हो । यहां के अधिकारियों की संख्या और नियम आदि हरियाणा पैटर्न पर होना चाहिए । कर्मचारियों में कन्फर्मेशन के मामले भी बहुत से रुके हुये ह । एक डी० सी० के कन्फर्मेशन का मामला था, उसने लिखकर दरख्वास्त दी कि उसे कंडक्टर की पोस्ट कर कन्फर्म कर दिया जाए । कंफर्म तो उसे कर दिया गया और साथ ही यह भी लिख दिया गया कि भविष्य में और किसी का न हो, इसकी प्रसीडेन्स न बनाया जाए । और इसी के संबंध में चौथी बात कहना चाहता हूं कि परिवहन विभाग में रोजगार को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार को चाहिए कि हमारे इस प्रदेश के अंदर जो आज बेरोजगारी फैली हुयी है, उससे निपटने के लिए कुछ कारगर योजनाएं बनाएं । प्राईवेट बसें समाप्त की जाएं । इससे रोजगार हमारे प्रदेश के लोगों को कम मिलता है । प्राईवेट बस पर केवल 2 1/2 आदमी ही रोडवेज पर है और अपनी सरकारी बस पर 9 आदमी । इस तरह बेरोजगारी की समस्या का हल भी इसमें है । बसके साथ ही परिवहन निगम में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं भी बहुत हैं । इन्हें दूर किया जाए ताकि इससे भी बेरोजगारी की समस्या का कुछ हल हो सके । और शासन की आर्थिक स्थिति में भी मजबूती आवेगी । इसलिए आमदनी बढ़ाकर दूसरी योजनाओं पर लगाया जाए । परिवहन निगम का राष्ट्रीयकरण जब 1972 में किया गया था । तब यह निर्णय लिया गया था कि नो प्राफिट और नो लास पर जनता की सेवा करेगी । लेकिन आज हो क्या रहा है । एक उद्योग समझकर मुनाफे की दृष्टि से परिवहन निगम काम कर रहा है । इस परिपाटी को समाप्त किया जाए । वर्क में एफीशियेन्सी बढ़ाने के लिए आज आवश्यकता के कर्मचारियों को उनके हक मिलें और उनको नौकरी में संरक्षण मिले । और इसके साथ ही साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर भी शक्ति से पालन किया जाए ।

मान्यवर, आपका एक मिनट और लूंगा इसके साथ यह भी अर्ज करूंगा कि जैसा कि मने पहले कहा इस प्रदेश की बेरोजगारी की हालत को देखते हुए सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा और कर्मचारियों की सेवा शर्तों संतोषजनक ढंग से बनाकर कर्मचारियों की सेवा शर्तों संतोषजनक ढंग से बनाकर कर्मचारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखना होगा । इन्हीं शब्दों के साथ सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि उसमें हमारे दिये गये सुझावों को भी उसके अंदर ले लिया जायेगा ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, परिवहन की पर्वतीय आंचल की गम्भीर समस्या है और वहां के निवासियों को आने जाने के लिए एक मात्र बसों पर निर्भर करना पड़ता है । उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को चाहे उत्तर प्रदेश और जगहों पर लोकप्रियता न हो परन्तु पर्वतीय अंचल में इसकी बिशेष लोकप्रियता है और निरन्तर वहां के लोगों को मांग रहती हैं वहां की स्थिति को देखते हुयें वहां पर सभी मार्गों पर परिवहन

निगम की बसें चलाई जाय । वहां जो स्थानीय बस कम्पनियां है उनकी स्थिति इतनी खराब हैं कि लोगों को उनसे बहुत असंतोष हैं और उनसे सुविधा नहीं मिल पाती है यात्रा सीजन में तो स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी होती है और इसी वजह से परिवहन निगम की बसें चलाने की मांग करते रहते हैं । आपकी जो बसें वहां चलती है वे बहुत खराब हालत में हैं । उनकी सीटें बैठने का स्थान इतना खराब होता है कि दो सौ ढाई सौ किलोमीटर की यात्रा करने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है और जो किराया लिया जाता है वह हिमांचल प्रदेश और कश्मीर से प्रति किलोमीटर किराये की दर कहीं अधिक हैं पर्वतीय क्षेत्र में जो दर है मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस बारे में विचार करें वहां पर लोगों कम किराये में यात्रा को सुविधा दी जाय और बसों को सुबिधा हैं उसमें सुधार कर के अच्छी बसें चलाई जायं । जनपद चमोली में यह मांग रही है कि देहरादून से पोखारी, देहरादून से ग्वालदम, हरिद्वार से घाटर, देहरादून से मसूरी, चम्बा टेहरी होते हुये तिलवाड़ा बस सर्विस चलाई जाय । इसके अलावा जो काफी लम्बे समय से मांग रही हैं चमोली से गोपेश्वर सिटी बस चलाई जाय।

भूतपुर्व मुख्य मंत्री राम नरेश यादव ने गोपेश्वर में यह घोषणा भी की थी कि सिटी बस चलाई जायेगी और उसकी स्वीकृत दे दी थी । गोपेश्वर चमोली का मुख्यालय है । गोपेश्वर मुख्य मार्गों से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है । वहां के कर्मचारी लोग, स्कूली छात्र और जो लोग हैं वे 10 किलोमीटर चमोली, भौमतल्ला, नन्दप्रयाग मण्डल इधर रहते हैं और 10 किलोमीटर शिक्षा, अस्पताल व अफिस के लिये जाना पड़ता है । चमोली से गोपेश्वर का टैक्सी का किराया एक व्यक्ति का किराया 13 रुपया लिया जाता है और इस असुविधा को देखते हुये मेरा मंत्री जी से निवेदन हैं कि वहां पर सिटी बस चलाई जाय । इस बारे में मैंने प्रार्थना पत्र दिये लेकिन अज तक कुछ नहीं हुआ और आपके विभाग से कहा जाता है कि वहां कोई वर्कशाप नहीं है, डिपो नहीं है इस वजह से बसों को चलाने में असुविधा है । मैंने इसके बारे में दूसरा सुझाव दिया था जिससे वहां बसें चल सकती थी वहां पर लाखों करोड़ों रुपये से सड़कें बनाई गई हैं परन्तु बसें उन सड़कों पर नहीं चल रही हैं जिससे वह सड़कें खाली पड़ी हुई हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि श्रीमन् गढ़वाल में रोडवेज का डिपो बना दिया जाय जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाय । टेहरी, उत्तरकाशी, चमोली सभी जिलों में यहां से बस चलाई जा सकती हैं ।

मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि श्रीनगर में रोडवेज का डिपो इसी साल से बनवा दें, धन्यवाद ।

श्री राज कुमार राय--

मैं माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन और विरोध पक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । राज्य परिवहन निगम ही ऐसा निगम है जो अन्य निगमों की अपेक्षा ज्यादा लाभकारी लगता है । अभी 1979-80 में लगभग डेढ़ करोड़ का लाभ हुआ । मई, जून, अप्रैल के महीनें में लाभ हुआ लेकिन चूंकि डीजल के दाम लगभग 40 प्रतिशत बढ़े और कर्मचारियों को डी0 ए0 बढ़ा इसलिये यह निगम घाटें की स्थिति में जा रहा है । मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष पेश करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि अगर वे ग्राह्य हों तो उन्हें मान लें । उनसे इस प्रदेश की जनता का कल्याण होगा ।

[श्री राजकुमार राय---]

जो हमारे डिपोज हैं उनकी हालत अत्यन्त खराब चल रही है। उनमें हर जगह चोरी है। सामान बदल दिये जाते हैं घटिया किस्म के रख दिये जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए बहुत ही सख्ती से निपटने की व्यवस्था की जाये। और जो बसेज 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा चलाई जा चुकी हैं तुरन्त हटा दी जायें। यह भी निगम के लिए एक घाटे की बात होगी कि कितने भी पुर्जे आप लगा दें, बेकार ही रहेंगे। एक मात्र आरक्षण की बात है जो अच्छी है। पैदा हुआ है। मैं आप के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो बसेज में आरक्षण हैं वह ऐसा हो कि यात्री को तो कुछ पता नहीं चलता, एक टिकट फाड़ कर दे देते हैं दूसरे को नहीं देते। अगर आप आरक्षण शुल्क लेते हैं तो निश्चित रूप से आप की जिम्मेदारी होती है कि आरक्षण वांछनीय करें। जो चाहते हैं उनको दें जो नहीं चाहते उनको न दें। लेकिन जिससे आरक्षण शुल्क वसूल करते हैं उसको निश्चित रूप से आरक्षण दें। यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि आरक्षण फीस दे और खड़ा होकर चले। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इसे समाप्त कर दें।

रोडवेज इम्पलाइज की समस्यायें हैं। सरकारी कर्मचारियों की तरह से उनकी भी समस्यायें हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे और राजाज्ञायें उन पर लागू होती हैं और सरकारी कर्मचारियों पर, परिवहन कर्मचारियों पर भी लागू हों।

मेरे क्षेत्र में एक बुकिंग क्लर्क मर गया था। राजाज्ञा है कि अगर कोई कर्मचारी अपने पद पर रह कर मर जाता है तो अगर उसका लड़का है, अर्हता रखता है तो सीधे सर्विस में ले लिया जाये लेकिन मन्त्री जी से, मल्कानी साहब से, आर्य जी को लिखा लेकिन हर जगह गोल मटोल उत्तर मिलता है। इन सब चीजों पर आपकी स्पष्ट राय होनी चाहिए जिसे मिलना हो मिल जाये लेकिन उसको इधर-उधर न दौड़ना पड़े।

माननीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ बस स्टेशन की समस्यायें हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे स्टेशन हैं जहां जमीन ली जा चुकी है। मेरे क्षेत्र में मधुबन एक स्थान है। वह शहीदों का स्थल है जहां पर 80-80 आदमी गोली से भून दिये गये थे। वहां पर आपने काफी पहले जमीन एक्वायर की है, महंगी जमीन ली गयी है। वहां बहुत सी बसेज रोज गुजरती हैं, वहां स्टेशन न होने से यात्रियों को बहुत तकलीफ होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी जगहों पर जो ऐतिहासिक हैं, जहां काफी लोग आते हैं वहां पर जल्दी बस स्टेशन बनवा दें। नये डिपोज आपने खोल रखे हैं। हमारे क्षेत्र में दोहरी घाट का डिपो है। मैंने देखा कि जब से दोहरी घाट डिपो खुला है तब से यात्रियों को कष्ट और असुविधा और बढ़ी है। सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। जो बसेज के आने-जाने का सिलसिला था वह टूट गया है। मैं चाहूंगा कि डिपोज कम खोलें और सोच समझ कर खोलें। जहां तक एयर कंडीशन्ड बसेज का प्रश्न है मैं मन्त्री जी की राय से इत्तफाक नहीं करता हूं। प्रदेश गरीब है और यहां परिवहन की समस्या बहुत विकराल है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे मेरा क्षेत्र जहां पर एक इंच रेलवे लाइन नहीं है वहां पर आने-जाने के लिये बस ही सहारा है।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राजकुमार राय--

तो एयर कंडीशन्ड या एयर कूल बसें लाने से गरीब जनता को लाभ नहीं होगा, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। जहां तक मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की कुछ धाराओं का सम्बन्ध है, जिससे लोगों को रोज दौड़ना पड़ता है और परेशानी होती है तो उस सम्बन्ध मे म चाहूंगा कि हम लोगों से पूछ कर कुछ संशोधन उसमें करें। इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका ससर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपन मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री हरिवंश सहाय--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितनी रोडवेज की बसे हैं, बसो में आज हड़ताल है और इसलिय हड़ताल है कि रोडवेज और प्राइवेट बस वालों के बीच में तनाव चल रहा है और झगड़ा चल रहा है, इसी को लेकर हड़ताल है। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा और सुझाव देना चाहूंगा कि हर जिले में प्राइवेट और रोडवेज बसों का रूट अलग-अलग कर दिया जाय। एक ही रूट पर प्राइवेट और रोडवेज की बसें चलने के कारण प्राइवेट बस वाले मिले रहते हैं और उनके मिले रहने की वजह से बसेज ठीक नहीं चलती हैं। जब हम रोडवेज की बसो से चलते हैं तो अगर रास्ते में बस का एक रुपये का सामान भी बिगड़ जाता है या टूट जाता है तो रोडवेज के ड्राइवर या कन्डक्टर उसे ठीक नहीं करा पाते हैं। बल्कि जिला मुख्यालय को सूचना देते हैं। मैं चाहूंगा कि रोडवेज के ड्राइवर के पास टूल्स जरूर होने चाहिये ताकि जो छोटे-मोटे सामान टूटें या खराब हो जायं उनको वह ठीक कर लें और बस को आगे ले जा सकें।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि रोडवेज की बसें बढ़ा रहे हैं लेकिन आय घट रही है। आय घटने का कारण आर० टी० ओ० विभाग की लूट है। इतनी लूट मची है कि जीप या मिनी बस जो चलती हैं उनका रजिस्ट्रेशन आर० टी० ओ० के दफ्तर में नहीं होता है। मनमाने तौर पर वह चलती हैं। आर० टी० ओ० अपने इलाके में महीने में एक या दो बार जाते हैं और बंधी रकम लेकर वापस चले आते हैं जिससे रोडवेज को काफी घाटा होता है। अधिष्ठाता महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि रोडवेज की बसे बढ़ाने की बात कही गयी है लेकिन 22 बसें देवरिया जिले में नीलाम कर दी गयी हैं और उनके स्थान पर दूसरी बसें नहीं दी गयी हैं। मैं चाहूंगा कि जो बसेज बदली जायं या नीलाम की जायं उनके स्थान पर नयी बसेज रोडवेज को अवश्य दी जानी चाहिये। जो घाटा हो रहा है वह अधिकांश फर्जी दिखाई पड़ रहा है।

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को हम समूल नष्ट करेंगे तो हम उनसे कहना चाहते है कि परिवहन विभाग में जितने उच्च अधिकारी हैं उनके सभी के खिलाफ सी० आई० डी० और सी० बी० आई० की इन्क्वारी चल रही है या उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं। लेकिन उनके अनुकूल कोई सरकार आ गयी या कोई मन्त्री आ गया तो वह अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को हटवाकर प्रोमोशन ले लेते हैं जिससे रोडवेज में घाटा बढ़ रहा है। यदि मन्त्री जी चाहेंगे तो मैं उनको इस सम्बन्ध में लिखकर भी दे सकता हूं।

[श्री हरिबंश सहाय--]

मान्यवर, रोडवेज की बसों में रिजर्वेशन की नाइट में जो लगी हुई है उसको समाप्त करने की व्यवस्था करें ।

मान्यवर, मैं यह भी चाहूंगा कि देवरिया डिपो में पानी लगा हुआ है । पानी से वहां का दृश्य बाढ़ नुमा उपस्थित हो जाता है । इसलिये वहां पानी निकलने के लिये नाली बनवाने की कृपा करें ।

मान्यवर, कारखाने में जब बस जाती है तो वहां उनको ठोक पीटकर ठीक कर दिया जाता है लेकिन रास्ते में वह फिर खराब हो जाती हैं । बसों की संख्या तो बढ़ा दिया है लेकिन वह सारी बसे कंडम हैं । इसलिये उनकी ठीक से सर्विस करने की व्यवस्था करें और बसों की संख्या को बढ़ायें जिससे सरकार की आय बढ़े ।

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और परिवहन मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट मांगों का समर्थन करता हूं । मान्यवर, परिवहन विभाग सरकार की तरफ से इसलिये बनाया गया था कि जनता को उससे ज्यादा सुविधायें होंगी लेकिन दुख इस बात का है कि परिवहन विभाग के जो हमारे कन्डक्टर और ड्राइवर हैं वह जनता की उतनी सेवा नही करते हैं जितनी कि उनको करना चाहिये किन्तु दुख तब होता है जब सड़क पर से खाली बसें निकल जाती हैं और जनता उनका मुंह देखती रह जाती है । जनता बस को रुकने के लिये हाथ का संकेत देती है लेकिन कन्डक्टर और ड्राइवर खाली बस ले आते हैं और रोकते तक नही हैं । इससे जनता को परेशानी ही नहीं बल्कि राज्य सरकार को भी नुकसान होता है । हमारे यहां जो रोड़स प्राइवेट लोगों के पास हैं उनमें देखें तो सेवा जनता को ज्यादा मिलती है क्योंकि हर 10-15 मिनट पर प्राइवेट बसें निकलती रहती हैं । लेकिन रोडवेज बसें खराब और जनता को उतनी सेवा भी नहीं दे पाती हैं और रास्ते में खड़ी भी नहीं होती हैं । लखनऊ से बाराबंकी रोड ले लें या उसके आगे का ले लें तो जब तक प्राइवेट में वह थे तब ठीक थे लेकिन जबसे सरकारी करण उस रूट्स का हुआ तब से उनकी हालत खराब है और दिन भर सवारियां खड़ी रहती हैं लेकिन रोडवेज की बसें खाली होने पर भी मुश्किल से रुकती हैं ।

मान्यवर, बसों की मरम्मत पर काफी रुपया खर्च होता है और पुर्जे खरीदे जाते हैं लेकिन पता नहीं वह पुर्जे बसों में लगते हैं भी कि नहीं । जो बस बन कर आई मालूम हुआ कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, बस फिर खराब हो गई । कोई अच्छी हालत नहीं है । रोडवेज विभाग में एक विभाग बना था टेक्निकल विभाग और उसमें कुछ इंजीनियर रखे गये थे । इसलिये रखे गये थे कि वे बसों की देख-रेख अच्छी करेंगे । लेकिन हुआ क्या । पता नहीं तीन वर्ष में जो हमारे विरोधी पक्ष में आज बैठे हैं इनके ऊपर कौन सा जोर पड़ा कि इन्होंने जो इंजीनियर बसों की देख-रेख के लिए रखे थे उनको डिपो इंचार्ज बना दिया । न वे इंजीनियर का काम देख पाये और न डिपो इंचार्ज का । विभाग में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है इसलिए उनको प्रमोट कर दिया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रोडवेज विभाग 1972 में गवर्नमेंट के अधीन था और 1972 के बाद यह निगम बन गया। 1972 से 1980 तक इन आठ सालों में इस निगम के अभी तक कोई नियम नहीं बने। नियम न बनने की वजह से परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर अगर कोई अधिकारी कार्यवाही करता है तो वह सीधे कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट से स्टे ले आते हैं। स्टे आ जाने से परिवहन निगम का अधिकारी बिल्कुल पंगु हो जाता है। कर्मचारी कोर्ट में जाकर यह दलील देते हैं कि हम यू0 पी0 गवर्नमेंट रोडवेज के कर्मचारी हैं परिवहन निगम के नहीं। परिवहन निगम के तो कोई नियम ही नहीं हैं। जब तक निगम के नियम नहीं बनेंगे तब तक वहां के अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। वाराणसी में एक टंकी पर तीन लाख रुपये खर्च किये गये और मैं समझता हूं कि तीन बूंद पानी भी उस टंकी से अब तक नहीं लिया गया है और वह टंकी जैसी की तैसी खड़ी अपनी सूरत दिखाती है। टंकी की ओर सब लोग देखते हैं। यही हालत शिवगढ़ की है। शिवगढ़ में रोडवेज का बस स्टेशन बना है। उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। बसें और जगह से आती जाती हैं। ऐसी स्थिति है। इसको देखने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हर सड़क का राष्ट्रीयकरण होता चला जा रहा है। सैकड़ों यात्री स्टेशन पर खड़े-खड़े बस का मुंह देखते रहते हैं। न कोई छाया का इन्तजाम है, न पानी का प्रबन्ध है। अगर पानी गिरे तो यात्री पर गिरे, धूप हो तो उसके ऊपर हो, जाड़ा हो तो उसके ऊपर हो। बस आई और आ कर चली गई। दो तीन घंटे खड़े-खड़े लोग बस को देखा करते हैं। कोई अच्छी हालत नहीं है। मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया हमारे यहां चलाई गई है। राष्ट्रीयकरण का वैसे मैं विरोधी नहीं हूं लेकिन कम से कम बसों के मामले में जरूर कहना चाहता हूं। उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। जो प्राइवेट बसें चलती हैं उनको देखें और परिवहन निगम की बसों को देखें। प्राइवेट बसों में बिगाड़ कम होता है जबकि निगम की बसों में बिगाड़ ज्यादा हो जाता है। उनके बसों में काफी सहूलियतें हैं जबकि निगम के बसों में कोई सहूलियत नहीं है। राष्ट्रीयकरण करते जाना है तो इन्तजाम भी ठीक होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ में कटौती का प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री खैरुल बशर---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

एक सदस्य---

यह परम्परा रही है कि यहां से दो सदस्य बोलें और वहां से एक सदस्य बोलें ....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

अब आपको भी मौका दिया जायगा।

श्री खैरुल बशर--

जब से यह परिवहन निगम बना है और जब से प्राइवेट बसों का आगमन शुरू हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि कुछ लोग प्राइवेट बसेज की तारीफ करते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि जहां केवल प्राइवेट बसेज चलती हैं वहां जनता को क्या कष्ट है, उसे हम ही जानते हैं। 33 साल से कांग्रेस (आई०) का दल है। वह देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों की सेवा करता है। यह जो निगम बनाया गया है इसके अन्दर करोड़ों रुपया लगाया गया है और यह एक ऐसा सिस्टम है जो पूंजीपतियों की सेवा देश में कर रहा है। मैं परिवहन मंत्री के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध इसलिए करता हूं कि आप सर्दी गर्मी की बसेज चलाने की बात करते हैं जब कि गर्मी के दिनों में लोग बसेज की छतों पर चलते हैं। जो गर्मी उनको नहीं लगनी चाहिये वह भी उनको लगती है और जाड़े के दिनों में भी वह उन बसेज की छत पर चल कर सर्दी बरदाश्त करते हैं। अन्धेर नगरी चौपट राजा। इससे बुरी व्यवस्था और क्या हो सकती है। पहले अपनी व्यवस्था को सुधारिये तब ठंडी गरम बसेज चलाइये। यहां हाउस में चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। लोगों का मन बहलाने के लिये झूठी खबरें छपवाते हैं जनता का मत बटोरने के लिये। यह पूंजीपति निगम भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में प्रदेश को तबाह कर रहा है और कारपोरेशन को बदनाम किया जाता है। बसेज के अन्दर विधायकों की सीट खत्म होना चाहिये। जो क्षेत्र की गरीब जनता है और वह हमारी सीट पर बैठा हो तो हम उससे उठने को कहें। यह बुरी बात है जब तक उनके बैठने की गारंटी न करें तब तक विधायकों के लिए रिजर्व सीट नहीं होना चाहिये। हमारी जिम्मेदारी है उसके बैठने के लिए इन्तजाम करें। हम इन्तजाम न करें और जनता से कहें कि विधायक जी बैठेंगे। विधायक अगर बैठेगा इस तरह से तो गालियां भी सुनेगा। मेरा क्षेत्र मऊनाथ भंजन एक ऐसा नगर है न वहां से बस गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती, फैजाबाद तथा इलाहाबाद तथा लखनऊ, कानपुर डायरेक्ट जाती है लेकिन वहां कोई डिपो नहीं है। वहां एक डिपो होना चाहिये। इसी तरह से गोपीगंज बहुत बड़ा औद्योगिक टाउन है लेकिन वहां कोई बस स्टाप नहीं है। 28 हजार की आबादी वाले औद्योगिक टाउन एरिया के लिए कोई बस स्टाप नहीं है। बस मऊ से छूट कर गोरखपुर जाती है, वह वहां नहीं रुकती। वहां बस स्टाप बनवाइये।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

एक बात यह और कहूंगा कि रोडवेज के अन्दर, कारपोरेशन के अन्दर अगर करप्शन नहीं रोका गया तो नौकरशाही निगम को पूंजीपतियों के चंगुल में फंसा देंगे। यहां बैठे सदस्य बसेज की खराबी की बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं लेकिन उसी पक्ष के द्वारा लाये गये प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। जनता में जा कर कहते हैं कि हमने यह कहा वह कहा लेकिन बाद में शासन की बातों का समर्थन करते हैं जो पूंजीपतियों, टाटा तथा बिरला की सेवा करता है तथा देश व प्रदेश की तबाही के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी इन बसों को पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाहते हैं उनकी सेवा करना चाहते हैं और बड़े-बड़े सेठ और साहूकारों के लिए एयरकंडीशन बसें चलाना चाहते हैं इसलिये जो उन्होंने बजट पेश किया है उसका विरोध करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री भोला पान्डेय––

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने परिवहन के बजट पर बोलने का जो मौका दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, परिवहन का सीधा सम्बन्ध आम जनता से हुआ करता है लेकिन दुर्भाग्य-वश लगातार तीन वर्षों तक जनता पार्टी ने इस प्रदेश के अन्दर हुकूमत किया तो उससे यहीं देखने को मिला कि परिवहन विभाग के अन्तर्गत इस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि जिसके कारण आज भी इस विभाग में भ्रष्टाचार मौजूद है जिसका मिटाया जाना असम्भव सा लगता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

परिवहन पर बोलने का उनका अधिकार, आप ध्यान से सुनें।

श्री भोला पाण्डेय––

मान्यवर, जनता पार्टी की हुकूमत में डीजल की कीमत में बढ़ोत्तरी हुई थी और साथ ही साथ टायरों की कीमत भी बढ़ी थी। रेलों के किरायों में भी बढ़ोत्तरी हुई थी जहाज के किराये में भी बढ़ोत्तरी हुई थी लेकिन सौभाग्य से मंत्री जी ने एक आम आदमी को सही सुविधा देने के लिये, सही राहत देने के लिये रोडवेज की बसों के किराये में किसी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं की है।

(व्यवधान)

मान्यवर, 3 वर्षों तक जनता पार्टी की अकर्मण्यता के कारण जगह–जगह पर ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रदर्शन होते रहे और आज भी प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, प्रदेश बाढ़ से ग्रसित है और ट्रेड यूनियन के नेता पूरे सूबे में बसों की हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सूबे की जनता को राहत देने के लिये, प्रदेश की समस्याओं का समाधान करने के लिये ट्रेड यूनियनों द्वारा जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो धमकियां वे दे रहे हैं जो भी इस तरह की कार्यवाही वे कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से निपटारा किया जाना चाहिए। जनता सरकार के समय मे जो टेक्निकल आफीसर थे जिनका इंजीनियरिंग विभाग से सम्बन्ध था, जो चैक करते थे कि रोडवेज की बसें ठीक तरह से बनायी जा रही हैं या नहीं, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से धीरे-धीरे प्रशासनिक अक्षमता के कारण उन्हीं टेक्निकल आफीसरों को रोडवेज के अन्दर प्रशासनिक रूप-रेखा तैयार करने के लिये और प्रशासन चलाने के लिये प्रोत्साहन दिया गया। मैं जोरदार शब्दों में मांग करना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक और जनवादी हितों का जो तकाजा रखते हैं और प्रशासन में सक्षम हैं उनकी दखलनदाजी को ही महत्व दिया जाना चाहिए और मैं समझता हूं कि इसके अतिरिक्त अक्षम और अकर्मण्य लोगों को हटा दिया जाना चाहिए। जो लोग प्रशासन चलाना जानते हैं उनकी प्राथमिकता देनी चाहिए। आज तक जनता पार्टी के शासन में ऐसे लोगों को प्राथमिकता नहीं दी गई और इसी वजह से सरकारी धन का दुरुपयोग भी हुआ है। जो टेक्निकल आफीसर हैं उन पर 30 हजार रुपये प्रति व्यक्ति खर्च किया जाता है। इस विभाग ने लगातार तीन वर्षों तक जो नमूना हमारे सामने पेश किया है जो एक सिलसिला चल रहा है, जो सप्लाई ली जाती है इस विभाग के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भोला पांडेय---]

अन्दर जो पुर्जों की खरीद होती है मैं समझता हूं कि वह लगभग 15 करोड़ रु0 की होती है । परिवहन विभाग में कुछ तथा कथित फर्मों से ही खरीद होती है जिनसे अधिकारी माल सप्लाई कराते हैं और अपनी जेब की कमाई करते हैं । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस तरह का भ्रष्टाचार जो तीन वर्षों से व्याप्त है उसको तत्काल रोका जाय, उससे जनता को राहत दिलाई जाय । एक बहुत बड़ा मसला है कि जो तीन वर्ष से व्यवस्था चली है वह आज भी मौजूद है । साल में किसी वक्त भी स्थानान्तरण कर दिया जाता है । इसलिए मैं कहूंगा कि स्थानान्तरण के लिए कोई तारीख और महीना निर्धारित कर दें । इससे जो बड़े-बड़े अधिकारी सालभर छोटे-छोटे कर्मचारियों का स्थानान्तरण करके उनसे गलत तरीके से पैसा लेते हैं वह बन्द हो जायेगा ।

मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहूंगा कि जो 5 लाख कि0 मी0 से अधिक बसें निगम की चल चुकी हैं उनको आप रिप्लेस करें । मैं अपने क्षेत्र बलिया की ही बात नहीं करता बल्कि पूरे प्रदेश की बात है । पूरे प्रदेश में जो 5 लाख कि0 मी0 बसें चल चुकी हैं उनको आप हटा कर नयी बसें चलायें । मुझे यकीन है जल्दी ही आप इसकी व्यवस्था करेंगे । लगभग 20 करोड़ रु0 परिवहन बिभाग को जनता द्वारा मिलता है । बस यात्रियों के जान-माल का खतरा न हो उसके लिए तत्काल नयी बसें चलाई जायं ।

एक और भ्रष्टाचार इस विभाग के अन्दर है । जो इनफोर्समेन्ट आफिसर्स होते हैं वह कण्डक्टर्स से सांठगांठ करके बहुत बड़ी कमाई का साधन बनाते हैं । मान्यवर, अभी एक मान्य सदस्य जिक्र कर रहे थे मैं दावे के साथ कहता हूं कि भूतपूर्व मंत्री लोकदल की सरकार एक जाति के लोगों को भर्ती किया जिसे मैं एक शर्मनाक घटना कहूंगा । जिनकी नियुक्ति को मंत्री जी ने निरस्त किया है जिसके लिए मैं उनका अभिनन्दन करता हूं वह उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया । उसमें जातिगत आधार पर नियुक्तियां हुई थी ।

श्री अध्यक्ष---

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री भोला पाण्डेय---

दो मिनट में समाप्त करता हूं । आज प्रदेश के अन्दर नौकरशाही व्याप्त है इसे समाप्त किया जाना चाहिये ।

मैं एक मांग करूंगा कि बलिया जनपद में एक कर्मशाला की स्थापना की जाय वह इलाका हमेशा उपेक्षित रहा है । बलिया से रेवती, बैरिया होकर सीधी पटना बस चलाई जाय और वहां से गोरखपुर और बनारस की सेवा उपलब्ध कराई जाय । मान्यवर, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट---

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । यह परिवहन निगम 1972 में बना इससे पहले यह यू0 पी0 रोडवेज के नाम से जाना जाता था । आज जो इसके मंत्री हैं वह सिंचाई विभाग के भी मंत्री हैं । तो परिवहन के साथ सिंचाई भी लगा हुआ है ऐसा

लगता है कि चूकि सिंचाई विभाग ठंडा है वह इस निगम से ज्यादा बड़ा है इसलिए परिवहन निगम जो पहले लाभ में चल रहा था आजकल ठंडा हो गया है और बिलकुल समाप्त सा लगता है । आखिर कारण क्या है ? जिस समय श्री आर० बी० सक्सेना, जो आजकल मुख्य सचिव हैं, चैयरमैन थे, उस समय निगम लाभ में था अब हानि में क्यों ? 1974 से 1977 तक, 1977 से 1980 तक के दो टर्म में पी० यू० सी० का मेम्बर रहा हूं उसके अन्दर इस कारपोरेशन का काम देखने का मौका मिला । कई वर्कशाप देखे और देखा कि परिवहन निगम का कार्य प्रगति पर है या नहीं । सक्सेना साहब के जमाने में जो देखा था आपके विभाग में काम कुछ ठीक तरह से चल रहा था । मैं आप पर दोषारोपण नहीं करता आपके पास सिंचाई विभाग भी है । या तो आप सिंचाई विभाग छोड़ दे या परिवहन विभाग से मुक्ति ले लें । दोनों विभागों में ऐसा लगता है कि एक विभाग की ठंडक दूसरे विभाग पर असर डाल रही है । हम आशा करते थे सिंचाई विभाग के पानी की तरह से आपकी बसें चलेंगी और लोगों को सुखसुविधा रहेगी । जैसे नरौड़ा और दूसरे प्राजेक्ट्स में जलधारा प्रवाहित होतीं हैं, उसी प्रकार परिवहन निगम भी तीव्र गति से कार्य करेगा । लेकिन परिवहन निगम में ऐसा देखने को नहीं मिलता । प्राइवेट बसेस को देख लीजिये सुविधा की दृष्टि से, किसी दृष्टि से देख लीजिए आपकी बसों से वे कितनी ज्यादा अच्छी हैं । उनकी बेगार भी होती है । उनको यात्री रोक भी लेते हैं । कई बार पब्लिक चाहती है कि बस रुके, बस रुक जाती है । आपका ड्राइवर चाहे बस खाली हो लेकिन बस नहीं रोकता । इसके बावजूद प्राइवेट बसों में घाटा नहीं है आपकी बसेज घाटे में चल रही हैं । यह बहुत बड़ा षड़यन्त्र है । इस पूरी सरकारी व्यवस्था को ठप करने का । इससे आपको सचेत होना चाहिए । प्राइवेट बस ज्यादा बढ़ाएं, प्राइवेट बसों में वृद्धि हो, ऊंचे पदों पर बैठे हुए अधिकारियों को खाने पीने का मौका मिले, आप अनुभवी हैं, जो गोलमाल होता है उससे आप परिचित हैं । परिवहन निगम की 40 परसेंट बसेस आफ रूट्स पड़ी हैं । एक नट की वजह से पूरी बस खड़ी कर दी जाती है । वह तीन-तीन महीने खड़ी रहती है उसके दूसरे पार्ट्स भी गायब कर दिये जाते हैं । इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है । आपके यहां जिस सामान की जरूरत होती है वह नहीं खरीदा जाता, जिन सामान की जरूरत नहीं होती है वह खरीदा जाता है । हमारे इटावा जिले में अजीतमल बाबतपुर प्रमुख टाउन एरिया है । वहां पर सुविधा सम्पन्न बस स्टेशन बनाने के लिए श्री आर० पी० सक्सेना ने स्वीकृति दी थी । 1.35 एकड़ जमीन निःशुल्क हस्तांतरित करवा दी गयी थी । उसमें एक पैसा नहीं लगा । कई लाख रुपया सैंक्शन हुआ । लेकिन बड़ा अफसोस है कि पता नहीं क्या व्यवस्था है कि वह योजना समाप्त हो गयी । टेंडर हुआ, लेकिन आज तक अजीतमल बाबतपुर के बस स्टेशन की योजना खटाई में पड़ी है । इससे कुछ काम होने का नहीं है । खराब अधिकारियों को निकाल कर बाहर कीजिए और अच्छे अधिकारी हैं उनकी तरक्की कीजिये । सर्विस रूल्स बनाकर रख दीजिऐ । भाई सूबेदार सिंह ने कहा है कि एक रुपया कर दिया जाय । उसका तो समर्थन करना ही पड़ेगा । मेरा दिल तो नहीं करता कि एक रुपया भी दिया जाय । बस, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी---

मान्यवर, परिवहन मंत्री जी ने परिवहन विभाग का जो बजट आज प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन के लिए मैं खड़ी हुई हूं । मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती प्रेमवती तिवारी--]

से मंत्री जी को देना चाहती हूं । इसके पहले भी जब-जब मुझे मौका मिला मैंने इस प्रकार के सुझाव दिया है । विभाग में जो स्टोर परचेजिंग है, उस खरीदारी की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं । मंत्री जी उस ओर विशेष रूप से ध्यान दें । उसमें देखने से यह मालूम पड़ता है कि स्टोर में अनावश्यक चीजें भारी मात्रा में खरीद ली जाती है । पिटा-पिटाया सरकुलर चला जाता है और उसी आधार परउसकी पर चेजिंग हो जाती है और जो कीमती सामान खरीदे जाते हैं आवश्यक समझकर, वहत बेकार के पार्ट्स स्टोर में पड़े-पड़े खराब हो जाते हैं, उनमें जंग लग जाती है और फिर वे लोहे के भाव नीलाम कर के वेच दिये जाते हैं । इसकी ओर ध्यान दिया जाए, तो विभाग में सुधार होगा और आर्थिक समस्या दूर होगी ।

अब मैं प्राइवेट बसों के मामले में आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं । प्राईवेट बसें वास्तव में एक परेशानी की चीज आज भी बनी हुई हैं । हरदोई-लखनऊ के बीच जो बसें चलती हैं, उसमें किसी में हरदोई में टिकट ले लिया तो दूसरी बात है वरना बस में बैठने के बाद कहीं टिकट लेना बहुत ही मुश्किल है । टिकट दिए ही नहीं जाते हैं, मांगिये भी तो टिकट नहीं दिये जाते हैं । यात्रियों की भलाई इस तरह होती है बैठें या उतर जाएं, समझ में नहीं आता है । आदमी मजबूरी से उनपर चढ़ता है, क्योंकि उसे वक्त पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना पड़ता है उसका न तो कोई हिसाब है न किताब ।

दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट बसें महानगरों में चलती हैं । जैसे यहां जो मिनी बसें कृष्णानगर से लम्बे रूट पर रैदास मन्दिर तक जाती है, उसकी हालत यह है कि यात्री इसमें चढ़ते हैं और कई गिर जाते हैं, गिर-गिर कर चढ़ते हैं और वह चोट खा जाते हैं । मैंने परिवहन विभाग का इस ओर ध्यान भी दिलाया, लेकिन आजतक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । अब मैं एक बात नेशनल हाईवे के बारे में कहना चाहती हूं । यह जो नेशनल हाईवे के नाम पर आपकी सड़कें हैं और उन पर जो यातायात है उन पर जो हेवी ट्रक्स निकलती हैं उनको हमने देखा है । अभी पानी बरसा, सड़कें बनकर तैयार नहीं हुईं, लेकिन घोषणा कर दी गई कि यह नेशनल हाईवे तैयर है और सब भारी गाड़ियां उस पर से गुजरेंगी । नतीजा यह होता है कि स्थान-स्थान पर सड़कें धंस जाती हैं, जिनसे ट्रक फंस जाते हैं और पलट जाते हैं । इसके कारण से सड़क के दोनों ओर की दुकान वालों को बड़ी क्षति होती है और पूरे वातावरण पर खराब प्रभाव पड़ता है । मैं समझती हूं कि मंत्री जी कुछ करना चाहते हैं, इसलिए सुझाव देना चाहती हूं । आशा है कि वह यात्रियों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान देंगे और इस प्रकार की जो सड़कें हैं, जो नेशनल हाइवे घोषित होकर ट्रेक्स निकलते हैं, उन सड़कों को पहले आप देखें । वरना इन पर दुर्घटना होने से जानवर और बच्चे मर जाते हैं । ट्रान्पोर्ट नगर के नाम से सभी महानगरों व अन्य नगरों में पृथक स्थान बनाए गये हैं, लेकिन आजतक वह प्रयोग में नहीं लाये जा रहे हैं । हजारों-लाखों रुपया खर्च करके भी अबतक वहां पर हैवी ट्रक खड़े होने की कोई योजना नहीं है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि नगरों और रास्तों की सफाई के लिए और जो बीच में व्यवधान पैदा हो जाते हैं, वे न आने पावें । इसलिए जो ट्रान्सपोर्ट नगर जो आपने बसाये हैं, उनका इस्तेमाल किया जाय ताकि जो

खराब मुहल्ले नगरों में बन जाते हैं, वे न बनने पायें । इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो थोड़े से सुझाव मैंने दिए हैं, उन पर ध्यान दें और यदि इन सब चीजों को और ध्यान दिया जायेगा तो निश्चित रूप से परिवहन निगम में सुविधायें मिलेगीं और इसका घाटा भी दूर होगा ।

(श्री शंकर सिंह का नाम पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष––

अब बिल्कुल समय नहीं है और कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । इसलिए कृपया सभी सदस्य 2–2, 3–3 मिनट बोलें अन्यथा समय नहीं है ।

श्री शंकर सिंह––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया लेकिन प्रार्थना है कि 2 मिनट का जो प्रतिबन्ध आपने लगाया है, उसको उठा लें, और खास कर मेरे लिए क्योंकि मुझे पुकारने के बाद ही आपने पाबन्दी लगायी ह । जो सदन में कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

आपके ही कृषि मंत्री जो केन्द्रीय सरकार में हैं, राव वीरेन्द्र सिंह, सदन में अपना कृषि बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं अन्दर सदन में बजट पेश कर रहा हूं और बाहर पानी बरस रहा है । इससे आप हमारी एफिशियेन्सी जान सकते हैं कि हमारा विभाग कितना एफिशियेन्ट है ।

आज आपने हाउस में अपने विभाग का बजट पेश किया लेकिन बाहर आपके मुहकमें में आपके रोडवेज में हड़ताल चल रही है जिससे आपके विभाग की एफिशियेन्सी जाहिर हो रही है और मैं समझता हूं कि इसमें आपका दोष भी नहीं है । आपके जो इनिशियल्स हैं वी० बी० एस० जिसका तात्पर्य है वेरी बैड सर्विस । तो इसमें दोष भी नही ह । आप स्वयं स्वीकार करते हैं इस बात को कि आपके मुहकमें में बहुत सी प्राब्लम्स है लेकिन जो बजट...

श्री अध्यक्ष––

वे इनिशियल्स अंग्रेजी में नहीं हैं, हिन्दी में हैं जिसका तात्पर्य है "बहुत बढ़िया सेवा ।

(हंसी)

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह––

आप लोग मुझ को जो समझना चाहें समझें । मैं जो आपको समझा, वह बता रहा हूं । आप स्वयं अपने विभाग से संतुष्ट नहीं हैं आपने यह कहा कि मैं यह प्रयास करूंगा, फलां सुधार करूंगा और उसके लिए आपने यह धनराशि

[श्री शंकर सिंह---]

मांगी हैं । जो बातें आपने बजट भाषण में कही हैं कि आप प्रयास करेंगे और अपन साधनों से उनको पूरा करेंगे अगर आप अपने वायदे को पूरा करें तो मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें लेकिन मैं जानता हूं कि जो आपने वायदे किये हैं जो बातें आप कह रहे हैं, उनमें से कोई भी पूरा होने वाला नहीं है । जैसा कि माननीय गौरी शंकर जी ने कहा कि एक रुपया भी आपके लिए बहुत है उसको भी काट लेना चाहिए, आप उसके लिए भी योग्य नहीं हैं । अप 2-2, 2 1/2-2 1/2 लाख रुपये की चेसिस खरीदते हैं । हमारे जो साथी हैं, जानते हैं बसों से ताल्लुक रखते हैं लेकिन बसों का आपके महकमें के अधिकारियों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । आपकी जो नयी बसें बनती हैं, पुरानी को तो छोड़ दीजिए, क्या आपने उनकी बाडीज को कभी देखा है । जाने कौन सी गेज की चादर इस्तेमाल की जाती है कि जब बस चलती है तो ऐसा लगता है जैसे पानी बरस रहा है, इस तरह से उसकी चादर हिलती है । जब कि प्राइवेट बसों को देखिये, जब वह नयी बन कर आती है उसमें कितनी अच्छे किस्म की चादर लगी होती है, सनमाइका लगा होता है, न उसमें लू लग पाती है, न सरदी लग पाती है । आपकी बसों में बड़ा खराब सामान लगाया जाता है ।

श्री अध्यक्ष---

अब आप कृपया बैठें । समाप्त करें ।

श्री शंकर सिंह---

आपकी बसों की बाडी खराब बनती है ।

[समय 5 बजे अपराह्न]

एक सुझाव में यह देना चाहता हूं कि जिन रूट्स पर आपकी बसें चलती हैं वहां प्राइवेट बसें न चलाइये । इससे सबसे ज्यादा नुकसान आपका होता है । प्राइवेट बस आगे-आगे चलती है, वह सारी सवारियां पहले से ही ढो लेती है, पीछे-पीछे आपकी बस चलती है जो खाली चलती है । प्राइवेट बस वाले आपके कर्मचारियों को 20-30 रुपये रोज दे देते हैं । तो इस चीज को रोकिये ।

पिछले साल जनता सरकार के जमाने में गांव में बहुत सी पक्की सड़कें बनायी गयी थी । जहां पक्की सड़कें बन गयी हैं और यातायात के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं, आपको चाहिये कि आप वहां पर प्राइवेट बसों को चलाने की इजाजत दे दें । हमारे जालौन में कई पक्की सड़कें हैं जहां यातायात के कोई साधन नहीं हैं । झांसी से डुमरियागंज तक लम्बी बस न चलाकर जहां सड़क है पर कोई बस नहीं चलती ग्रामीण इलाके में । ऐसी जगह आप प्राइवेट बसों के परमिट दे दें ।

श्री अध्यक्ष---

अब आप कृपया बैठें ।

श्री सतीश अजमानी---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया । मैं माननीय मन्त्री जी ने जो इतना अच्छा बजट पेश

किया है इसके लिये उनको बधाई देता हूं इसके साथ-साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं ।

सबसे पहले 1-5-79 को यह घोषणा की गयी थी कि टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा है । पर वह अभी भी लिया जा रहा है । टोल टैक्स और रोड टैक्स बहुत ज्यादा लिया जाता है इसे कम करना चाहिये । मैं भी एक ट्रक का काम करता हूं इसलिए ट्रक मालिकान को जो परेशानी होती है उसका अनुभव है । जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसी हिसाब से यातायात की सुविधा भी बढ़ाना चाहिए और उसके लिए प्राइवेट बसों को ज्यादा से ज्यादा परमिट दिए जाने चाहिए । इससे जनता को यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

मान्यवर, एक बात जो माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आर० टी० ओ० दफ्तर में जब टैक्स दिया जाता है, तो वहां पर बहुत ही अधिक भ्रष्टाचार है । उस भ्रष्टाचार की नौबत यहां तक है कि जब तक 10-20 रुपए कलर्क को न दिया जाय, तो वह किसी की बात ही नहीं सुनते और कोई न कोई नुक्सा ऐसा निकाल देते हैं कि बहुत परेशानी हो जाती है । आर० टी० ओ० दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार है, उसको सही तरीके में लाने की कृपा करें मेरे निर्वाचन क्षत्र में तिकोनिया व बिलराया स्थान है, वहां पर कोई भी सीधी बस सर्विस लखनऊ के लिए नहीं है जब कि वहां पर एक बड़ी शुगर फैक्ट्री है और वहां से होकर अफसरों को अकसर लखनऊ आना पड़ता है और वहां पर न कोई रेलवे सर्विस ही है । इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर सीधी बस सर्विस लखनऊ के लिए तिमाही से चलाई जाय । 1 महीने, 15 दिन पहले जो व्यक्ति कागज आर० टी० ओ० आफिस से निकालना चाहे, उस कागज को निकलवाने में 3-3 महीनें का रोड टैक्स लग जाता है । यह एक बहुत बड़ा अन्याय है । इन सुझावों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री सूबेदार सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मेरी प्रार्थना तो कई दिनों से निरंतर चल रही है । मान्यवर, आप तो मेरी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं करते ।

श्री अध्यक्ष--

दो सदस्य शासक-दल की तरफ से और 1 विपक्ष की तरफ से और बोल लें ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो बजट आज सदन में रखा है, मान्यवर, मैं अपने उस नवयुवक, प्रदेश के तेजतर्रार मंत्री से, जैसी अपेक्षा करता था, वैसा ही बजट है । उसी के विलोम में जो हमारे माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसकी मैं घोर निन्दा करता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी को मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, यह परिवहन निगम और प्राइवे

[श्री श्याम लाल बाजपेई--]

बस मालिकों के बीच में जो अवैध गठबन्धन चल रहा है, उससे प्रदेश का करोड़ों रुपयों का मासिक नुकसान हो रहा है । आज लाबी में अफसरों की पंक्ति बैठी हुई है । ये प्रदेश के राजस्व के साथ मजाक कर रहे हैं । एक तरफ प्रधान मंत्री हैं और दूसरी ओर ये समस्त अधिकारी आंख मिचौनी खेलने के लिए तुले हैं ।

श्री अध्यक्ष --

माननीय सदस्य, मैं सुन रहा हूं, कृपया आप सदन को और मुझको सम्बोधित करें । गैलरी को न सम्बोधित करें ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

अध्यक्ष महोदय, परिवहन निगम घाटे में चल रहा है । मान्यवर, यह कौन सा नियम है, कौन सी व्यवस्था है, जो कि यह करोड़ों के घाटे पर यह विभाग चल रहा है ।

मान्यवर, अगर अधिकारियों का नियन्त्रण होता तो यह निगम घाटे पर नहीं चल सकता था ।

शरीफाबाद-घाटमपुर जो बस चलती थी अब शरीफाबाद-कानपुर चलती है उसे शरीफाबाद-बिठूर करने के लिए माननीय मंत्री जी से तीन बार आदेश कराया मगर सभी आदेश परिवहन निगम के शीत गृह में समा गए ।

मान्यवर, परिवहन निगम के यह अधिकारी गण इस शासन की नीतियों की परवाह नहीं करते, बल्कि अपने उन दोस्तों की वफादारी निभाते हैं, जो उनको अण्डे देते हैं, शराब पिलाते हैं । वह उनके वफादार हैं । सरकार के वफादार नहीं हैं । (लाल बत्ती जलने पर) ।

मान्यवर, मैं आपकी लाल बत्ती से बहुत डरता हूं और आपके आदेशों का पालन भी करता हूं बाराबंकी मार्ग पर ए0 आर0 टी0 ओ0 जौहरी चलता है जो पैसा लेकर काम करता था । मैंने जब शिकायत की तो लोगों को बे वजह चालान करने लगा । शासन को बदनाम कर रहा है । उसे तत्काल हटाया जाय । ट्रक मालिकों से वह पैसा लेता है । और फिर माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुए और विरोध पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसकी भर्त्सना करते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कृपया अफसरों पर अंकुश लगायें वरना यह बेकाबू हो जायेंगे ।

*श्री हर गोविन्द वर्मा--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल एक सुझाव है । अब तक तो इस पर बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है । मैं केवल एक सुझाव रखना चाहता हूं जो मैंने पंजाब और हरियाणा व और भी प्रदेशों के अन्दर देखा है कि वहां जो रोडवेज बसें चलती हैं । वहां के ड्राइवर्स और कन्डक्टर्स को उनकी निश्चित आमदनी के अलावा एक नीति और फिक्स कर दी गयी है । जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स एक निश्चित इनकम डिपार्टमेंट को देगा तो उसको बोनस के रूप में या मुनाफे में शेयर्स बनाया जायेगा । और उन्हें 40 से 50 प्रतिशत तक शेयर के रूप में मुनाफा दिया जाएगा । अगर उत्तर प्रदेश में भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह योजना लागू कर दी जाए तो अवश्य ही यहां जो हर साल घाटा होता है, वह खत्म हो जाये । दूसरा सुझाव मान्यवर, यह है कि जैसा कि अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि परिवहन मंत्री इस ओर भी ध्यान दें कि विधान सभा के सामने कोई एक्सीडेंट न हो जाय । इसे और अपने अधिकारियों को सूचित करें । दूसरे एक चीज और देखी जा रही है । इस विभाग में भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है । अगर आप देखें कि प्राइवेट बसों से कितनी इनकम है और रोडवेज की बसों की क्या इनकम है तो आपको देखने को मिलेगा कि प्राईवेट बसों की ज्यादा इनकम है और रोडवेज बसों की कम । ऐसा क्यों हो रहा है, इसके कारण को देखें और विचार करें और दोषी पाए गए कर्मचारियों और अधिकारियों को दंडित करें ताकि स्वच्छ रूप से काम चल सके ।

श्री सूबेदार सिंह--

मैं इस कटौती के प्रस्ताव के संदर्भ में आपकी आज्ञा से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मान्यवर, उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया । और बधाई सत्ता पक्ष के लोगों को भी इस बात के लिए देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि परिवहन विभाग दर असल बीमार है और बहुत ज्यादा बीमार है । और करीब-करीब जितने भी सत्ता पक्ष की ओर से माननीय सदस्य बोले, उन्होंने विभाग के अनुदान का समर्थन करने के बावजूद भी उसकी बड़ी आलोचना और भर्त्सना भी की ।

एक सदस्य--

और आपके कटौती प्रस्ताव का विरोध भी तो किया ।

श्री सूबेदार सिंह--

ठीक है, प्रश्न यह नहीं है । प्रश्न बड़ा ही गम्भीर है । चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों । प्रश्न हरेक के सामने एक है कि आप बीमार का इलाज दवा पिलाकर करना चाहते हैं या आपरेशन से करना चाहते हैं । कटौती का प्रस्ताव एक आपरेशन है ।

निश्चित रूप से जो भावनायें सदन में सदस्यों ने प्रगट की है उससे साफ जाहिर है कि दवा के द्वारा आप इस मर्ज का इलाज नहीं कर सकते हैं आप किसी प्रकार नहीं कर सकते हैं । आवश्यकता इस बात की है कि आपरेशन किया जाय और हम निश्चित रूप से आपको बताना चाहते हैं और आश्वस्त करना चाहते हैं आप दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर कटौती प्रस्ताव का समर्थन करें और जब आप समर्थन करेंगे नये रूप से नई लाइंस पर पुनर्निर्माण करेंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे । मान्यवर, यह हमारे दल और विरोधी पक्ष के अन्य सदस्यों की तरफ से जो सुझाव दिये गये हैं वह बहुत ही बहुमूल्य हैं । लोकतंत्र की रक्षा हेतु लोक निर्माण के हित में मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं और विनती करता हूं कि हठवादिता का रास्ता छोड़कर एक बार नये इतिहास का निर्माण करें और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर और देखें कि पुरानी परिपाटी मिट जायेगी और नये लोकतंत्र का निर्माण करेंगे अगर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं । माननीय मंत्री और सदस्यों से निवेदन है कि दलीय स्थिति से ऊपर उठकर जो वास्तविकता है देखें और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें ।

एक सदस्य—

मैंने 17 बार कहा....

श्री अध्यक्ष—

आप 70 बार कहे मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठें ।

एक सदस्य—

मुझे मौका नहीं दिया एक जरूरी बात कहनी थी ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

सभी चाहे विरोध पक्ष के सभी सदस्यों ने जो विचार यहां पर रखा है मैं पहले बता चुका हूं कि निगम की हालत क्या है उसके कारणों को सदन के सामने विस्तार पूर्वक रखा । मैंने कहा कि 5 हजार 7 सौ बसों में से 2 हजार बसें ऐसी हैं जो सड़कों पर चलने लायक नहीं है मजबूरी में चलाई जा रही हैं क्योंकि हमारे जो नेशनलाइज रूट हैं उसके लिये 2 हजार नई बसों की आवश्यकता है वह नहीं मिल पा रही है । पिछले साल एक हजार बसों की आवश्यकता थी जिसमें से 5022 बसें मिल पाई थीं । इस साल 2 हजार बसों की आवश्यकता है । इसमें प्रयास कर रहा हूं और काफी प्रयासों के बाद शायद 7 सौ 8 सौ बसें मिल पायेंगी । इसके लिये मान्यवर, कठिनाई है । विरोधी दल के सदस्यों ने बहुत सी बातें की हैं इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना नहीं है कि हमारी सारी बसें ठीक हैं । जो सही बात थी मैंने उसे सदन के सामने रखा । मैंने कहा इन्वेंट्री कन्ट्रोल ठीक नहीं है वह ठीक होना चाहिये । मैं उसको ठीक करने जा रहा हूं, जो माल गलत खरीद लिया जाता है जिसके द्वारा रेवेन्यू का नुकसान किया जाता है चाहे वह अधिकारी हो या कर्मचारी हो जिन्होंने विभाग का दुरुपयोग किया है उसकी जांच करायेंगे और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी । मेरी सरकार इस बात के लिये तैयार है कि भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया जायेगा चाहे छोटे कर्मचारी हों या बड़े कर्मचारी हों उनको छोड़ा नहीं जायेगा । हमारे देश की 45 करोड़ जनता निगम की बसों से चलती है लेकिन इसका डेढ़ गुना दुगुनी जनता प्राइवेट बसों से चलती है । कितनी बड़ी समस्या है हमारे प्रदेश में 250 करोड़ जनता बसों से चलती है । हमारे पास बसें नहीं हैं । मैं प्रयास कर रहा हूं । अभी दिल्ली गया था ट्रान्सपोर्ट डेवलपमेंट काउन्सिल की बैठक हुई जिसमें बार-बार कहा कि चैसिस हमें नहीं मिल रहा है । जो प्राइवेट पार्टियां हैं ब्लैक में खरीद रही हैं लेकिन निगम को नहीं मिल रहा है । यह प्रयास किया कि निगम को चैसिस मिलें । अभी सूबेदार सिंह ने कहा कि जो कण्डक्टर भर्ती किये गये थे उसमें बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं । इसी हाउस में मैंने बयान दिया था कि जो अनियमितायें देखी और जो सही पायी गयीं तो निरस्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था । इसके साथ ही साथ प्रतिकूल प्रविष्टियां दी गयीं । जो भी गलत काम करता है । निगम में जिस तरह से स्टाफ है वह कम नहीं है लेकिन जब हम नई बसें लायेंगे तो उनके लिये हमें नया स्टाफ रखना पड़ेगा । जैसे-जैसे आवश्यकता होगी हम रखते जायेंगे लेकिन कोई वेटिंग लिस्ट बना रखना, जब कि कोई वेकेन्सी न हो, उन बेचारों की दरख्वास्त लेकर के बैठे रहें और हम नौकरी न दे सकें तो यह कोई अच्छी बात नहीं है । जितनी भी वेकेन्सी हो उससे 10-5-20 प्रतिशत ज्यादा की व्यवस्था करें लेकिन हो 10 और रख लें 50 यह कहां तक अच्छा होगा । जगह नहीं थी लेकिन उसमें लोगों

को भर लिया गया था, हरिजनों को और लोगों को कोटा नहीं दिया गया था। माननीय सदस्य अभी बैठे हैं, उन्हीं का सवाल था, उन्हीं पर मैंने जांच पड़ताल करवायी और देखा, गड़बड़ी पायी गयी, इसलिए उसको निरस्त किया गया। अगर कार्यवाही न की जाय और गलत काम होता रहे तो निगम ठीक नहीं हो सकता। जो भी आदमी गलत काम करेगा, उसको किसी दबाव और प्रेसर में छोड़ा नहीं जा सकता। मैं साफ बना देना चाहता हूं कि अगर किसी अधिकारी ने गलती की है तो मैं बता देना चाहता हूं कि चाहे कितना भी दबाव मेरे ऊपर पड़े मैं छोड़ूगा नहीं।

दूसरी बात वर्कशाप ठीक करने की है। जितनी आवश्यकता है, जैसे जिस वर्कशाप में 50 गाड़ियों की मरम्मत हो सकती है उसमें 100 की मरम्मत हो रही है। मैं चाहता हूं कि वर्कशाप बढ़ायें जायें ताकि जितनी गाड़ियां हैं उनका मेन्टीनेन्स हो सके। जो गड़बड़ियां हैं उनको रोकने के लिए कार्यवाही की जा रही है। गड़बड़ियां कहां हैं, कैसे दूर की जा सकती हैं, इसके लिए कार्यवाही की जा रही है। कुछ दिन बाद देखियेगा कि हम कैसा स्टैण्ड ले रहे हैं। जरनलगंज स्टेशन बनाने की बात आयी। यह बस स्टेशन बनाया जायेगा। इसको बनाने की हमारी योजना है। परमिट का बात है। बड़े बड़े लोग परमिट ले लेते हैं। यह जो लटरी सिस्टम है इसमें बड़ी दिक्कत आ गयी है। अगर कहीं 5 दरखास्तें देना होती है तो 1000 दरखास्त बड़े लोग दिला देते हैं और इंडिवीजुअल लोग एक-एक दरख्वास्त देते हैं। लाटरी मे जिसने हजारों दरख्वास्त दी हैं उनकी मिल जाता है और इंडिवीजुअल वाले नहीं पाते है। इससे बड़ा अवरोध पैदा हो गया है, गड़बड़ी पैदा हो गयी है। यह विचार किया जा रहा है कि किस तरह से इसको लिबरलाइज किया जाय जिससे नीडी लोगों को, जो बेकार हैं, इंडिवीजुअल लोगों को किस तरह से सुविधा दी जाय यह हमारे सामने बड़ा सवाल है। यह जो बड़े बड़े मोनोपोली वाले हैं जो विभिन्न नामों से डलवाते हैं और उसमें लटरी उनके नाम से पड़ जाती है इस तरह की गड़बड़ियों को दूर करने के लिये क्या रास्ता निकाला जाय, कैसे सुविधा दी जाय और जो आप चाहते हैं वह मंशा पूरी हो जाय, यह सरकार के विचाराधीन है कि कोई रास्ता इसमें निकाला जाय। दूसरी बात मैं पर्वतीय क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं, वहां पर बसों की आवश्यकता है। मैंने पहले ही बताया कि 175 नयी बसें पर्वतीय क्षेत्र में भेजने की व्यवस्था है। प्रयास करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में अच्छी बसें चलें, अच्छी तरह से उनकी बाडी बनायी जाय ताकि पर्वतीय क्षेत्र को लोगों की सुविधा हो सके। यह प्रयास किया जायगा जहां तक बसों में आरक्षण की बात है, यह बात सही है, हम चाहते हैं कि आरक्षण का काम खत्म कर दिया जाय लेकिन कुछ लोग डिमांड करते हैं कि हमको आरक्षण दिया जाय ताकि उस बिन बस मिल जाय।

एक सदस्य--

आरक्षण खत्म कर दीजिये।

श्री बीर बहादुर सिंह--

आप लोगों की राय होगी तो यह आरक्षण का जो भय है उसको खत्म कर दिया जायगा।

एक सदस्य—

इसको समाप्त करने की घोषणा करें ।

श्री बीर बहादुर सिंह—

माननीय, यह कहा गया कि 946 प्राइवेट बसें चलायी गयी हैं । निगम को बसों के अभाव में जो हमारे नेशनलाइज रूट्स हैं उन पर निगम ने निर्णय लिया है कि प्राइवेट बसें लगाकर, प्राइवेट बसें चलाकर वहां लोगों को सुविधा दी जाय ताकि पैसेंजर्स को कठिनाई न हो । इसमें अगर कोई कमी हो गयी है या कोई भ्रष्टाचार पनप गया है तो इसको दूर करने का प्रयास किया जायगा । लेकिन यह भी प्रयास किया जायगा कि जहां जनता को कठिनाई है, हम पब्लिक वेलफेयर का काम करते हैं, जनता सड़कों पर न खड़ी रहे यह हमारी जिम्मेदारी है । इसीलिये प्राइवेट बसें जो हैं वह ली जाती हैं । निगम के पास बसें नहीं हैं, जनता को सुविधा देने के लिये इन बसों को लिया गया है । हम प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम बसें हमें मिलें और निगम इन बसों को चलाये । लेकिन जब तक निगम के पास बसें नहीं हो पायेंगी तब तक हमें यह काम करना पड़ेगा इसको आप रोक नहीं सकते हैं नहीं तो जनता को बड़ा कष्ट होगा ।

माननीय, हरिवंश सहाय जी ने कहा कि हड़ताल हो रही है, आपको शायद मालूम नहीं है कि हड़ताल के पीछे क्या है । निगम के कर्मचारियों का प्राइवेट वालों से झगड़ा हो गया, निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गये । इसमें होना यह चाहिये था कि यदि झगड़ा हुआ है तो एफ० आई० आर० लिखाते और पुलिस कार्यवाही करती । लेकिन इस पर हड़ताल कर दें और प्रदेश की जनता को परेशानी हो, किसी की तारीख देखने जाना है, कोई विधान सभा अटेंड करने आ रहा है, कोई बीमार है और दवा कराने जा रहा है, आप उसको रोक दें और गवर्नमेंट कोई नोटिस न दें तो इस तरह की बात करेंगे और उसको प्रोत्साहन दिया जाय तो निगम का काम नहीं चल सकता है, निगम बैठ जायगा । आज जरूरत इस बात की है कि जो भी गलत काम है, कर्मचारी गलत हड़ताल करते हैं, निगम का नुकसान करते हैं तो उसको कहीं से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये और उसे कंडेम करना चाहिये । लेकिन यदि कोई मांग जायज है तो उसको सुना जाता किन्तु यहां तो कोई नहीं है और जनता को परेशान किया जा रहा है, तो इसको कभी-कभी सहन नहीं किया जा सकता है ।

माननीय, जहां तक आर० टी० ओ० विभाग की बात है, उसमें कुछ शिकायतें आती हैं, तो यह सही है और जहां शिकायतें होंगी वहां सुधार की बात की जायेगी । आज हम विभाग को स्पैन्ड करना चाहते हैं, जिससे जो टैक्स जमा करने वाले और गाड़ियों के मालिक हैं उनको परेशानी न हो ।

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय, जो आर० टी० ए० कमेटी एक-एक लाख रुपया लेकर लोगों को परमिट देती है तो उसको समाप्त क्या मन्त्री जी कर रहे हैं, चूंकि पहले सरकार ने कहा था कि जो अपनी चेसिस, गाड़ी और बस ले लेगा उसको हम परमिट देंगे ।

श्री बीर बहादुर सिंह—

माननीय, जो व्यवस्था है उसमें क्या सुधार किया जाय यह सरकार के विचाराधीन है ।

मान्यवर, जो श्री गौरी शंकर ने कहा कि उनके वहां स्टेशन बनने की योजना थी और नहीं बनी । तो मैं इसको देखूंगा ।

मान्यवर, श्रीमती प्रेमवती तिवारी जी ने जो बातें कहीं हैं उनके सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा था और फिर भी कह रहा हूं कि जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको हम लोग स्वयं मानेटरिंग कर रहे हैं कि कितना माल खरीदा गया, कितना उपभोग किया गया और कितना माल स्टाक में है या कहीं ज्यादा माल पड़ा है, तो इस चीज को हम देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि इसमें कैसे सुधार किया जाय और जो कमी हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है । मैंने पहले भी कहा था कि जो गलत काम करने के आदी हैं उनको किसी तरह बक्सा नहीं जायेगा और उनके खिलाफ कार्यवाही सख्त से सख्त की जायेगी ।

मान्यवर, निगम के कर्मचारियों के नियम बन गये हैं और उनको जल्दी ही लागू कर दिया जायेगा ।

मान्यवर, जहां तक डिपो की कमी का सवाल है तो उसको बढ़ाने पर विचार किया जायेगा ।

श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार कर्मचारियों की सर्विसेज के बारे में कोई विस्तृत बिल लाने की सोच रही है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

अभी ऐसी बात नहीं है ।

मान्यवर, परिवहन निगम में यह भी प्रयास किया जा रहा है कि निगम का हिसाब किताब सही हो क्योंकि उसमें त्रुटियां पायी जाती थीं । यह निगम कामर्शियल संस्था है, इसलिये यदि हिसाब किताब ठीक नहीं रहते हैं तो यह ठीक बात नहीं है, अतः प्रयास किया जा रहा है कि निगम की शाखाओं में कम्प्यूटर की व्यवस्था की जाय ताकि हिसाब किताब सही हो और गड़बड़ी न हो ।

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने कहा कि एयरकूल बसें ठीक नहीं हैं चलाना । तो मैंने पहले कहा था कि हमारे यहां टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, जो कि बाहर से और दूसरे प्रदेशों से आते हैं, तो उनके लिये यदि अच्छी बसों की व्यवस्था नहीं करेंगे तो टूरिज्म कैसे डेवलप होगा चूंकि टूरिज्म को भी हमको डेवलप करना है । इसलिये कुछ बसें हमारे पास ऐसी होनी चाहिये जो बाहर से आने वाले यात्रियों को ज्यादा सुविधायें दे सकें वरना उनको कठिनाई होगी ।

मान्यवर, माननीय हरगोविन्द वर्मा ने जो सुझाव दिया उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं खुद चाहता हूं कि लोगों को इंसेंटिव दिया जाय । जो कंडक्टर या ड्राइवर हैं जो निगम को ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं उनको आमदनी का कुछ हिस्सा दिया जाय । यह हमारे विचाराधीन है । मैं खुद उसको करने का प्रयास कर रहा हूं ।

[श्री वीर बहादुर सिंह---]

तो आप देखेंगे कि ये बहुत सी बातें हैं । जो आपकी भावना हैं मैं उसे जानता हूं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मैं आपकी आज्ञा से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । जो आपके कर्मचारी परिवहन निगम में डिपुटेशन पर गये हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है ? उनके सर्विस रूल्स का विलीनीकरण होगा या उनको डिपुटेशन पर मान लिया जायेगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसमें बहुत सी बातें हैं । जो निगम में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी भावनाओं का भी आदर करना पड़ेगा, जो डिपुटेशन में हैं उनको भी देखना पड़ेगा । इन दोनों में सामन्जस्य करना पड़ेगा जिससे दोनों का फायदा हो । अभी कोई रास्ता नहीं निकल पाया है ।

श्री हर गोविन्द वर्मा---

खैराबाद में आपका वर्कशाप 6 महीने से बना है, ऐसे वर्कशापों को आप कब तक चलायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने कहा जो हमारे वर्कशाप नये बनाये जा रहे हैं या जहां बने हैं, कोशिश यह है कि वहां पर कुछ काम जल्दी से जल्दी शुरू हो सके । जैसा मैंने पहले कहा इसमें बहुत सी कमियां हैं, कठिनाइयां हैं ।

इन शब्दों के साथ जो आपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनका आदर करता हूं और माननीय सूबेदार सिंह जी से निवेदन करता हूं कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें । उनकी सारी बातें यहां पर आ गई हैं और उनकी मन्शा पूरी हो गई है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सूबेदार सिंह जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैंने कुछ मौलिक प्रश्न उठाये थे अपने कटौती के प्रस्ताव में । जैसा मैंने कहा था कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया । दूसरा जो दुर्घटनायें होती हैं जो कर्मचारी तथा यात्री मर जाते हैं उनकी क्षति पूर्ति नहीं होती है । मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं और उसे प्रेस कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11 परिवहन विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 11-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,31,63,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 105-परिवहन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 105--परिवहन विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

[समय 5.40 से]

श्री अध्यक्ष--

इससे पहले कि मैं अगला कार्यक्रम लूं मैं आपके समक्ष आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन के वर्तमान स्वीकृत कार्यक्रम में संशोधन की संस्तुतियां की हैं, उनकी सूचना देना चाहता हूं, जो निम्न प्रकार हैं :—

1—दिनांक 16 सितम्बर, 1980 को 5 बजे के बाद प्रदेश में अभ्यास पुस्तिकाओं एवं पुस्तकों में प्रयोग होने वाले कागज के अभाव से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में श्री पंचानन राय द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर 1 घंटे की चर्चा ।

2—दिनांक 17 सितम्बर, 1980 को विधेयकों के पारण के उपरान्त अलीगढ़ के श्री पवन कुमार जैन नामक पत्रकार को गिरफ्तार करने, अलीगढ़ में 8 सितम्बर, 1980 को हुये दंगे में कई व्यक्तियों के मारे जाने एवं आगरा मण्डल के आयुक्त द्वारा पत्रकारों के साथ किये गये अभद्र व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में 2 घंटे की चर्चा ।

3—दिनांक 17 सितम्बर, 1980 के लिये निर्धारित उत्तर प्रदेश राजकीय सेलफूप (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार एवं उसका पारण के प्रस्ताव 2 घंटे के लिए, अब दिनांक 25 सितम्बर, 1980 को सायंकाल 5 बजे के बाद लिए जायेंगे ।

[श्री अध्यक्ष--]

4--दिनांक 18 सितम्बर, 1980 को 5 बजे के उपरान्त उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार एवं उसका पारण 2 घंटे ।

5--दिनांक 19 सितम्बर, 1980 को आधा दिन असरकारी संकल्प और तदुपरान्त उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा राज्य सरकार की सहमति से बिजली की दर में वृद्धि के विषय में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर 2 घंटे की चर्चा तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा ऋण लेने की अधिकतम सीमा को बढ़ाने से सम्बन्धित सरकारी संकल्प पर विचार 1 घंटा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गई सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज 7 सूचनायें प्राप्त हुई थी। उनमें से श्री रियासत हुसैन की सूचना को जो, दिल्ली की सरकार द्वारा मुरादाबाद, अलीगढ़ तथा पीलीभीत के दंग ग्रस्त क्षेत्रों में किसी फिसादियों को देखते ही गोली मारने के आदेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की अनभिज्ञता से उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में है, स्वीकार किया गया है ।

श्री रियासत हुसैन--

इस पर स्टेटमेंट कब तक होगा ?

श्री अध्यक्ष--

अगर संसदीय कार्य मंत्री को असुविधा न हो तो 19 तारीख रख दी जाय।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

ठीक है ।

श्री अध्यक्ष--

19 तारीख रख दी गई ।

एटा जिले में बस पर पुलिस गार्डों की रायफलें छीने जाने की घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 4-9-80 को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रात्रि सेवा बस नं0 यू0 अ र0 वी0 118, आठ बजे रात्रि बस स्टेशन एटा से लखनऊ के लिए चली । इस बस में दो सशस्त्र पुलिस गार्ड भी तैनात थे । उक्त बस में एक यात्री रईस पाल सिंह 12 बोर की बन्दूक के साथ यात्रा कर रहा था । राहजनी की संभावना को समाप्त करने के लिये रात्रि बस सेवा में हथियार लेकर चलने वाले यात्रियों की चेकिंग किए जाने के आदेश हैं । रईस पाल सिंह का लाइसेन्स चेक किया गया तो लाइसेन्स पर फ़ोटोग्राफ चिपका हुआ नहीं पाया गया जिस पर सिपाही को सन्देह उत्पन्न हुआ और उसने आपत्ति की । इस पर रईस पाल सिंह ने छीना झपटी की और उसके अन्य सहयोगियों ने दोनों पुलिस जनों को पकड़ कर इन पर चाकू से प्रहार किया । बस ड्राइवर को धमकी देकर बस को बस के रुकने के अगले स्थान के पहले ही रोकने के लिए विवश किया । बस के रुकते ही रईस पाल सिंह तथा उसके अन्य साथियों ने पुलिस कर्मचारियों की राइफलें छीन ली और उन पर प्रहार करके भाग गये ।

उपरोक्त घटना की सूचना हेड कान्सटेबिल जगदीश शरण (पुलिस गार्ड) द्वारा थाना सर्कीट पर दी गई । जिसके आधार पर थाना कोतवाली एटा पर धारा 395/307/324 भारतीय दंड विधान का अपराध रईस पाल सिंह सहित तीन नामजद तथा दो अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

विवेचना से 4 और अभियुक्त प्रकाश में आये । इनमें से एक अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजा गया अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं । उक्त बस में तैनात पुलिसजनों को उनकी लापरवाही के लिए निलम्बित कर दिया गया है ।

घटना के तत्काल बाद ही दूसरी गार्ड का प्रबन्ध करके रात्रि बस लखनऊ के लिए प्रस्थान कर गई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस वक्तव्य से प्रदेश की जनता क', जो जन-जीवन असुरक्षित है और सरकार की असहाय अवस्था का इससे ज्यादा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता है । मान्यवर, आपके आदमी राइफल लिए हुए बैठे रहे और वे छीन लिये गये । मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और जानना चाहता हू कि किस तरह से हमारी जनता का विश्वास जमे कि रात्रि-यात्रा में भी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, इस तरह की किसी कारगर व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, अगर इन तत्वों को देखा जाय तो जो वाकया है वह इस वजह से हुआ है कि जिनके पास लाइसेन्स पर फोटो नहीं था उनकी चेकिंग की गई और उसकी रोकथाम के लिये वहां पर चेकिंग के दौरान जो घटना घटी, जो सिपाही और हेड कांस्टेबिल थे उनकी बन्दूकें छीन ली गई थी । उस कारण उनको निलम्बित भी किया गया । लेकिन कोई ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिस वजह

[श्री अम्मार रिजवी]--

से वह घटना हुई, वे जख्मी हुये, उन पर घाव लगे हैं लेकिन फिर भी उनको निलम्बित किया गया है । जो चिन्ता सम्मानित सदस्य ने व्यक्त की है वह चिन्ता हमें भी है और इस सम्बन्ध में सख्ती से कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एक व्यक्ति की तो जानकारी हो गई है कि वह कौन है उसकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है । राइफलों को बरामद कर लिया है तो उसके बारे में भी आपने कोई छानबीन की है ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय, एक भरत सिंह नामक व्यक्ति को पकड़कर उसे जेल भेज दिया गया है और मुल्जिमान की खोज जारी है और गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा रही है । उनकी प्रापर्टी अटैच करने की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो लाइसेन्स अनअथराइज तरीके से ले जा रहे थे, उससे जांच के बाद क्या कुछ यह पता चला कि वह किसके लाइसेन्स थे ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ।

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय, रईसपाल सिंह का वह लाइसेन्स था लेकिन उसमें उसका फोटो नहीं था । इस पर जांच पड़ताल चल रही है ।

श्री रियासत हुसैन--

वहां पर फिजीकली जो बाडी थी उसका लाइसेंस था या दूसरे का लाइसेन्स था जिसे वह लेकर चल रहा था ?

श्री अम्मार रिजवी--

उसमें फोटो नहीं था लेकिन उसमें नाम था । उससे पूरी चीज साफ नहीं हो सकती थी । इसलिए यह सब पूरी विवेचना के बाद ही मालूम हो सकेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या पुलिस ने रईस पाल सिंह के घर जाकर उस पर 82/83 की कार्यवाही भी की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, 82/83 की कार्यवाही के लिए थोड़ा समय रहता है पहले ही नहीं की जाती है ।

श्री चेतराम गंगवार--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि लाइसेंस पर फोटो नहीं लगा था और वह लाइसेंसी था । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ओर से आदेश दिये गये हैं कि सभी लाइसेंसी नये और पुराने सब को लाइसेंस पर फोटो लगानी पड़ेगी ? यदि ऐसा है, तो उस आदेश की तिथि क्या है ?

एटा जिले में बस पर पुलिस गार्डों की रायफलें छीने जाने की घटना के संबंध 1121 में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अम्मार रिजवी—

यह बहुत पुराने आदेश हैं, जिनके पास वैपन्स हैं पुराने या नये सब को फोटो लगानी होती है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

जिस थाने के अन्तर्गत वह लाइसेंस दिया गया था और जो आदमी पकड़ा गया है तो क्या उससे पता चलता है कि वह क्रिमिनल या हिस्ट्रीसीटर है । यदि हां, तो उसे कैसे लाइसेंस दिया गया क्या इसकी छानबीन की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, जिस थानें का यह वाकया है वहां के थानेदार से जांच की जा रही है । वह आदमी कई धाराओं में इससे पहले नामजद है । 152/79, 32/71, 122/65, 24/72 आदि बहुत सी धारायें हैं यह उसकी हिस्ट्री है ।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, यह मेरे जिले के करीब का मामला है । मुझे पता चला है कि यह रईसपाल सिंह जिसके नाम लाइसेंस है उसने फोटो दाखिल कर दिया था, यह पहले से उसके पास है जब फोटो नहीं लगती थी, उसने फोटो दाखिल भी कर दी लेकिन पुलिस वाले उससे कुछ रुपया लेना चाहते थे । उसने रुपया देने से इनकार कर दिया लिहाजा उन्होंने एक हंगामा पैदा कर दिया ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिए ।

श्री फखरे आलम—

पुलिस वालों से जो असलहा छीने गये क्या उसका उन्होंने किसी जगह इस्तेमाल किया ? और कैसे इस्तेमाल किया इसकी डिटेल बता दें ।

श्री अम्मार रिजवी—

बदमाशों ने कैसे इस्तेमाल किया इसकी जानकारी हमें नहीं है वह बता सकते हैं हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री मित्र सेन—

मंत्री जी ने बताया कि रईसपाल सिंह पहले से कितनी ही दफाओं के मुल्जिम थे तो उनका लाइसेंस सस्पेंड क्यों नहीं हुआ ? क्या उनका किसी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध है क्योंकि लाइसेंस रद्द नहीं किया गया । लाइसेंस का नवीनीकरण क्यों किया गया, उन पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

तीन साल से उसका नवीनीकरण नहीं हुआ था उस थाने में । दूसरी चीज किस पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्ध था इसकी जानकारी मित्र सेन जी को होगी वह जानते होंगे ।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री का नाम पुकारे जाने पर) ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर काफी प्रश्न हो गये हैं यह आखिरी स्पष्टीकरण होगा ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रईसपाल सिंह ने जो प्रहार किया उससे क्यों सिपाहियों को चोट नहीं आई है । क्या इसमें कोई मिली भगत तो नहीं थी कि उनकी बंदूक छीन कर ले गये क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप आरोप लगा रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी—

चोट भी आई है, जिसकी इंजुरी रिपोर्ट है ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
15 सितम्बर, 1980

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1005 पर)

सूखा सहायता कार्यक्रम/महत्वपूर्ण

संख्या ए-5034/बारह-5-63/80

प्रेषक,

श्री शमशाद अहमद,

सचिव,

उत्तर प्रदेश, शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

कृषि अनुभाग-5 दिनांक, लखनऊ : 9 जून, 1980

विषय : सूखे से पीड़ित कृषकों को रासायनिक उर्वरकों व बीजों पर अनुदान की व्यवस्था ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अभूतपूर्व सूखे के कारण कृषकों को सहायता पहुंचाने और कृषि उत्पादन के हित में कृषकों का नत्रजन, फास्फेट, पोटास सूक्ष्म तत्व (माइक्रो न्यूटियेंट) वाले उर्वरकों और बीज के क्रय पर शासन के निम्नवत् अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है :—

(क) लघु कृषक 25 प्रतिशत अनुदान (ख) सीमांत कृषक 33 1/3 प्रतिशत अनुदान (ग) अनुसूचित जनजाति के कृषक 50 प्रतिशत अनुदान	किसी भी एक कृषक को अधिकतम 500 रु0 का अनुदान देय होगा ।

2—उक्त अनुदान की सुविधा निम्नलिखित शर्तों पर उपलब्ध कराई जायगी :—

(1) उपरोक्त सुविधा केवल उन क्षेत्रों के कृषकों को उपलब्ध होगी जहां सूखे से खरीफ 1979 में 50 प्रतिशत से अधिक हानि हुई हो और रबी उगाई ही न जा सकी हो ।

(2) अनुदान का भुगतान नकद नहीं किया जायगा, अपितु सभी कृषकों से उपरोक्त निवेशों के मूल्य की धनराशि में से देय अनुदान की धनराशि घटाकर केवल शेष धनराशि को नगद वसूल की जायगी ।

(3) इस शासनादेश के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधायें सहकारी समितियों के सदस्यों को सहकारिता विभाग के माध्यम से मिलेगी किन्तु ऐसे व्यक्ति, जो सहकारी समिति के सदस्य नहीं है, को यह सुविधायें कृषि विभाग अथवा अन्य शीर्ष संस्थाओं के माध्यम से मिलेगी ।

(4) लघु सीमांत तथा अनुसूचित जनजाति के कृषकों की सूचियां आपके पास पहले से ही उपलब्ध हैं। उनकी चार-चार प्रतियां तैयार की जायंगी, जिनमें कृषकों का पूरा नाम, पिता का नाम, निवास स्थान का पूरा पता और उसकी जोत का (सिंचित अथवा असिंचित क्षेत्रफल) विवरण लिखा जायेगा। यदि किसी ग्राम में सूची नहीं बन पायी है तो सम्बन्धित ग्राम के ग्राम सेवक के प्रमाण-पत्र के आधार पर "कि अमुक कृषक के नाम कितनी जोत है अथवा वह अनुसूचित जनजाति का कृषक है" अनुदान की सुविधा अनुमन्य होगी।

(5) उपरोक्त सूचियां सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी को तहसीलदार द्वारा उपलब्ध कराई जायगी। खंड विकास अधिकारी सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के द्वारा इन सूचियों से सहकारी समितियों के सदस्यों के नाम को लाल रोशनाई से रेखांकित करा लेंगे। तदोपरान्त इन सूचियों की 3 प्रतियां तहसीलदार को वापस भेज दी जायंगी। सूची की शेष प्रति के आधार पर सहकारी समितियों के सदस्यों को बीज एवं उर्वरक उपलब्ध कराने की कार्यवाही क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(6) ऐसे कृषकों से जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं, तथा वे तकावी के माध्यम से कृषि निवेश प्राप्त करना चाहते हैं उनसे प्रार्थना-पत्र ग्राम सेवक द्वारा प्राप्त किये जायेंगे और स्वीकृति हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को ग्राम सेवक के प्रमाण-पत्र सहित यदि आवश्यक हो भेज दिये जायेंगे।

(7) कृषकों की हैसियत तथा पहले ली गई तकावी की बकाया धनराशि यदि कोई हो, तो उसे ध्यान में रखते हुये तथा स्थिति तहसीलदार अथवा परगनाधिकारी द्वारा तकावी स्वीकृत की जायगी, तथा लेखपाल द्वारा तैयार की गई सूची (3 प्रति) में भी स्वीकृत धनराशि जिसके विपरीत उपरोक्त निवेश देय होंगे, अंकित की जायगी। इसी सूची के किन कृषकों के तकावी, प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए अथवा स्वीकृत नहीं किये गये उनके नाम के सामने लाल रोशनाई से गुणांक चिन्ह (×) बना दिया जाय जिससे यह स्पष्ट रहे कि उस कृषक को कोई तकावी स्वीकृत नहीं की गई है। जिन ग्रामों में लघु/सीमांत कृषकों अथवा अनुसूचित जनजाति के कृषकों की सूची न बन सकी हो उन ग्रामों के सम्बन्ध में तहसीलदार उन कृषकों की सूची 3 प्रतियों में बना लेंगे जिन्हें तकावी स्वीकृत की गई। सूची में स्वीकृत धनराशि अंकित कर दी जायगी। सूची में यथा सम्भव काटपीट नहीं की जायगी किन्तु यदि कोई काटपीट करना अपरिहार्य हो जाय तो स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा उसे अपने हस्ताक्षर से सत्यापित करना होगा।

(8) उप खंड (7) में उल्लिखित सूचियों की एक प्रति तकावी स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा अपने पास रोक ली जायगी और दो प्रतियां सम्बन्धित बीज गोदाम/बिक्री केन्द्र जहां से उपरोक्त निवेशों का वितरण कृषक को होगा, के प्रभारी को भेज दी जायगी।

(9) तकावी का भुगतान नगद नहीं किया जायेगा अपितु केवल उपरोक्त निवेशों के रूप में किया जायेगा।

(10) प्रत्येक ग्राम के लघु/सीमांत एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं, एक बीज गोदाम बिक्री केन्द्र से सम्बद्ध कर दिया जाय और साथ ही प्रत्येक गांव के लिए निवेशों के वितरण की तिथि तथा समय सुनिश्चित कर दिया जाय। इस प्रोग्राम की पूर्ण जानकारी के लिए व्यापक रूप से प्रचार कर दिया जाय और इस बात को भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित ग्रामों के प्रधान, पंचायत सेवक व ग्राम सेवक वितरण के दिन वितरण केन्द्र पर उपस्थित रहें जिससे आवश्यकता पहुंचने पर वे कृषकों का सत्यापन कर सकें। उस दिन सम्बन्धित कर्मचारी को श्रम के लिए खाद्यान्न कार्यक्रम से अवमुक्त कर दिया जायेगा। ग्रामों में पहले से ही इस बात का कोई प्रचार कर दिया जाय कि विभिन्न वर्ग के कृषकों को किस आधार पर बीज एवं उर्वरक दिये जायेंगे।

(11) उर्वरक/बीज वितरण विवरण पंचायत सेवक, ग्राम सेवक अथवा ग्राम प्रधान के सत्यापन के आधार पर होगा, किन्तु यदि बीज गोदाम/बिक्री केन्द्र प्रभारी स्वयं व्यक्तिगत रूप में ऋणी को जानते और पहचानते हों तो वह अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर निवेश देने के लिए सक्षम होंगे।

(12) उर्वरक/बीज की प्राप्ति की रसीद दोनों सूचियों पर ली जायगी, जिनमें से एक बीज गोदाम बिक्री केन्द्र प्रभारी द्वारा अपने पास रोक ली जायगी और दूसरी सूची तकावी स्वीकृत करने वाले अधिकारी को वापस भेज दी जायगी।

(13) बीज गोदाम/बिक्री केन्द्रों को भुगतान ट्रांसफर क्रेडिट द्वारा किया जायेगा।

(14) उर्वरक व बीज को सहायित दर पर वितरण तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जाय तथा यह सब कार्य 30 सितम्बर, 1980 तक समाप्त हो जाना चाहिए। अनुदान की सुविधा उक्त तिथि तक वितरित उर्वरक/बीज पर ही अनुमन्य होगी। अतः उन केन्द्रों पर जहां से बीज एवं उर्वरक का वितरण होना है, पर्याप्त मात्रा में उक्त निवेशों का स्टाक उपलब्ध कराने तथा उसके वितरण करने का प्रबंध समय से सुनिश्चित कर लिया जाय।

(15) लघु कृषक विकास प्राधिकरण, स्वीकृत ग्रामीण विकास योजना सुखोन्मुख विकास कार्यक्रम इत्यादि विशेष कार्यक्रमों वाले क्षेत्रों में उर्वरक व बीज पर अनुदान की सुविधा सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध कराई जावेगी और सम्बन्धित विकास/प्राधिकरण अनुदान के लेखे-जोखे के लिए पूरे तौर पर उत्तरदायी होंगे। अन्य क्षेत्रों में अनुदान की सुविधा तथा उसके लेखे-जोखे का उत्तरदायित्व कृषि विभाग पर होगा।

(16) अधिकृत संस्थाओं द्वारा उर्वरक व बीज विक्रय के उपरान्त देय अनुदान की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित जिले के जिला कृषि अधिकारी द्वारा की जायेगी। प्रादेशिक सहकारी संघ प्रति पूर्ति के लेखे सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों से प्रमाणित करा कर जिला कृषि अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। गन्ना सहकारी संघ द्वारा प्रतिपूर्ति का लेखा जिला गन्ना अधिकारी से प्रमाणित करा कर, जिला कृषि अधिकारी को उपलब्ध कराया जायगा।

राज्य कृषि औद्योगिक निगम एवं शासन के अन्य निगम विक्रय का लेखा निगमों के जिला स्तर के सम्बन्धित अधिकारी अथवा निगम द्वारा निर्दिष्ट अन्य अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद जिला कृषि अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे सभी सम्बन्धित अनुदान वितरण के लेखे दो प्रतियों में जिला कृषि अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें जिला कृषि अधिकारी एक प्रति अपने कार्यालय में अभिलेखार्थ रखेंगे और दूसरी प्रति रजिस्टर्ड डाक द्वारा कृषि निदेशक को भजेंगे । शीघ्रता से भुगतान करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी संस्थायें प्रत्येक पन्द्रह दिन का प्रमाणित लेखा जिला कृषि अधिकारी को प्रस्तुत करें जिससे जिला कृषि अधिकारी द्वारा प्रत्येक 15 दिन के लेखे के आधार पर अनुदान की प्रतिपूर्ति संस्थाओं को की जा सके । जिला कृषि अधिकारी संस्थाओं को नगद भुगतान न करके अनुदान की धनराशि को राज्य सहायता की सीमा तक संस्थाओं के खाते में कंटिजेंट बिलों को पृष्ठांकित करके (भुगतान) करेंगे । चूंकि अनुदान का वितरण शीर्ष संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है अतः उनके द्वारा वितरण का पूर्ण लेखा-जोखा संलग्न रूप पत्र पर रखा जायेगा ।

(17) खेतों की बोआई ठीक समय पर हो जाय । इसके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उपयुक्त विधि से बीज एवं उर्वरक का वितरण कार्य तुरन्त प्रारम्भ हो जाय । इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रशासनिक प्रबन्ध करने का दायित्व आपका है । इसलिए जिले में राजस्व विभाग, नियोजन विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को इस कार्य से सम्बद्ध करके पूर्ण करने के लिए निर्देशित करने एवं इसका कार्यक्रम अविलम्ब बनवाने की कृपा की जाय ।

(18) अनुदान की सुविधा इस शासनादेश की तिथि से लागू होगी ।

(19) उपरोक्त आदेश वित्त विभाग, क्षेत्रीय विकास विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(ह0) शमशाद अहमद,
सचिव ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1033 पर।)

तालिका

विधान सभा क्षेत्र, राजपुर, जिला कानपुर में बनाए गए सम्पर्क मार्ग

1—मुगल रोड से अपसरिया ।

2—रसयान से बुधौली ।

3—मुगल रोड से गौरीहसनपुर ।

4—राजपुर से बैना ।

5—कांधी से रमेऊ ।

6—मुगल रोड से जटियापुर ।

7—मुगल रोड से फिरोजपुर ।

8—मुगल रोड से महटौली मड़ैया ।

9—मुगल रोड से सिहुरा ।

10—राजपुर से पी० एच० सी०, राजपुर ।

11—आदर्श रोड से मदनपुर ।

12—मुगल रोड से पिचौरा ।

13—मुगल रोड से सासबरा ।

14—मुगल रोड से मढियापुर ।

15—सिथरा माइनर से रमउ ।

16—आदर्श रोड से नैनापुर ।

17—गौरीहसनपुर से उधौंपुर ।

18—मुगल रोड से नन्दना ।

19—मुगल रोड से बुधौली ।

20—मुगल रोड से निन्हारा ।

21—जल्ला से कमलपुर ।

22—रूरगांव से रूरगांव फैजुल्लापुर ।

23—मुगल रोड से जहांगीरपुर ।

24—ब्लाक हेड क्वार्टर सन्दलपुर से पक्की सड़क ।

25—सन्दलपुर से मनकापुर ।

26—हिसावां से रीवा ।

27—जमौरा से रजबहा अलीपुर ।

28—डोमा से मकरन्दापुर ।

29—मुरलीपुर से जलालपुर ।

30—मकरन्दापुर से मुंगीतापुर ।

31—कालपी रोड से हारामऊ ।

32—मुगल रोड से कुंवरपुर ।

33—मुंडेरा से मुंगासापुर ।

34—हासेमड से हसेवा ।

35—महटीला से तुलुआपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1033 पर।)

लखनऊ मंडल के अनुभव उत्साह के वर्ग-3 के निलम्बित कर्मचारियों के नाम तथा उनके निलम्बन की तिथि

कर्मचारी का नाम	निलम्बन की तिथि
1—श्री सन्त कुमार शाही	17-5-79
2—श्री नन्हे लाल फजीजिया	22-11-73
3—श्री काली चरन सिंह	10-12-74
4—श्री हरनाम सिंह	6-4-79

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1037 पर।)

तालिका

पशु जाति	टिहरी–गढ़वाल		उत्तरकाशी	
	वर्ष 1972 की पशुधन गणना के अनुसार (लाखों में)	वर्ष 1978 की पशुधन गणना के अनुसार (अस्थायी) (लाखों में)	वर्ष 1972 की पशुधन गणना के अनुसार (लाखों में)	वर्ष 1978 की पशुधन गणना के अनुसार (अस्थायी) (लाखों में)
1--कुल महिषवंशीय पशु	1.05	1.02	0.32	0.33
2--तीन वर्ष से ऊपर मादा भैंसे	0.77	0.74	0.23	0.25
3--कुल गोवंशीय पशु	1.95	1.90	1.01	1.10
4--तीन वर्ष से ऊपर की गायें	0.60	0.59	0.36	0.37
5--कुल बकरियां	0.64	1.01	0.50	0.73
6--एक वर्ष से ऊपर की मादा बकरियां	0.38	0.62	0.32	0.45
7--कुल भेंड़े	0.31	0.34	0.61	1.00
8--एक वर्ष से ऊपर की मादा भेड़ें	0.16	0.17	0.35	0.66

पी० एस० यू० पी०--98 विधान सभा--24-3-82--(पी०डी०)